(a) Demands for Grants on Account (Railways) for 2008-09

(b) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2007-08.

(c) Demands for Excess Grants (Railways) for 2005-06.

(iii) Consideration and passing of the Railways (Amendment) Bill, 2008, replacing the Railways (Amendment) Ordinance, 2008 (No.2 of 2008) promulgated by the President on the 31st January, 2008, after it has been passed by Lok Sabha.

(iv) General Discussion on Budget (Railways)

Twelve Hours

(To be discussed together)

(v) General discussion on Budget (General) for 2008-09

Twelve Hours

2. The Committee recommended that the sitting of Rajya Sabha fixed for Friday, 7th March, 2008, may be cancelled.

3. The Committee also recommended that the House may sit up to 6.00 p.m. and beyond, as and when necessary, for the transaction of Government Legislative Business.

STATEMENT REGARDING ORDINANCE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Sir, I lay on the Table a Statement (in English and Hindi) explaining the circumstances, which necessitated immediate legislation by promulgation of the Food Safety and Standards (Amendment) Ordinance, 2008 (No. 6 of 2008) promulgated by the President on the 7th February, 2008.

GOVERNMENT BILL

THE FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT) BILL, 2008

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Sir, I move for leave to introduce a Bill to amend the Food Safety and Standards Act, 2008.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI: Sir, I introduce the Bill.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री जनार्दन द्विवेदी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): माननीय उपसभापति जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उस धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, जो मैंने 28 फरवरी को प्रस्तुत किया था और उस पर आज 3 मार्च को चर्चा का समय आया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जिनकी विशेष मर्यादा होती है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी एक ऐसा ही अवसर है, जिसकी अपनी एक मर्यादा होती है। अच्छा होता कि इसकी चर्चा पहले होती। लोकतंत्र में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ असुविधाएं भी होती हैं और ज्यादा असुविधा का अनुभव तब होता है जब हमें दूसरे की बात सुनने में कष्ट का अनुभव होता है। लोकतंत्र में तर्क और वितर्क होता है, अपनी बात मनवाने के लिए बहुत गुंजाइश होती है, लेकिन अंत में बहुमत का निर्णय स्वीकार करना पड़ता है।

सरकारें भी कभी अपने मन की, कभी दूसरे के मन की बनती हैं, लेकिन जब कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो तो शालीनता से चर्चा होनी चाहिए। मैं प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के इस गुण का उल्लेख खास तौर से करना चाहता हूं। इतने वर्ष से संसद के दोनों सदनों में आप उन्हें देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी शालीनता का उल्लंघन नहीं किया है और न ही कभी ऐसी बात कही जिससे किसी को चोट पहुंचे। शायद यही गुण उन सभी में होना चाहिए, जो लोग देश और समाज के लिए कुछ योगदान कर रहे हैं। उपसभापति जी, फलदार वृक्ष ही झुकता है। हम जिस लोकतंत्र में चल रहे हैं। उसका एक निश्चित आदर्श है। लोकतंत्र सभी का है, लेकिन सबसे पहले उन पर ध्यान दिया जाता है, जो ज्यादा दुखी हैं और ज्यादा कमजोर हैं। हमारे यहां की एक उक्ति है-

कामये दुःख तप्तानाम्, प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्, जिसका अर्थ यह होता है कि राज्य और पद की इच्छा नहीं है - मैं पहली पंक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मैं यह चाहता हूं कि इस संसार में जो दुखी हैं, दीन-हीन हैं उनका दुख दूर हो, कष्ट दूर हो। मैं महसूस करता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा संबंध कांग्रेस दल या यू.पी.ए. से है, जब से यह सरकार बनी है, उसने सबसे ज्यादा ध्यान कमजोर वर्गों, गरीब वर्गों, किसानों और महिलाओं पर दिया है, उन सभी पर दिया है, जिनको ज्यादा सहायता की जरूरत है। राष्ट्रपति जी ने उन सभी बिंदुओं की चर्चा अपनी अभिभाषण में की है। शासन की पहचान किससे होती है? जैसाकि मैंने पहले कहा, जब हम देश के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, इसलिए अपनी बात शालीनता से कहनी चाहिए और मैं उसी शालीनता से अपनी बात कहने की कोशिश करना चाहूंगा, लेकिन कुछ उपलब्धियों को रेखांकित करना नितांत आवश्यक है। मैं यह कह सकता हूं कि यू.पी.ए. की सरकार ने पिछले चार वर्षों में जो काम किया है, उससे वह केन्द्र की सबसे सफल मिली-जुली सरकार साबित हुई है। इस पर चर्चा हो सकती है, किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसका जवाब भी हम तर्क से दे सकते हैं कि यह क्यों सबसे सफल मिली-जुली सरकार है। लोकतंत्र में शासन को उत्तरदायी होना चाहिए। शासन के उत्तरदायी होने का क्या अर्थ है? यह खाली एक मुहावरा नहीं है, यह केवल शाब्दिक खेल नहीं है कि शासन को उत्तरदायी होना चाहिए। यानि जनता ने आपको समर्थन दिया है तो जनता को आपसे सवाल करने का अधिकार है, उसे यह पता होना चाहिए कि उसके लिए आपने क्या किया है। यह अकेली सरकार है, जो हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट जनता को देती है। यह उत्तरदायी शासन का एक प्रमाण है कि हम अपने कामों का, अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा, सालाना हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। कठिनाइयों का बहाना नहीं बनाया जाता, किसके ज़ीवन में कठिनाइयां नहीं हैं, किस सरकार के सामने कठिनाइयां नहीं आतीं, उन कठिनाइयों के बीच जो अपने कदम बढ़ाता है, वह सफल कहा जाता है। इस सरकार ने तगाम कठिनाइयों, विध्न-बाधाओं, तमाम व्यवधानों के बीच अपना रास्ता बनाया है और आगे काम करती गई, जनता की सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ती गई है। जहां तक देश के तमाम हिस्सों, समाज के तमाम वर्गों का सवाल है, यूपीए की सरकार ने गांव और शहर का समन्वित विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, सभी तरफ ध्यान दिया है और सभी के प्रति न्याय की कोशिश की है।

महोदय, भारत निर्माण वैसे तो दो शब्द हैं और यह भारत निर्माण एक ऐसा विचार, एक ऐसी धारणा है, जो अत्यन्त व्यापक है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि भारत-निर्माण की धारणा कोई पहली बार इस सरकार के समय ही आई है। आजादी के बाद हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने देश को जहां पहुंचाया है, वह सबके सामने है। आजादी के समय की स्थिति और आज के समय की स्थिति में कितना अन्तर है, यह हम-आप, सब जानते हैं, लेकिन उस भावना को दोबारा जगाने का जो काम यूपीए सरकार ने किया है, उससे उसकी राष्ट्र-निर्माण की चिन्ता प्रकट होती है और उसको उसने बखूबी निभाया है। इस दौरान इन चार वर्षों में जिन बातों पर जोर दिया गया है, वे बातें बुनियादी बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। यह सर्वहितकारी दृष्टि, जो किसी भी लोकतांत्रिक शासन की होनी चाहिए, उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि गरीब और किसान सर्वोपरि है। हमारा किसान का बजट पेश हो चुका है। बहुत सारी बातें बजट की चर्चा के समय आएंगी, उनको मैं अभी से लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ दिक्कत होती है। बजट अच्छा है और ऐसा नहीं है कि बजट पहली बार अच्छा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता

हूं। ग्रामीण विकास के लिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव नजदीक आने वाला है, इसलिए चिदम्बरम साहब ने ग्रामीण विकास के लिए पैसा रख दिया है, ऐसा नहीं है। पहले साल ग्रामीण विकास का पैसा 11 हजार करोड़ से शुरू हुआ था और चौथे साल 50 हजार करोड़ पर पहुंचा और इसके बाद इस साल और बढ़ गया। धीरे-धीरे इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। ...(व्यवधान)... इसे धीरे-धीरे लगातार बढ़ाया जा रहा है अमर सिंह जी, सुन लीजिए। सर्वहितकारी दृष्टि है। अब अगर अच्छा बजट आया है, तो आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि काश, ऐसा बजट हमने पेश किया होता! अब चिदम्बरम साहब ने पेश कर दिया है, तो स्वीकार करना पड़ेगा।

इसके अलावा दो बुनियादी चीजें और हैं - शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पर हर साल लगातार जोर दिया गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, उस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, लेकिन क्या यह साधारण बात है कि यह संसार का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है, जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। यह मामूली बात नहीं है। गांवों के साथ, शहरों के लिए एक समन्वित विकास की जो योजना जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के जरिए आई है, आप सब जानते हैं कि 26 राज्यों के 51 शहरों में 25 हजार करोड़ से ज्यादा लागत की योजना बनी है। यह मामूली उपलब्धि नहीं है।

एक और चीज मैं कहना चाहूंगा। जैसा मैंने लोकतंत्र के लिए पहले कहा और मैंने उदाहरण दिया कि हम जो काम करते हैं, उनको शालीनता से करना चाहिए। मैंने आपको डा॰ मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया। मैं उसी तरह की एक उपलब्धि के बारे में कहूंगा। लोकतंत्र में कहां, सरकार के भीतर क्या हो रहा है, यह जानने का नागरिक को अधिकार है। हम लोकतंत्र की बातें बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया है, मैं उसको नहीं नकारता, लेकिन उस संघर्ष की सबसे बड़ी परिणति कानूनी तौर पर सूचना के अधिकार के रूप में यूपीए सरकार सामने लाई है। यह साधारण बात नहीं है। सूचना का अधिकार एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है कि लोकतंत्र की जड़ें रोज गहरी होती चली जाएंगी और इस देश में लोकतंत्र को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आज उसका हमें भले ही नक्श दिखाई पड़े, लेकिन आगे चल कर ...(व्यवधान)... ठीक बात है न, धन्यवाद।

इसी तरह से सकल घरेलू उत्पाद की बात कही गई, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, वह सब आपके सामने आ गया है और इसलिए मैं उन सारी चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। शिक्षा के लिए दसवीं योजना में जो प्रावधान था, इस योजना में और बढ़ा है और मैं मानता हूं कि इसे आगे और भी बढ़ना चाहिए। लेकिन समय की गति के साथ कुछ सीमाएं भी होती हैं, शायद इसीलिए अभी उतना बढ़ नहीं पाया है।

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ग्यारहवीं योजना में धनराशि दोगुनी हो जाने की उम्मीद है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसान भाइयों की बहुत सारी समस्याएं हैं और वे सभी एक ही दिन में हल नहीं हो सकती थीं, लेकिन जिस तरह से कृषि-ऋण को पहले से दोगुना करने का वादा किया गया था, वह तीन साल से पहले ही पूरा हो गया। वादा तीन साल का किया गया था, लेकिन ये तो केवल कुछ संकेत हैं।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्या हुआ?

श्री जनार्दन द्विवेदी: तीन साल से पहले यह पूरा हो चुका है, जबकि तीन साल का वादा था और अब कर्ज माफी वगैरह की सारी बातें आप जानते ही हैं। अमर सिंह जी को चैन नहीं होना चाहिए।

एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, जिसे स्वयं वित्त मंत्री जी एवं अन्य सभी ने भी स्वीकार किया है। कृषि उत्पादन का कम होना एक चिंता का विषय है और यह सही भी है। यह उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार समय-समय पर ऐसी योजनाएं ज़रूर लागू करेगी, वैसे भी ग्यारहवीं योजना में गेहूं, चावल और दालों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोत्साहन की दृष्टि से उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि पिछले

चार वर्षों में गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई है, वह ऐतिहासिक है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को किसानों का ध्यान है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो मैगा फूड पार्क्स हैं या नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जैसी संस्थाएं हैं, वे भी अंतत: किसानों को लाभ पहुंचाएंगी। यह साधारण बात नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन, विकास के कामों में समाज की भागीदारी का एक प्रतिमान है, जो इसी सरकार ने स्थापित किया है। जिस तरह से ऐसे वर्गों को प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है, वह भी ऐतिहासिक है।

मैं यह कह सकता हूं कि यूपीए सरकार आम आदमी की ही नहीं है, यह गरीबों की सरकार है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं, वे साधारण नहीं है। पिछड़े वर्गों के तीस लाख बच्चों के लिए ग्यारह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि निर्धारित करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है।

पहले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की चर्चा होती थी, उनके लिए ठोस कदम किसने उठाए? सिर्फ यूपीए सरकार ने उठाए। जिसकी बात हम करते थे, आज वे काम करके भी दिखाए जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है। असंगठित क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसे कार्यक्रम लाए गए हैं, इनकी सूची बहुत लम्बी है और मैं उन्हें गिनाना नहीं चाहता।

महोदय, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन बहुत बार सार्वजनिक विकास की परियोजनाएं लोगों के लिए कष्ट का कारण भी बनती हैं। इनसे लोग विस्थापित होते हैं, उन्हें उजड़ना पड़ता है और उजड़ कर कहीं दूसरी जगह बसना पड़ता है। ऐसे लोगों के स्थाई समाधान के लिए सरकार ने जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति लागू की है, वह जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसकी खुले दिल से प्रशंसा होनी चाहिए।

इसी तरह से हम पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों की बात करते हैं। उनके लिए भी सरकारों से ठोस योजनाएं और कार्यक्रम बनाने की उम्मीद की जाती है और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि इस क्षेत्र में एक और बड़ा कदम है। इतने कम समय में जिस सरकार ने इतने सारे ऐसे काम किए हों और ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हों, उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए। जब विकास कार्यक्रमों की बात की जाती है तो अल्पसंख्यकों की बात पर बहुत तरह की टिप्पणियां होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस देश में रहने वाले सभी लोग यदि समान हैं, यह खाली भाषण देने के लिए वाक्य नहीं हैं सभी समान हैं। इसलिए जो पिछड़े और कमजोर हैं और जिनकी संख्या कम है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? घर-परिवार में क्या होता है? अगर एक परिवार में कुल मिलाकर 3 या 4 बच्चे हैं, तो उनमें से जो बच्चा ज्यादा कमजोर होता है, उसका माँ-बाप ज्यादा ध्यान रखते हैं। यही स्थिति समाज की भी होती है। इसलिए महोदय, ये जो ग़रीब लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं, कामगार लोग हैं, अल्पसंख्यक भाई-बहन हैं, इनकी चिन्ता अगर यह सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करती है। ...(व्यवधान)...

इसी तरह मैं बच्चों की बात कहना चाहता हूं। बच्चों की सेहत और शिक्षा पर ध्यान देने के लिए बहुत-सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर और ध्यान दिया जाए। आज हम बाहरी तौर पर जितनी प्रगति कर रहे हैं, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकी और उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कहीं एक कमी है, समाज में भी और घर-परिवार में भी, कि बच्चों का बचपन छिनता जा रहा है। माँ-बाप से लेकर, अभिभावक से लेकर काफी लोगों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूं, जो बहुत दुख का विषय है। बहुत अच्छे खाते-पीते घरों में, संभ्रांत घरों में अगर किन्हीं दो वर्गों की सबसे ज्यादा उपेक्षा है, तो बच्चों की है और वृद्धों की है। बच्चों से देश का भविश्य है। वृद्धों के बारे में कम से कम इस भारत में तो हमेशा उनका ध्यान रखा गया है। पुरानी कहावत है-

"अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्"।।

जो अभिवादनशील होता है, विनम्र होता है, जो बड़ों की, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी चार चीज़े बढ़ती हैं। उसकी आयु बढ़ती हैं, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और शक्ति बढ़ती है। वह बढ़ती है या नहीं बढ़ती, लेकिन आत्मसंतोष तो मिलता है। समाज का भला होता है और एक पवित्र काम हम करते हैं। इसलिए बच्चों और वृद्धजनों के लिए बहुत-सारी योजनाएँ लागू हुई हैं, लेकिन अगर हम और भी कुछ कर सकते हों, तो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए।

इसी के साथ गाँव और देहात के नौजवानों का मामला जुड़ा हुआ है। मैंने रोज़गार की बात कही। रोज़गार गारंटी कानून की चर्चा हुई। जो ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून हैं, यह जिस तरह का कदम है, उस पर हम बातें तो करते हैं, लेकिन उसे लागू करने का उपाय होना चाहिए। इस सरकार ने उपाय करके दिखाया है। नौजवानों को सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, खेल आदि में भी बढ़ाने के प्रयास हुए हैं। खास तौर से आजकल खेलों में गाँवों के जो लड़के हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत युवा खेल एवं क्रीड़ा अभियान जैसा जो प्रयास हुआ है, इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 2-3 चीज़े ज़रा पीछे जा रही हैं। गाँवों के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। आम तौर से कस्बों और शहरों के युवा ज्यादा आगे आते हैं।

रक्षा, रेल, विद्युत और उर्वरक इन सब के लिए सरकार की जो नई कोयला नीति है, आप जानते हैं कि उससे एक प्रकार का लाभ होगा। एक नई खनिज नीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसा राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया था। इसको अतिशयोक्ति न माना जाए। जैसे कहा जाता था, धरती, आकाश और पाताल, ये सारे क्षेत्र आजकल मनुष्य के विचार और उसके प्रयास की सीमा में आ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको अतिशयोक्ति न माना जाए। धरती, आकाश और जल, इन तीनों क्षेत्रों में वर्तमान यूपीए सरकार ने वह किया है, जो इससे पहले करना कम से कम पिछले 10-12 सालों में किसी के लिए सम्भव नहीं हुआ। इसने सभी क्षेत्रों में किया है। ...(व्यवधान)... हाँ, ठीक कह रहे हैं ये जो खनिज हैं, अमर सिंह जी, मणियाँ पाताल से ही निकलती हैं और आप तो सबसे पहले वहाँ जाना चाहेंगे। मैं उसका उदाहरण भी दे सकता हूँ। मैंने खनिज की बात कही। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, रेल परिवहन योजनाएँ, नागर विमानन, नदियों का संरक्षण, पृथ्वी विज्ञान संरक्षण परिषद का गठन, ये सब क्या हैं? इसके अन्तर्गत सारा कुछ आ जाता है, दूरसंचार वगैरह भी।

इसी तरह से पहले उद्योगों की और सार्वजनिक उपक्रमों की बात बहुत पहले चली थी। ऐसी धरणा बनाने का प्रयास हो रहा था जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत उपेक्षा हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम रुग्णावस्था में थे और घाटे में चल रहे थे, लेकिन इसी सरकार ने उन में से 25 से ज्यादा इकाइयों को फिर से लाभकारी बनाने के लिए पैकेज स्वीकृत किया है। यही नहीं पिछले साल केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ में 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि भी हुई है जो अपने में स्वागत योग्य बात है।

महोदय, यह जो पिछला वर्ष बीता, यह साधारण वर्ष नहीं था। कोई भी सभ्यता, कोई भी देश और कोई भी समाज अपने अतीत पर गर्व करता है और अतीत के उन पूर्वजों पर गर्व करता है जिन्होंने अपने देश और अपने समाज के हित के लिए त्याग और तपस्या की। महोदय, अतीत के प्रति जिज्ञासा और सम्मान का भाव होना चाहिए, लेकिन वह जिज्ञासा और सम्मान का भाव देश को और आगे ले जाने के लिए होना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ, उस पर जितनी पहले चर्चा हुई, अब मैं उन अंग्रेजी इतिहासकारों और उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस रूप में उसे चित्रित किया गया, मैं समझता हूँ कि वह पूर्णरूप से असत्य था। वह एक ऐसा आंदोलन था जिस में जाति और धर्म की सारी सीमाएं मिट गई थीं। वह हमारे देश का खाली सैनिक विद्रोह नहीं था, वह समाज का भी विद्रोह था और अगर हम उसके प्रतीकात्मक इतिहास में जाएं - रोटियां

बांटने या उसका जो एक मूल्य वाक्य "सितारा गिर पड़ेगा" चलता था और इन वाक्यों के जरिए जो संदेश पहुंचाया जाता था, इसका मतलब यही था कि गांव-गांव में वह चेतना फैली हुई थी बहरहाल मानवता के लिए अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार के लिए वह भी ठीक वैसा ही कदम था, जैसा हथियार उसके कुछ समय बाद गांधी जी ने दिया। महादेय, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का भी यह शताब्दी वर्ष था और हमारी आजादी की 60वीं सालगिरह थी। हमने उसे सम्मान के साथ याद किया। अनेक कार्यक्रम हुए। नई पीढ़ी को उस सब से परिचित कराने का प्रयास किया गया और यह प्रयास एक ऐसी पूंजी है जो कभी बेकार नहीं जाएगी। महोदय, अगर हम इतिहास पर जाएं तो किसी भी देश के लिए आजादी कोई मामूली घटना नहीं है। यह हमारे देश के हजार-बारह साल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, सबसे महान घटना थी जिस में हम बहुत दिन बाद सिर उठाकर खड़े हुए थे। सारे देश ने इस अवसर को महसूस किया और शायद दुनिया ने भी महसूस किया और कम-से-कम गांधी जी के अस्त्र, सत्य और अहिंसा को सभी ने महसूस किया। महोदय, यह देखने में छोटी बात लगती है, लेकिन "यूनेस्को" ने लालकिले को विश्व की एक धरोहर माना। यह साधारण बात नहीं है और यहीं पर मैं "ऋग्वेद" का भी उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि उसे विश्व सूची में स्थान मिला। इस सब से भारत का गौरव बढ़ता है।

महोदय, हमारे देश में उत्तर-पूर्व का एक विशेष स्थान है, इसीलिए उसके विकास की अनेक योजनाएं लागू हुई हैं। सड़क, विमानन, संचार, शिक्षा और उद्योग समेत सभी क्षेत्रों में जितने काम इन वर्षों में हुए हैं, उनसे सभी को प्रसन्नता होनी चाहिए। महोदय, देश के निवासियों ही नहीं, प्रवासी भाई-बहनों के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं इसके लिए अलग मंत्रालय का गठन कोई साधारण घटना नहीं है। भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाह परिषद् के गठन का निर्णय और प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद् की स्थापना - ये ऐसे काम हैं जो इस बात का प्रमाण है कि हम पूरी दुनिया को कैसे अपनी निगाह के सामने रखते हैं।

महोदय, विदेश मामलों से संबंधित बहुत सी बातें हैं, मैं उनका उल्लेख विस्तार से नहीं करना चाहता, लेकिन हमने हमेशा चाहा है कि अपने आसपास के देशों के साथ हमारे शांति और सद्भावना के संबंध हों। हमारी नीति रही है कि देश के भीतर हमारी समदृष्टि, समभाव रहे और पड़ोस में सद्भावना और सहयोग रहे। इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किया है। सार्क शिखर सम्मेलन, भारत की पूर्वोन्मुख नीति, खाड़ी देशों और अरब देशों से सुदृढ़ संबंध, अफ्रीका के साथ ऐतिहासिक संबंधों पर ज़ोर, चीन, जापान, रूस और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में मजबूती, ये जो सारी चीजें हैं ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): चीन के साथ संबंध हैं, लेकिन...

श्री उपसभापति: आप बैठिए, अभी वह भाषण कर रहे हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: लेकिन चीन जो अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): वह समस्या तो आपके जमाने से आ रही है। वह समस्या तब भी थी, आज की नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)... पाणि जी, आप बैठिए।

श्री जनार्दन द्विवेदी: उपसभापति जी, मैं आपको संबोधित करके कहना चाहता हूं, उन्होंने यह बिल्कुल सही कहा है, किसी देश से संबंध सुधारने का मतलब अपने हितों की चिंता छोड़ देना नहीं होता। हम न झुकना चाहते हैं, न किसी को झुकाना चाहते हैं, हम सम्मान के साथ रहना चाहते हैं और सम्मान देना चाहते हैं। हमारी विदेश नीति का यह भी एक हिस्सा है। हर समय हमें अपने राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय हित की चिंता है, बल्कि, इसे मैं और आसान करके कहूं, तो न हम किसी को डराना चाहते हैं, न किसी से डरना चाहते हैं, न दैन्यं न पलायनम्।

उपसभापति महादेय, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। आजकल राजनीति और राजनीति करने वालों की आलोचना कटुतम शब्दों में होती है। इस आलोचना में कुछ सत्य है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, फिल्म, समाज और खासतौर से युवा वर्ग सभी जगह यह आलोचना है। कभी-कभी हैरानी होती है। खादी का कुर्ता-पायजामा या कुर्ता-धोती पहन कर पहले जब कोई निकलता था, तो लोगों का सिर सम्मान से झुक जाता था, मगर अब पहला प्रश्न पैदा होता है कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ होगी, नेता छाप दिखता है। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: इसीलिए आपने खादी पहनना बंद कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री जनार्दन द्विवेदी: यह कोई साधारण बात नहीं है और न ही ऐसी हंसी में उड़ाने की बात है, यह चिंता का विषय है। सवाल यह है कि यह कैसे दूर होगा? यह हमारे संसद के भीतर, संसद के बाहर, सरकार के भीतर, सरकार के बाहर अपने आचरण से ही दूर होगा, और किसी तरह से दूर नहीं होगा। हम सरकार बनाते हैं, तो सरकार कुछ करने के लिए बनती है। यहां गंभीर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। जनेश्वर जी यहां बैठे हैं, 60 के दशक तक, 70 के दशक तक इस सदन में, उस सदन में, भारतीय संसद के दोनों सदनों में बड़े गंभीर विषयों पर चर्चा होती थी और यह भी चर्चा होती थी कि कैसे इतिहास-लेखन होना चाहिए, कैसे इतिहास लिखा जाना चाहिए, कैसे दर्शन की और इतिहास की व्याख्या होनी चाहिए, उन सिद्धांतों पर चर्चा होती थीं। आप तर्क दीजिए, हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति का मतलब शत्रुता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ, अमर सिंह जी ने धारा दूसरी तरफ मोड़ दी, अकसर वह ऐसा काम किया करते हैं। उनकी पार्टी का नाम तो समाजवादी पार्टी है, तो उस विचार को भी उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जिस विचार से उसका जन्म हुआ था। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, इस पर विचार होना चाहिए कि इसे कैसे दूर किया जाए? आज खासतौर से युवावर्ग में इस तरह की भावना पैदा हो रही है, जबकि मैं यह मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता का संघर्ष किसी से कम नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वह चमक पैदा होती है, बड़ी मुश्किल से एक कार्यकर्त्ता एक नेता बनाता है, उसे बहुत संघर्ष करना होता है, उसे समाज के साथ जुड़ना होता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है, कष्ट भी सहने होते हैं। पहले तो लाठियां भी बहुत खानी पड़ती थी, अब थोड़ा कम हो गया है। उस संघर्ष के बाद, अब तो दिक्कत क्या हो गई है, कठिनाई क्या हो गई है, ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: जेल भी जाना पड़ता था इमरजेन्सी में। ...(व्यवधान)...

श्री जनार्दन द्विवेदी: जी, जेल जाना पड़ता था। अमर सिंह जी, मुझे क्यों बार-बार आपका नाम लेना पड़ रहा है? यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपसे ज्यादा तो मैं जेल गया होऊंगा उस जमाने में, आंदोलनों में। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: मैं कांग्रेस में था, इसलिए नहीं गया।

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री जनार्दन द्विवेदी: अच्छा ठीक है। यह गंभीर बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, एक सेंटेंस कहूँगा, आपने अभी पूछा कि समाजवादी पार्टी का कैसे जन्म हुआ? जब कांग्रेस गांधी जी के मार्ग से हट गई, तो इस बात के लिए समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। आप यह याद रखिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, आप बैठिए।

श्री जनार्दन द्विवेदी: माननीय उपसभापति जी, आज मुझे श्री उदय प्रताप सिंह जी के इस सवाल से बहुत ही प्रसन्नता हुई, आज मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक है और उसके गवाह उनकी बगल में बैठे हुए हैं। असल में दो धाराएं थीं, पहले तो एक ही धारा थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी जब बनी, तो उस समय आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण जी, डा॰ लोहिया, सुचेता कृपानी, जे॰बी॰ कृपलानी, अच्युत पटवर्धन जी, मधु लिमये, सारे के सारे लोग एक साथ थे, बाद में उनमें मतभेद हुए, तो प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी बन गई ... (व्यवधान) वह उसके बाद बनी 1965 में, छोड़िए, यहां समाजवादी आंदोलन का इतिहास बताने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य कुछ और है। गांधी जी के रास्ते से भटकने का सवाल नहीं है। जिन डा॰ लोहिया को कांग्रेस का कटुतम आलोचक और विरोधी माना जाता है, वे कांग्रेस से अलग नहीं होना चाहते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि किसी के प्रति असम्मान व्यक्त करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां कुछ लोगों ने बनाई कि उनको अलग होना पड़ा। वे कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करना चाहते थे, 1966 के नवंबर में हम लोग जेल में बंद थे ... (व्यवधान) आप बात सुनिए ...(व्यवधान) जब बात छेड़ी है, तो सुननी पड़ेगी। हुआ यह कि हम 4-5 लोग साथ बैठे थे, मैंने डा॰ लेहिया से पूछा कि डा॰ साहब आप कांग्रेस से अलग क्यों हुए, क्या आप महसूस नहीं करते कि आपने गलती की है? उन्होंने कहा कि मैं कौन सा अलग होना चाहता था। उन्होंने एक नाम लिया, मैं उस जगह डॉट-डॉट लगा देता हूं, उन्होनें कहा कि हम डॉट-डॉट के षडयंत्रों का शिकार हो गए। उस समय श्री गौड़े मुराहरि, जो राज्य सभा के उपाध्यक्ष थे, वे वहां बैठे थे, जनेश्वर जी थे, डा॰ लोहिया थे, राज नारायण जी थे तथा एक-दो लोग और भी थे और उन्होंने सबके सामने यह कहा कि ...(व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): इन्होंने हमारा तीन बार नाम ले लिया, लेकिन डा॰ लोहिया के जीवन काल के दौरान ये इस स्टेट्स के नहीं थे कि सीधे डा॰ लोहिया से बात करें। अब असत्य तो बोला जा सकता है, हम भी हांक सकते हैं, लेकिन हमारे सामने ये डा॰ लोहियां से बोल दें, या इनके बस की बात नहीं थी। ये कभी नहीं बोले ...(व्यवधान)

श्री जनार्दन द्विवेदी: सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि यह बात सच है या नहीं इसके अलावा यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता उनके लेखन से कि वे अलग नहीं होना चाहते थे, इसका जवाब मैंने श्री अमर सिंह जी को दिया है। यह जवाब नहीं है, क्या सही और क्या गलत है, जवाब यह होना चाहिए। बहरहाल यह बात सही है जो उदय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्त्ता का संघर्ष, राजनीतिक व्यक्ति का कर्म इस तरह का हो कि पहले की तरह से उसका सम्मान हो, लोग यह महसूस करें कि राजनीति, इतिहास निर्माण का एक कारण है और राजनीति को दोषमुक्त बनाने का दायित्व हमारा है। मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं कि जब आदमी सिर्फ अच्छी नीयत से काम करता है, उस परंपरागत दृष्टि से हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री राजनीति में नहीं थे, लेकिन जब वे राजनीति में आए, तो वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के तौर पर उन्होंने सिर्फ देश की सेवा के काम किए हैं और इसलिए उनके सम्मान में कोई आंच नहीं आई, यह उसका एक प्रमाण है, इसलिए जब जिस दायित्व का हम निर्वाह करें, उस दायित्व को हम उसी हिसाब से पूरा करने की कोशिश करें।

एक बात और समाज को यह समझना चाहिए कि हम राजनीति से बच नहीं सकते। समाज को यह समझना चाहिए कि राजनीति से बचा नहीं जा सकता। जो राजनीति से तटस्थ होने की बात करता है, वह भी बुराइयों को बढ़ावा देता है और जो राजनीति के विरुद्ध बोलता है, वह भी एक नकारवाद को लेकर चलता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो गांधी जी ने आज नहीं बल्कि 15 मई, 1920 को "यंग इंडिया" में उन्होंने लिखा था- "मेरे भीतर बैठे राजनीतिज्ञ में मेरे एक भी निर्णय को मुख्य रूप से प्रभावित नहीं किया और यदि मैं राजनीति में

भाग लेता दिखाई देता हूं तो वह केवल इस कारण कि आज राजनीति में सर्प की कुंडली की भांति हमें जकड़ लिया है, इसलिए मैं इस सर्प के साथ संघर्ष करना चाहता हूं, जैसा कि मैं कमोबेश सफलता के साथ जानकर 1894 से और अनजाने, जैसा कि मैंने अब समझा है, होश संभालने की उम्र से करता आ रहा हूं। यह उन्होंने कहा था। यह जो राजनीति का विद्रूप है, राजनीति का जो यह स्वरूप है, जो बिगड़ गया है, यह राजनीति का सर्प हैं, जो कुंडली मार कर बैठा है, उस सर्प के साथ संघर्ष करना चाहिए।

श्री शरद यादव (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि जो राजनीतिक लोगों की छवि के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उसमें इतना ही संशोधन करना चाहूंगा कि इस देश में यह दौर ऐसा हुआ है कि अच्छाई की चर्चा ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता सभी जगह इस तरह हो गया है, जैसा आपने उल्लेख कर दिया, जेनरलाइज कर दिया, मैं आपसे इतनी विनती करूंगा कि इस देश में अच्छाई का जिक्र, अच्छाई की चर्चा, इस देश में फिल्म के आदमियों के जन्म दिन मनाए जाते हैं लेकिन जयप्रकाश जी उसी दिन पैदा हुए थे, उनको नहीं दिखाई देता है, ऐसा दौर आया है कि जो अच्छे लोग हैं, उनका जिक्र बंद हुआ हैं। इस जिक्र को जब तक नहीं बढ़ाएंगें, अच्छाई जो देश में है, उस अच्छाई का कहीं जिक्र ही नहीं होगा। इस सदन में और उस सदन में कितने लोग रहे हैं, कितने लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, आज भी इस सदन में जो लोग हैं, कितने लोग हैं, आपने जनेश्वर जी का नाम लिया है, इस बाजू में बहुत लोग हैं, लेकिन इन लोगों का जिक्र, आज कल समाज के अंदर जो अच्छाई है, इतनी उपेक्षित हैं, जो आदमी कर्म और वचन से ठीक लोग हैं, उनके बारे में इस देश में आज कल जो नया बाजार आया है, वह इतने तरीके से उपेक्षा कर रहा है, यह काम आपकी सरकार का है।

श्री जनार्दन द्विवेदी: मैं शरद जी की इस बात से सहमत हूं ...(व्यवधान) ...।

श्री उपसभापति: राजीव जी, आप बैठिए, आप बहस को दूसरी तरफ मत ले जाइए ...(व्यवधान) ...।

श्री शरद यादव: आपकी सरकार को पहल करनी चाहिए कि जो प्रचार तंत्र है, वह न्यूज चैनल का नाम रखे हुए हैं, लेकिन दिन भर भूत-प्रेत और सब तरह के अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहा है। प्रधान मंत्री बैठे हैं, आपको इसी सदन में पहल करनी चाहिए कि जो प्रचार तंत्र है, वह क्या चीज इस देश में लाना चाहता है। क्रिकेट को खुलेआम बेच रहे हैं ...(व्यवधान)...।

श्री उपसभापति: इससे बहस दूसरी तरफ जाएगी ...(व्यवधान)...।

श्री शरद यादव: जब द्रौपदी बिकी थी तो महाभारत हो गया था और आज आदमी बिक रहा है तो आपकी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है ...(व्यवधान)...।

श्री अमर सिंह: क्रिकेट और क्रिकेटर, दोनों को बेचने वाले इसी सदन में बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)...।

श्री उपसभापति: अमर सिंह जी, आप बैठिए, बहस अलग बात है, आप बैठिए, देखिए डिबेट परह बहस हो रही है, आप बैठिए ...(व्यवधान)...।

श्री जनार्दन द्विवेदी: महोदय, शरद जी की पहली बात से मैं सहमत हूं, दूसरी बात में राजनीति है, पहली बात से मैं सहमत हूं। यह सही है कि जो अच्छाई है, उसको उजागर करना चाहिए और मैंने उसी की बात की है, इसी लिए मैंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात की, गांधी जी के "सत्य और अहिंसा" की शताब्दी की बात की और आजादी की साठवीं सालगिरह की बात की। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक-दो बातें और कहना चाहता हूं कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में समग्र और व्यापक दृष्टि से ही संपूर्ण और समग्र विकास हो सकता है। उसमें जब हम खंडित दृष्टि से काम करते हैं, जब राष्ट्र हित की जगह हम दूसरी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो विकास के काम भी रूकते हैं और वातारण भी दूषित होता है महोदय, यह खंडित

दृष्टि असल में प्रतिगामी है, जिसको अंग्रेजी में रिएक्शनरी कहते हैं। इससे हम पीछे जाते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यू॰पी॰ए॰ सरकार ने हर मुद्दे को, हर समस्या को समग्रता और व्यापकता में देखा है। हमने समस्याएं नहीं बढ़ाई, हमने समाधान प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसी का उल्लेख किया है, इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि एकमत से यह धन्यवाद प्रस्ताव करे और माननीय सदस्यों से संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं, धन्यवाद।

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to second this Motion. Sir, at the outset, may I convey my apologies to this august House for being slightly late? In a lighter vein, I was misled by the accuracy of time by which the House sat today and started its business. I do apologise.

Mr. Deputy Chairman, Sir the reply to the President's Address is a very unique proceeding of all parliamentary democracies. It has many unique features. It is , for example, the only mandatory one without which the Parliament cannot start. In fact prior to June, 1951, the mandatory nature was that you would have the President's Address before each session started. We amended it in 1951 because we did not want to trouble the President so many times in a year. In a sense, therefore, without this Address and its reply, no Parliament is possible. It is, in fact, one of the most important addresses and debates in the entire calendar. Earlier, there was alo a procedure where by it had to start the next day after the President's Address without any other business being taken up. We have also slightly amended that now. We are expected to start soon after but not necessarily immediately. The fourth unique feature is that in many parliamentary democracies, especially those linked to the British Commonwealth system, this debate in reply to the Motion on President's Address can go up to 15 days. In Canada, the usual customary duration is one month. We also give, by convention, three days odd. The idea is to open a channel of communication between the Government and the Legislature. As you know, the President is nothing else but the Government, as far as this particular provision of the Constitution is concerned. and any such channel of communication cannot afford to be clubbed. It is a vital source of communication between the Government of India and the Legislature, and as, for example, between two spouses, this clogging of communication can lead to unnecessary problems. It is, in a sense, a review of the year gone by; it is also a trailer for the future; and, finally, it is, of course, a tribute to Indian democracy that we discuss, we debate, we disagree, but it is always passed unanimously with or without amendments, and that, I think, is the strength of Indian democracy.

Mr. Deputy Chairman, Sir, this is the time to sit back and to express satisfaction on the achievements done. These need to be highlighted even if some of them are obvious. They need to be reiterated and underlined. It is also, however, a time to introspect in a non-adversarial and non-partisan manner. It is important to introspect also for nation-building. It is important to be self-critical because there are always many miles to walk which remain. It is also important to be self-critical because while we applaud the glass half full and while applauding the glass half full, we try to see that the stream of that glass half full is clear, unpolluted and pure. We also not only recognise but also empathise with the glass half empty. It is most importantly, Sir, a time to dream. It is a time to dream about India and India's future, about India itself. As somebody put it, "Dreaming permits each and everyone of us to be quiety and safely insane every night of our lives", but it is very delectable dream to dream about India and we have to dare to dream. May I, Mr. Deputy Chairman, Sir, start by asking myself the possible virtues in a wish-list of good governance. There are many wish lists of good governance. The common one, the UNDP lists the following virtues. Let us try to examine at the *kasauti* of those virtues how we have fitted ourselves thus far and how our

charter for future is going to pan out. That good governance wish-list includes; (i) participation, (ii) rule of law, (iii) transparency, (iv) responsiveness, (v) consensus orientation, (vi) equity, vii) effectiveness and efficiency, (viii) accountability, (ix) strategic vision, (x) respect, and, (xi) tolerance. It is not as if these are mere words, it is not as if they are taken for granted and Mr. Deputy Chairman, Sir, let me try to go through some of them and see the factual situation we are in.

Let us turn to equilty, which in a sense is linked also to respect and tolerance. It is very interesting, if you remember, sir, when Lincoln gave that famous definition of democracy, 'By the people, For the people', he added a very peculiar phrase 'Of the People; then, somebody said that 'By the people, and, For the People' would have been sufficient—why did he add 'of the People'—to make a definition of democracy complete and holistic and the answer was very interesting one. It was said, 'of the People' is a crucial core component, which signifies the co-equal ownership of democracy by each and every element of this nation. It is that element in which truly, we, the people are involved in owning democracy, our democracy, and if I may say so, Sir, the animating spirit behind this Government's attempts is to fulfil and realise or actualise, at least, partly, the 'of people' component and ownership of democracy by each and every one of us. that is really the true meaning of inclusive growth; that is really the true object, when every layer of the pyramid at any level, every stakeholder is made to feel that he owns a part of the pyramid.

We are, Sir, in India, rightly gung ho, with the spirit of rising India, of surging India, and, the spirit is good, rightly so. We are the world's second fastest growing economy after China. We have been growing at incredibly 6-6 1/2 per cent for twenty-seven years, year on year, average per year. For the last four years, we are growing at above eight per cent, and, the Goldman Sachs Report, usually a critic of India, suggests that this way we would achieve double digit growth, ten per cent or so, in the not too distant future. Several reports suggest that by 2025, we would be ahead of Japan as the world's third largest economy after US and China. Take any parameter, for example, car sales are touching the figure of eight million per year. There is an interesting statistics by a very eminent Indian professor who was in IIT earlier. He said, in the 1960s, when the IIT graduating class came out, within two years, the entire graduating class migrated to the USA. What was the figure last year? The figure last year of the IIT graduating class was three per cent and many are coming back. In the United States, for the top ten management schools to recruit people who apply for jobs, it takes two months on an average, whereas for the top ten schools in India, whether IIT or MBA, it takes less than four hours; that is the gung ho spirit of rising India, of surging India. But this gung ho spirit has to be tampered. It has to be tampered by reality. The reality around us can be equally shocking, bone-numbing, mind-numbing. On an average, it fluctuates. We have 25 per cent people below the poverty line. Of course, remember that by our own, somewhat funny, definition of poverty line, this is one dollar per day. Incidentally, I read an interesting article the other day about how this enumeration of poverty is done. If you have the survey as going, and, between the last year and this year, somebody has got a fan or somebody has got a toilet made, then he is struck off the poverty line list. So, there are actually people who are interested in hiding the extra toilet that they have made over the last one year because they are scared of losing their BPL status. But let us stick to our own definition.

It is not, and it can never be, a matter of pride for a country to have 25 per cent or 27 per cent people below the poverty line. What is more important is that the rate of decrease is relatively small and slow. The rate of decrease has been under one per cent of this poverty line. To be precise, it is 0.8 per cent, whether you take the average from 1993 to 2005 or you

take the average from 1999 to 2005, because, as you remember, it was in 1999 that we changed our measurement of the poverty line.

What is even more important is that in this overall figure of 25 per cent, it hides inter-State disparity. There are States like Punjab which have had a ratio of 6 per cent people below the poverty line. Well, if six per cent is the figure of Punjab and the average is 25 per cent, you can imagine that there is an inter-State disparity in lot of other States which is well above 25 per cent.

What is still more important is that there is inter-State disparity. Parts of Bihar or Chhattisgarh or Madhya Pradesh or Orissa would have rates of poverty different from their own State average. It is for this reason that the hon. President's Address speaks of inclusive growth. This is the rationale underlying that phrase. This is why we say that the 9-10 per cent growth must be inclusive, of course, but it must go as much to manufacturing sides as to the service; it must, of course, go to the agricultural sector. Most importantly, it must display labour flexibility, a greater inclusion of labour, labour-intensive activities and economies of scale.

Along with this poverty, Mr. Deputy Chairman, Sir, if we look at the other aspect, the true human development indicator, only one figure is enough--malnutrition. We have brought it down from 53 per cent in the early 1990s to about 39 per cent a couple of years ago in 2005. But 39-40 per cent of malnutrition along with 25 per cent people below the poverty line cannot be a figure to let us sit back and be self-congratulatory. ये आंकड़े उन लोगों के बारे में हैं, ये वे लोग हैं, जो चिराग बन कर जलते हैं हमारी और तुम्हारी महफिल में, लेकिन जिनके घर में कभी रोशनी नहीं होती।

That is why the Central Government budgetary support to key sectors has been unprecedented, in particular, during the UPA regime. These figures are know, but they are striking and, therefore, I must point out that the allocation on these three key sectors—agriculture, health, and rural development—has been tripled between the Tenth and the Eleventh Five Year Plans. In fact, if you add to this education, these four—education, agriculture, health and rural development—account together rightly for over half of the Eleventh Plan.

The Budget is hardly a week old. The Budget maintains creditably all the significant schemes initiated by this Government, whether it is the Drinking Water Mission where as much as Rs. 7,300 crore have been allocated, or, whether it is the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission where the allocation has been increased from Rs. 5,500 crore to Rs. 6,900 crore, or, whether it is the Rural Employment Scheme where all the districts of the country are progressively sought to be included. There are many more and the President's Address mentions them.

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग यहां पर राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं बजट पर नहीं।

श्री उपसभापति: वह रेफर कर रहे हैं।

1.00 P.M.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am referring to those elements which have found specific mention in the hon. President's Address. These are, Mr. Deputy Chairman, Sir, not mere acronyms. NREGA is not an acronym. It is not a mere name

or a figure. It is a concept pregnant with conduct, content and meaning. And it is a concept, as the hon. President mentioned specifically, which relates, in particular, to the rural sector and to the agricultural sector. Now, of course, there is a Budgetary aspect of the agricultural loan waiver which we have all heard about. But, kindly consider that this is focussed mostly in respect of small and marginal farmers. These are persons who are not only honourable, but they are persons who do not practise chicanery, they do not practise deviousness in avoiding loans. They are persons who suffer on loans on account of adversity beyond their control--be it seasonal factors, be it rainfall, be it pests and insects. After they suffer adversity, they do not have clever resource persons as many industrialists do to prevent the realisation of humongous NPAs, Non Performing Assets. For them, this is a real means of avoiding distress. For them, it is a real means of avoiding anxiety and we must not also forget that many of these loans might have remained, would have caused the same anxiety and distress, not necessarily much hope of recovery, except that you might recover a suicide body or a लाश in one particular case. It is this collective ownership of democracy which, I submit, is the underlying theme in the President's Address. It is the collective ownership of the people which is the underlying theme in the Budget. No tree can flower, no tree can bear fruits unless its roots are strong. Unless the bottom and the lower levels of pyramid feel invloved, unless the gap and the hiatus between many Indias in one, unless that gap is closed, you cannot hope to have true growth.

We are now talking of those people who can legitimately ask you the question:

"हमसे पूछो मिजाज बारिश का,
हम हैं कच्चे मकान वाले।"

These are, therefore, virtuous components of equity, participation and transparency. There is another in the list I gave, the UNDP wish-list of good governance, and that is, rule of law. We must ask ourselves the question. India is perhaps the only country which has emerged from the yoke of imperialism in the 1950s--perhaps the only country, I repeat. Not in Asia, not in Africa, not in South America, not a single other example. India emerged from the yoke of imperialism with the size and scope of poverty and other problems which we have, which has been a vibrant democracy unaffected by the wrecks and the ruins of constitutionalism which litter the constitutional landscape of the whole of South and South-East Asia. Why is it that? One important reason is that we have rule of law in this country and, therefore, we have to do everything possible to strengthen the concept of rule of law.

It is good that the Budget recently has increased the planned allocation to the judiciary. But, there are several issues where many more miles need to be walked. The allocations have to be increased even more. More importantly, India's average is running at about 12 or 13 Judges per million of population whereas the global average is above 40. There is a Supreme Court order which says that the number of Judges per million population in this country should be at least 50 Judges per million population. Well, for that, we need to increase judicial outlays dramatically. Let me give you a simple example. We have court fees levied by most States. Well, the court fee, although it is described as a fee and not as a tax, must be an earmarked amount which must go directly into the judicial kitty.

In actual fact, that does not happen. There are several other reforms. For example, why should there be a distinction in the age of retirement between High court and Apex Court judges? A High Court judge need not leave at 62, leaving you running and scrambling to make more appointments, whereas, a Supreme Court judge goes on up to 65. Both ages are

significantly less than the global average of 70 or 75. It is startling that right from Independence till today, two statistics stand out. There are roughly 700 High Court judges all over the country, if you add all the States. On an average, for the last 50-60 years, out of 700, at any point of time, 150 odd judicial seats have remained vacant. How can you uphold the rule of law if 150 seats of High Court judges out of 700 seats, for a country of this size, are always, at any point of time, vacant? Interestingly, the total figure of the lower court judicial officers is 14412. Twenty-five per cent of this, that is, one-fourth of this, similarly, has always remained vacant at any point of time over the last 50 years. Just as you cannot treat patients if you have hospitals but do not have doctors, you cannot uphold the rule of law unless you dramatically address the resource crunch for this sector.

The third aspect, or rather the fourth aspect which the hon. President touched upon was security or internal security. There cannot be any doubt that a major threat to democracy is the threat of terrorism, the threats to internal security. We cannot be complacent about it, and we cannot and should not be self-congratulatory. But equally, Mr. Deputy Chairman, Sir, we cannot be constantly bickering on this front. We cannot make the threat of internal security by our constant apprehensions and accusations into a self-fulfilling prophesy. We cannot create a fear psychosis or a climate of insecurity, not for political reasons, but because it weakens our national resolve. Since law and order is a State subject, since defence and external security is a national subject, Central subject, internal security is a strange hybrid which finds interestingly not any mention in the Constitution of India. it is an intermediate concept. It is a concept which is very important, but which has to be addressed jointly, by the joint efforts of the State Governments and the Centre. Finger pointing is no point. It does not solve problems. When States ask for assistance, the Central Government is duty bound to do it, and has frequently done it. It is also important not to run away from figures, and merely cast arguments on the basis of fears or insecurity. There is a problem of naxalism. But to suggest that one-third of the country is taken over by naxalism, is to create a feeling that India has ceded territory to the naxals. It is very interesting, and I checked upon this in the internal security debate of this august House earlier that, if even one village or one police post in a district is found to be affected by naxalism, the whole district is declared to be naxal-affected. On that basis, it is said that one-third of the districts of this country are naxal-affected districts. If I may humbly submit, the more accurate way of looking at it is that there are 14,000 police posts in the whole country. And do you know how many of these police posts are affected by the naxal? Three-hundred, that is less than 2 per cent. So, we must have a resolve to combat, we must crush them, we must attack them, we must meet them, we must rehabilitate them, but we must not necessarily give figures or arguments which are (a) not entirely accurate, (b) which create a misleading psychosis or ambience or psychology of defeatist one. Similarly, the fact of the matter is that in the last few years, naxalism has come to be concentrated in three major areas of this country. It is not to say that we must now reinforce and strengthen the resolve of those three States. It is not to allocate political colour to those States. But the fact of the matter is that everything has to be done in respect of those three States--Chhattisgarh, Orissa and Jharkhand because the figures are encouraging in one sense; there is a seventy per cent reduction in Andhra Pradesh, 70. Incidentally, if there are messengers of doom on any such issue, the reduction in terrorist figures in Jammu and Kashmir also, Friends, whether we like to say it or not, is seventy per cent, 70. These are published figures; these are figures which we do not have to merely tom-tom but these are also figures which must stop us from doing breast-beating of an unnecessary nature.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the fifth aspect is transparency and accountability, yet another of those two virtues in the good goverance wish list. It I may say so Sir, humbly, there are a very few Governments which have trod the path of these two virtues more assiduously, more sincerely, more doggedly than this Government. The RTI is the single most outstanding example, and about not only the Right to Information Act by itself but its real operationalisation also, there are teething problems; there are adjudicatory dialectics. but a balance is going to be achieved shortly because these are now in operation in every Department. There are hardly any sacred or holy cows which are immune from the RTI Act. Accountablity is not just an important part of the war on corruption; accountability of course, in dealing with corruption a very important issue which we sometimes forget to mention. But it is much more than that. It is a paradigm of good governance itself, and it is a paradigm which must travel downwards. By 'downwards' I mean, today, the reality, good, bat or indifferent is that the Central Government proposes but the State Government disposes. Today, the Central Government may decide, may conceptualise, may initiate, may offer, may contribute, but it is the State Government which disposes, which operationalises, which implements. That is true in 90 per cent of issues. That is a paradigm which is good for our federalism. Incidentally, our framers created a Constitution which was heavily centripetal, biased towards the Centre. That was why it was called not truly federal, but it was called "quasi-federal". It is very interesting. In actual reality, we are today much more federal than that in operation, whether because of regionalism, where because of regional parties, whether because of coalitions, whether because of decentralisation, whether because of Panchayati Raj and so many other things. One aspect of that is that good governance is no point being talked about at the Central level unless it is done at the State level. Take, for example the NREGA, a concept which is easy to pooh-pooh for political reasons but it is as innovative, as dramatic and as focussed towards public welfare as, for example, the loan waiver recently. But, ultimately, the NREGA must depend on that 'good governance' paradigm at the State level. Of course, the Centre must step forward and do fine-tuning every few months, every few weeks. It is interesting that recently, last week, a group of young MPs of the Congress Party, several of them, met the Prime Minister, who is present in this august House, and made constructive suggestions about fine-tuning the NREGA. The most important aspect of that fine-tuning is to institutionalise a monitoring mechanism, to institutionalise an auditing mechanism. These are constructive suggestions on which not only the Centre but the States also have to collaborate. And it is a suggestion or it is a series of suggestions without which we will not be able to get the best benefits out of such remarkably innovative and novel schemes.

Mr. Chairman, Sir, there is a sixth aspect of channelling the youth power. May I link that aspect of channelling the youth power with the related concepts of what we now call, two new phrases we have, 'demographic dividend' and 'India's soft power'. It is, I remember for all these years, the one thing we would all catch our head on, and sit and lament as our nightmare was our population problem. It is a unique achievement of this millennium that, for the first time, we don't talk of a population problem. That should not mean that we should not address population control. But it means that, for the first time, in the history of Indian independence, a supposed population problem has turned into a demographic dividend. We have, therefore, the largest percentage of youth below 50 in the world. We are far ahead of China and we will remain far ahead of China till 2050. Our productivity is the highest. The dependency ratio which experts call "the profile of population", namely, the dependency of the old population on the not-old population is the best in India. Well, then the time has come for the Government to find a way of utilising this youth power. A lot of these schemes,

a number of them were listed in the hon. President's Address, require monitoring the skills, the sincerity and idealism (a) of the youth and (b) if I may say so, one must consider utilising the ex-servicemen cadre a huge cadre, of this country, which is available relatively free from the ills of bad governance, but ideal for using as a monitoring, as a checking mechanism which is required for so many schemes. But to that, Mr. Deputy Chairman, Sir, we must add India's soft power. A Harvard professor, Robert Fisk, was prescient and prophetic because he wrote more than eight or ten years ago about India's soft power and that power which he talked about eight years ago has increased dramatically now. Don't forget the America of the sixties and seventies which also rode outwards on its soft power and Hollywood was the beachhead of that power. Well, we are proud in Idnia to have not only Bollywood, far larger than Hollywood, but we have the Indian music, the Indian food, the Indian dress, the Indian habit, the Indian culture, the Indian spirituality, the Indian smells, the Indian sound, the Indian sight and the Indian tourism. This is the package which is India's soft power, which led Rebert Fisk to mark eight years ago that India is like a hard fist in a velvet glove. The velvet glove is the external soft power. I am mentioning this to implore that that soft power must be used by the Government and the Opposition to build a beachhead, to build an intrusive penetrating landmark on the basis of that soft power, to use our hard economic power subsequently. This soft power gives us an opening; it gives us an initial advantage which many other competitors of ours lack. This is an aspect which, I have no doubt, the Government will take into account.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the Government has, among many other schemes, after many decades, set up an Administrative Reforms Commission. We have now six Reports of that Commission. One particular Report has to be looked at in particular. This is not to say that others should not. That is the Report on "Ethics in Government". This is not again some slogan or shibboleth. This should not remain as a sacred cow in our quest for reform. We should take up some of the recommendations in this. There are two dictionaries. One is the devil's dictionary, which sometimes we must consult, which gives interesting ironic. meaning. There is also a doubter's dictionary. The doubter's dictionary defines ethics and I quote:

"Ethics as a matter of daily practical concern described glowingly in commercial terms by those who intend to ignore it."

Well, it is for that reason that the Government sets up a committee like this; it is for that reason that you require legal mechanisms to enforce such recommendations and not rely merely on our individual and collective conscience or our individual and collective good sense because history teaches us that 'ethics is frequently for the man in front and not for youself'. Otherwise, if I may say so in a lighter vein, committees set up I am saying this entirely in a lighter vein with your permission, Mr. Deputy Chairman--would resemble my favourite definition of a committee, that is, "a group of the unfit appointed by the unwilling to do the unnecessary".

Mr. Deputy Chairman, Sir, may I now conclude? You were very kind in giving me sufficient time. In conclusion, may I say, as one US President said many decades ago, "Yesterday is not ours to recover; but tomorrow is ours to win or lose." A reply to the Motion of Address by the President is an occasion, in particular, to look at tomorrow. But not only look, to ask

ourselves, "Are we doing enough to win it or to lose It? We have to plan for the great leap of a rising and surging India. As you know when the chasm between different India's in one is very large; when any chasm or *khai* is very large, you cannot cross it in two leaps, you will take one big leap. So, we have to be ready collectively for that leap; for a high leap, for a big leap. Our country is large; our problems are large. But ultimately, it is our attitude which will determine how well we leap. As somebody said, attitude and not aptitude determines altitude how high you soar. May I Mr. Deputy Chairman, Sir, in conclusion say that India and this Parliament and this Government will not mind and should not mind to face the accusation of having tried and failed? What is important is to prevent the accusation that we failed to try. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at
twenty-one minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at twenty-one minutes
past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Abhishek Manu Singhvi's speech seconding the Motion is concluded. There are 167 amendments to the Motion which may be moved at this stage. Amendments Nos. 1 to 10 by Dr. Murli Manohar Joshi.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Uttar Pradesh): Sir, I move:

1. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

   "but regret that the Address does not mention the declaration to implement the recommendations contained in the Report submitted by the Department-related Parliamentary Standing Committee on commerce regarding Special Economic Zones."

2. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

   "but regret that the Address does not mention the declaration to ban indecent and obscene display against Indian cultural traditions and beliefs in the advertisement and publicity media of the country."

3. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

   "but regret that the Address does not mention to reenact the POTA for strengthening the internal security."

4. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

   "but regret that the Address does not mention about the implementation of any action plan to make the River Ganga free from pullution within a stipulated time period"

5. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

   "but regret that the Address does not mention the declaration to make all the documents related to Netaji Subhas Chandra Bose public at the earliest for removing doubts and mysteries regarding his death."

6. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about removing all unfounded and absurd course material from the University of Delhi which hurts the beliefs and sentiments of the Indian culture and traditions."

7. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about implementation of any plan to strengthen the social and moral values in the society which establish unity in diversity in the country."

8. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about India playing an active role in developing the world as a family instead of a market by removing conflicts and tensions present in the civilization prevailing in the world."

9. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the statement given by Mahatma Gandhi regarding the minority that a citizen of a country, who has converted his religion, cannot be treated as minority in his own country."

10. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about making a law regarding seeking prior approval from the Parliament by the Government before entering into any international treaty which has a bearing on the sovereignty and economic and strategic security of the country."

Sir, I also move:

11. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not metion about directions to make loans available to the farmers of the country at the interest rate of 4 per cent."

12. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any effective action plan to reduce the ever increasing cost in traditional industry, tea-plantations, handlooms, jaggery, manual tanning industry and bidi manufacturing industries, etc., in the country."

13. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the establishment of a system of 10 years training for all over the country to improve the work efficiency of the labourers from unorganised sector of the country.

14. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any targeted action plan for expression of the system of free medical facility in the country".

15. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any stipulated action plan aimed at bringing the school education system of the Govt. sector in the country at an advanced level."

16. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the declaration of a new policy for the development of cottage industry for promoting the establishment of cottage industry on the basis of labour intensive techniques in the country."

17. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the concern regarding failure in achieving the target stipulated in past years for the construction of roads in the rural regions of the country and a firm resolution to achieve the said target in near future."

18. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention the declaration of bringing comprehensive changes in the present economic and industrial policy to change the situation arisen due to lopsided development in the country for nearly two years."

19. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about declaration of any target to eradicate unemployment from the country."

20. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about effective measures to protect the interest of small investors of the country in view of uncertainty arisen due to increasing influence of foreign financial institutions in the share market of the country."

21. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the concern on failure of achieving the pre-determined targets regarding the establishment of additional power generating capacity and declaration of a time frame to bring the power supply on a par with demand in near future."

22. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about country-wide plan for proper management of rain and river water available in the country."

23. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the plan of having a time-bound target to augment the collecting capacity for the harvesting of rain water in the country."

24. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of any action plan at a national level to provide opportunities of employment to the unemployed people of urban areas, especially women and weaker sections."

25. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any effective action plan to remove the adverse effects of climatic changes on the industries, agriculture and human life in the country."

26. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any Government resolution to bring the rate of yield of wheat, paddy, oilseeds and pulses on a par with the international rate of yield."

27. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about announcement of a policy for the promotion of research and exploration to develop technology with Indian resources for the development of agriculture and cottage industries in the country."

28. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about announcing a policy for disbursing 60 per cent of loans to the agriculture, cottage industry sector, backward classes and small entrepreneurs on priority basis out of the total loans to be disbursed to them in the priority sector by the Government and private banks of the country."

29. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about announcement of a corrective policy regarding funding to bring down the prices of the most essential commodities of daily consumption by the common man in the country."

30. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about announcing a national policy for utilizing the barren land excluding the forest land for agriculture in the country."

31. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any effective policy for developing indigenous capital and resources on priority basis."

32. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any national policy for increasing the production of medicinal herbs in the country and for making their knowledge accessible to the common man by promoting their use in treatments."

33. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking effective steps for preventing commercialisation of medicine and education sectors in the country."

34. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about announcement of an effective policy for protecting the interests of small shop keepers due to increasing investment of large domestic and foreign capital and competition in the retail market of the country."

35. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about a national level action plan for making the forest land more dense and expanding it to free the country from environment pollution."

36. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the effective and targeted steps to be taken for establishing strong diplomatic relations with the foreign countries to neutralise the activities of the international terrorist organisations in the country and for making the Indian borders free from infiltration."

37. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking steps for bringing about comprehensive reforms in media and making the administrative system more effective to prevent the incidents of growing atrocities on women and making a healthy and ethical atmosphere for protecting the families from breaking up."

38. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any action plan for converting the toxic ground water in various States of the country into clean drinking water and for the protection from the diseases caused due to the toxic water."

39. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking any effective steps for reducing steep rise in prices of the agricultural products by the time they reach the consumers after being purchased from the farmers."

40. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about implementing the provision of the Eighty-Sixth Constitutional Amendment, 2002, from the Academic Session commencing from the 1st July, 2008."

41. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about banning the circulation of vulgar and obscene curriculum and books under sex-education in various regions of the country."

42. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not announce any policy for encouraging the use of a low budget technology for making the agriculture production remunerative."

43. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about promoting the agriculture production technique based on its orientation from the land to laboratory instead of laboratory to land."

44. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about wide ranging reforms in the existing administrative system for ensuring accountability at all levels of the administration."

45. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any scheme for setting up a Commission on the lines of the Pay Commission at the national level for ensuring minimum income for farmers."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 46 to 85 by Shri Ramdas Agarwal. Not present. Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

86. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

87. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बनाये जाने वाले 6 एम्स जैसे अस्पतालों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

88. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महंगाई से त्रस्त आम आदमी की परेशानियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

89. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंगा सहित देश की नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

90. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रचार एवं प्रसार माध्यमों में भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं एवं मान्यताओं के विरुद्ध भौंडे एवं अश्लील प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

91. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु पोटा कानून का पुन: अधिनियमन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

92. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली विश्वविद्यालय में तथ्यहीन एवं अनर्गल पाठ्य सामग्री को, जो भारतीय संस्कृति एवं परम्परा की मान्यताओं एवं भावनाओं को आहत करती है, को हटाए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

93. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विविधता में एकता कायम करने वाले सामाजिक नैतिक मूल्यों को समाज में सुदृढ़ करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

94. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रम प्रधान तकनीकी के आधार पर कुटीर उद्योगों के विकास हेतु किसी नई नीति की घोषणा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

95. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में विफलता पर चिंता और भविष्य में उन लक्ष्यों को हासिल किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

96. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

97. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

98. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोवंश संरक्षण के संबंध में कानून बनाए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

99. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के संबंध में संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

100. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश राज्य को और अधिक बिजली उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

101. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में समान शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

102. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिवनी, मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

103. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन में हो रही लगातार कमी को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

104. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए किसी लक्ष्य की घोषणा किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

105. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उपलब्ध वर्षा एवं नदी जल के समुचित प्रबंधन के लिए किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

106. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गेंहू, धान, तिलहन और दलहन की उपज दर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपज दर के स्तर पर लाने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

107. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी के दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

108. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खुदरा बाजार में बड़ी और देशी और विदेशी पूंजी के बढ़ते निवेश को देखते हुए छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।"

109. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए वनभूमि को अधिक सघन करने और उसमें विस्तार करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।"

110. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की गतिविधियों को निष्प्रभावी करने हेतु विदेशों से गहरे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने, भारतीय सीमा को अवैध घुसपैठ से मुक्त करने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

111. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विषाक्त भूमिगत जल का स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

112. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वेतन आयोग की तर्ज पर आयोग का गठन किए जाने की योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।"

113. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की समस्या के निवारण के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।"

114. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लाखों अवैध प्रवासियों, विशेषकर बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की उपस्थिति जो कि न केवल संघ के विभिन्न राज्यों के जनसांख्यिकीय रूपरेखा अपितु आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

115. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नक्सलवाद के बढ़ते खतरों से सुचारू रूप से निपटने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

116. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य तेल, दालों, चावल, गेहूं और सब्जियों इत्यादि जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

117. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन की लागत को कम करने के लिए उर्वरक, सिंचाई के लिए जल, विद्युत, डीजल, बीज आदि के मूल्यों में कमी किए जाने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।"

118. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति से मुकाबला करने के लिए नदियों के अंत: संयोजन को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

119. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महंगाई से त्रस्त आम आदमी की परेशानियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

120. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में व्यापक सूखे की स्थिति के कारण उत्पन्न संकट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

121. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

122. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए "किसान आय गारंटी योजना" का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

123. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

124. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में ऐसे व्यक्तियों से, जो क्षेत्रवाद को फैला रहे हैं, दृढ़ता से निपटने के सरकार के दृढ़ संकल्प का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

125. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर उत्तर भारतीयों पर हुए हमलों की घटना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

126. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर हुए हमलों के पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सरकार के संकल्प का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

127. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में नकली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए किसी समयबद्ध कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

128. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हुई अपराध की घटनाओं को रोकने के सरकार के किसी संकल्प का उल्लेख नहीं किया गया है।"

129. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में एक समय-सीमा के भीतर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने और उनकी संख्या बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया गया है।"

130. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में उर्वरकों की कमी और उर्वरकों की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

131. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है।"

132. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में जैव-ईंधन के उत्पादन और प्रयोग को बढ़ावा देने और मोटर ईंधन में एथनॉल मिलाने की सरकार की नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।"

133. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यान्वयन में पेश आ रही कमियों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है।"

134. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में व्याप्त बाल श्रम की निरंतर प्रथा तथा इसे रोकने के लिए सरकार के संकल्प का उल्लेख नहीं किया गया है।"

135. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश के विभिन्न स्थानों पर एलपीजी की कमी तथा इसकी सामान्य आपूर्ति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

136. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में किसानों को चार प्रतिशत की दर पर ऋण की उपलब्धता का उल्लेख नहीं है।"

137. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में हर किसान को राजसहायता प्राप्त दर पर बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।"

138. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में ऋणों की जोर-जबरदस्ती से वसूली किए जाने पर रोक लगाने के लिए सरकार के संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

139. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में निर्दोष लोगों के शोषण को रोकने के लिए किराए के (सरोगेट) मातृत्व और वीर्य बैंक के विनियमन हेतु विधि का अधिनियम किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

140. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में भारत में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या वाले उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों पर सुविधाओं का विकास किए जाने और सड़क तथा हवाई संपर्कों की अवसंरचना का विस्तार किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

141. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में विशेषकर बच्चों की हर वर्ष बड़ी संख्या में मौतों के लिए जिम्मेवार भयंकर जापानी इंसेफेलाइटिस और उसके नियंत्रण के लिए सरकार के संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

142. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश के सभी गांवों में पेय जल, मध्याह्न भोजन के साथ प्राथमिक शिक्षा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पर विशेष बल देते हुए उनके समग्र विकास के लिए सरकार की समयबद्ध नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

143. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर पर बढ़ रही विदेशी पर्यटकों की आवक और पर्यटक गंतव्य स्थलों पर कई दृष्टि से दोषपूर्ण और खराब सुविधाओं तथा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 144 to 153 by Shri Dara Singh. Not present. Shri Sharad Anantrao Joshi.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, I move:

154. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the suicides committed by thousands of farmers in the country."

155. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention enough concern for the continuous trend towards increasing prices."

156. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention any concern about the apprehensions expressed in the World Bank Development Report, 2008, about India's capacity to feed its population by 2020."

157. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any specific requirements that the plans for settlement of the persons displaced due to ongoing projects must meet."

158. That at the end of the Motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not mention about the imminent catastrophe of climate change which has already resulted in several hundreds of deaths due to extreme heat and cold and precipitation."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment No. 159 by Shrimati Brinda Karat. Not present. Shri Sreegopal Vyas.

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

160. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में सभी देशवासियों की भावनाओं का आदर करते हुए सेतु समुद्रम योजना के बदले में तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए सुझाए गए विकल्पों पर विचार किए जाने तथा राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।"

161. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में पशु-आधारित कृषि को समर्थन प्रदान करने और संविधान में परिकल्पित गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करके किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

162. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में इस तथ्य के मद्देनजर कि वामपंथियों के साथ रिश्ते बरकरार रखते हुए वामपंथी अतिवाद का मुकाबला कर पाना संभव नहीं है, वामपंथी अतिवाद का मुकाबला करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।"

163. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में भारत को आत्म-निर्भर और शक्तिशाली बनाने के लिए थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा का युद्ध स्तर पर विकास करने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।"

164. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में मलेशिया में कैद भारतीय मूल के लोगों की रिहाई तथा उनका वहां स्वाभिमान के साथ रहना सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले निर्णायक कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

165. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में केन्या में भारतीय मूल के लोगों को वहां की स्थानीय समस्याओं से उत्पन्न कठिनाइयों से राहत दिलाने के लिए किए जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

166. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में ऐसे व्यक्तियों अथवा संगठनों, जो स्वयं को भारत की घोषित नीति के विरुद्ध तथा आम जनता से भिन्न यहां का मूल निवासी मानते हैं, और अलगाववादी आंदोलनों से भी संबंध बनाए रखते हैं, के विरुद्ध की जाने वाली कठोर कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

167. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में नागरिकों के उत्थान के लिए पंथ के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी, पिछड़ेपन आदि के आधार पर बनाई जाने वाली योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Motion and the Amendments are open for discussion. Shri Raj Nath Singh.

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन् जिस समय इस धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन के सम्मानित सदस्य, श्री जनार्दन द्विवेदी जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं बहुत ही गम्भीरतापूर्वक उनके विचारों को सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस आजाद भारत में एक समय ऐसा था जबकि राजनेताओं के प्रति जनसामान्य का सम्मान देखने को मिलता था जब भी कोई व्यक्ति खादी वस्त्र धारण करके अथवा श्वेत वस्त्र धारण करके बाहर निकलता था, तो लोग यह मानते थे कि वह एक नेता है और उस नेता के प्रति लोगों के मन में सम्मान रहता था। लेकिन आज राजनीति और राजनेता दोनों के प्रति जन-सामान्य में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। आप ने इस बात की भी चर्चा की कि यह विश्वास का संकट और गहरा होता जा रहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस विश्वास के संकट को, इस crisis of credibility के चैलेंज को कौन पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार करेगी, कौन राजनेता इस crisis of credibility के चैलेंज को स्वीकार करेगा? यह crisis of credibility पॉलिटिक्स में तभी पैदा होती है जब नेताओं की कथनी और करनी में, कृति और कथन में अंतर होता है। श्रीमन्, इस विश्वास के संकट की चुनौती को हम तभी स्वीकार कर सकते हैं जब इस कथनी और करनी, कृति और कथन के अंतर को समाप्त करें। श्रीमन्, मैं इस अभिभाषण को पढ़ रहा था, इसके फर्स्ट पैरा में एक सेंटेंस लिखा है जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। The measures taken by my Government has created the necessary architecture of inclusive growth. श्रीमन्, यह कैसी inclusive growth हुई है, कैसा समावेशी विकास हुआ है? आम आदमी महंगाई के तले दबा जा रहा है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति एक अदद मकान के लिए तरस रहा है। किसान, मजदूर आत्म-हत्या करने को मजबूर हो रहा है। मैं यह देखता हूं कि सब पीड़ित हैं - चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो या चाहे वह मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति हो। तो इस inclusive growth में कौन-कौन included हैं, यह मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा? श्रीमन्, मैं जानता हूं कि यह सरकार इसका उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि यह एक रहस्य है और मैं मानता हूं कि यह कोई साधारण रहस्य नहीं है बल्कि एक मायावी रहस्य है। इंडियन फिलॉस्फी या भारतीय दर्शन में माया के विषय में कहा गया है कि यह दिखाई तो पड़ती है, लेकिन यह समझ के परे है। यह इंडियन फिलॉस्फी में माया

के बारे में कहा गया है। तो यह inclusive growth का world अभिभाषण में तो दिखाई देता है, लेकिन यह हम सब की समझ के परे है कि यह inclusive growth है क्या? यदि प्रधान मंत्री जी अपने उत्तर में इसे स्पष्ट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उनका आभारी रहूंगा।

श्रीमन्, इसी अभिभाषण में कहा गया है कि क्षेत्रीय संतुलन in the context of development, कैसा क्षेत्रीय संतुलन है? मैं यहां पर सारे देश की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, एक महाराष्ट्र राज्य की चर्चा करूंगा। एक तरफ मुंबई की चकाचौंध और दूसरी तरफ विदर्भ का क्षेत्र जहां कि हर 8 घंटे में एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। क्या विकास के संदर्भों में इसी प्रकार का क्षेत्रीय संतुलन पैदा करने का इस गवर्नमेंट ने प्रयास किया है? क्या इसी क्षेत्रीय संतुलन की राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में प्रशास्ति की गयी है?

श्रीमन् अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि यह सरकार महंगाई को रोकने के लिए प्रयत्नशील है। हां, यह बात सही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें बढ़ी हैं, उस के बारे में कहा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑइल की कीमतें बढ़ी हैं जिसके कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं। उसका कारण बतलाया गया है, लेकिन अभिभाषण में इस बात की चर्चा नहीं की गयी है कि आटा, दाल, चावल, तेल यानी दैनंदिन आवश्यक उपभोग की वस्तुओं या essential commodities की कीमतें क्यों बढ़ी हैं? इसका कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है। श्रीमन्, अब यदि मैं यहां पर सारे data आपके सामने रखूं तो मेरी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मुंबई के थोक मार्केट के भावों की चर्चा यहां पर करना चाहूंगा जहां कुछ दिनों के अंदर भाव बढ़े हैं। काबुली चना 3600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर कुछ ही दिनों में 5000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मसूर दाल का भाव 3200 से बढ़कर 4000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, पॉम ऑइल जो 56 रुपए पर के०जी० था, उसकी कीमत बढ़कर 62 रुपए पर के० जी० हो गयी है। श्रीमन्, इतनी तेजी से इन आवश्यक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें, बढ़ी हैं, लेकिन अभिभाषण में मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट इस महंगाई को रोकने के लिए सतत प्रयत्न कर रही है। श्रीमन्, प्रयास जारी है, एक तरफ गवर्नमेंट का प्रयास भी जारी है और महंगाई का बढ़ना भी जारी है।

भले ही यह प्रयास कब सफल होगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं यह समझता हूं, श्रीमन्, कि कहीं न कहीं इस गवर्नमेंट की आर्थिक नीतियों में, इकोनोमिक पॉलिसीज में ही दोष है, सिस्टम में कहीं न कहीं दोष है, इसे सुधारने की दृष्टि से इस पर जो सरकार की नजर पड़नी चाहिए, वह नजर नहीं पड़ रही है और इसी कारण असेन्सियल कमोडिटीज की प्राइसेस इतनी तेजी के साथ बढ़ रही हैं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में, इस आजाद भारत में केवल केन्द्र में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के राज्यों में लंबे समय तक टू/थर्ड, थ्री/फोर्थ मेजोरिटी के साथ अगर किसी एक पोलिटिकल पार्टी ने हुकूमत की है, तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन यह कैसी विडंबना है कि 45-50 वर्षों तक टू/थर्ड, थ्री/फोर्थ मेजोरिटी की गवर्नमेंट केवल केन्द्र में ही नहीं, राज्यों में चलाने के बावजूद भी आज हमारी सौ करोड़ की संख्या की यह भारत दुनिया की डवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा नहीं हो पाया। अब इस कांग्रेस-लेड-यूपीए गवर्नमेंट से हम कैसे अपेक्षा करें कि यह कांग्रेस-लेड-यूपीए गवर्नमेंट जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों को नियंत्रित करने में, उन पर काबू पाने में सफलता प्राप्त करेगी? यह हमारी समझ के बाहर है। मैं तो यह मानता हूं कि इस गवर्नमेंट के पास इस देश की अर्थ-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अथवा इसे काबू में रखने के लिए जो एक इच्छाशक्ति चाहिए, जो एक सामर्थ्य चाहिए, उसका कहीं-न-कहीं अभाव है। मैं यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा कि 6 वर्षों तक इस भारत देश में एनडीए की गवर्नमेंट रही है, चाहे इस देश का कोई इकोनामिस्ट हो, चाहे दुनिया के किसी दूसरे देश का इकोनोमिस्ट हो, इस सच्चाई को नकार नहीं सकता कि आजाद भारत के इतिहास में इन 6 वर्षों तक लगातार महंगाई को बांधे रखने में, रेट ऑफ इन्फलेशन कंट्रोल रखने में यदि किसी गवर्नमेंट ने सफलता प्राप्त की है, तो वह एनडीए गवर्नमेंट ने प्राप्त की है। इस गवर्नमेंट को भी यह विचार करना चाहिए कि कौन से ऐसे कारण रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, जिनके कारण एनडीए के शासन-काल में महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित रही? लेकिन, जब से यह गवर्नमेंट आई है, महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रति वर्ष अभिभाषण में ये सारी बातें हमको पढ़ने को मिलती हैं कि गवर्नमेंट महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास जारी है, प्रयास जारी है और जब मैं बार-बार अभिभाषण में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा, श्रीमन्, मैंने एक फिल्म कहीं लंबे समय के बाद देखी थी-लगे रहो मुन्ना भाई, इसी तरह केवल गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लग रही है।

श्रीमन्, इस अभिभाषण में नेशनल रूरल एंपलायमेंट गारंटी स्कीम की बहुत चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि इसके पहले तो सौ जिले, डेढ़ सौ जिले, इतने ही एनआरईजीपी स्कीम के तहत कवर किए गए हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर देश के सारे जिलों को इसके अंतर्गत लिया गया है। क्या कंट्रोलर एंड ऑडीटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है, उसको देखा? सौ जिलों में जहां यह योजना लागू की गई है, उसका लाभ सौ जिलों के केवल आठ फीसदी लोगों तक ही पहुंच पाया है। गवर्नमेंट को पहले यह विचार करना चाहिए कि हमारे डिलेवरी मैकेनिज्म में कहां पर कोई फॉल्ट है, कहां कोई दोष है और उस डिलेवरी मैकेनिज्म में पहले सुधार करना चाहिए ताकि हम इस योजना को ठीक तरीके से लागू कर सकें। हम इस योजना के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेरोजगार युवक हैं, उन बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इस योजना को लागू किया जा रहा है, गवर्नमेंट सफलता-पूर्वक इस देश के सभी जनपदों में इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करती है। हम सभी जानते हैं कि यह योजना एक नेशनल रूरल एंपलायमेंट गारंटी एक्ट के तहत चलाई जा रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से ये योजना निष्प्रभावी होती जा रही है, यह एक्ट अपने में एक डैड लेटर बनकर रह गया है, इसका कोई प्रभाव ही नहीं रह गया है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस योजना पर जो प्रभावी तरीके से अमल नहीं हुआ, है, क्या कोई भी शिकायत कहीं पर दर्ज हुई है? इसके लिए रेस्पॉंसिबल कौन है, क्यों नहीं यह योजना प्रभावी तरीके से लागू हो पाई? मैं समझता हूं कि एक भी शिकायत इस एक्ट के तहत नहीं की गई है, ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और इस योजना को ठीक तरीके से लागू किया जा सके। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि BJP और NDA ruled जो हमारी states हैं, उन्होंने इसे प्रभावी तरीके से लागू किया है। यहां पर हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, जो इस सच्चाई को जानते हैं ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): Will you yield for a moment? *(Interruptions)*

श्री उपसभापति: नारायणसामी जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)... you can respond to it when you speak.

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति जी, NDA गवर्नमेंट के कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं इस देश के विकास के लिए प्रारंभ की गई थीं और जब मैं इस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं का अध्ययन कर रहा था, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिनका केवल नाम बदल दिया गया है, लेबल बदल दिया गया है, लेकिन कमोबेश वे वही योजनाएं हैं और मैं समझता हूं कि उस नाम को बदलने का भी कोई औचित्य नहीं था। मैं इस मत का हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में मोटे तौर पर यह आम सहमति होनी चाहिए कि चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया हो, अथवा कोई बहुत ही लोकप्रिय और लोकहितकारी योजना किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई हो, उस पर भी मोटे तौर पर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, उसकी सहमति होनी चाहिए और उस पर effectively, प्रभावी तरीके से अमल किया जा सके, यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

अब जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हम लोगों के शासन काल में थी, उसी को बदलकर National Rural Employment Guarantee Scheme कर दिया गया। हम लोगों के शासन काल में जनश्री बीमा योजना थी, उसको आम आदमी बीमा योजना कर दिया गया। इसी तरह हम लोगों के शासन काल में समग्र विकास योजना थी, उसको Backward Region Grant Fund कर दिया गया, यानी मूल प्रारूप को देखें, तो बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है।

उपसभापति जी, मैं इस अभिभाषण के 27 से लेकर 35 तक के पैराग्राफ पढ़ रहा था, उसमें भारत निर्माण, नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सारी चीजों की चर्चा की गई है। प्रधान मंत्री जी भी हमारी बात से सहमत होंगे और उन बेंचों पर बैठे हुए सारे लोग सहमत होंगे कि पहली बार इस आजाद भारत में नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसी योजना प्रारंभ की गई थी और साथ ही साथ नॉर्थ, साउथ, East and West Corridor को 6 लेन सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम आरंभ हुआ था। वह सारा का सारा प्रोजेक्ट अधिकतम 2007 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वह योजना पूरी नहीं हुई, इसका क्या कारण है? क्या गवर्नमेंट ने इस बात की समीक्षा की कि जिस योजना को 2005, 2007 तक पूरा होना चाहिए था, उस पर काम पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है या बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस पर समय भी ज्यादा खर्च हो रहा है और जब किसी प्रोजेक्ट का समय बढ़ता है, तो उस पर खर्च भी बढ़ता है। उस खर्च का खामियाजा सचमुच इस देश की आम जनता को भी भुगतना पड़ता है।

उपसभापति जी, इस अभिभाषण के आठवें बिंदु की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें agriculture sector की चर्चा की गई है, लेकिन मुझे आश्चर्य है और मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा कि इसमें कृषि क्षेत्र की चर्चा तो की गई है, लेकिन जिन किसानों ने कर्ज़ के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या की है, उन किसान परिवारों के प्रति एक भी संवेदना का शब्द इस अभिभाषण में नहीं कहा गया है। यह किसी भी गवर्नमेंट की संवेदनशून्यता की हद नहीं है, तो और क्या है? जब कि सारा देश जानता है, देश ही नहीं, दुनिया के दूसरे लोग भी जो भारत के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वे भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में इस देश के किसान कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, अपने उत्पाद की उचित कीमत न मिलने के कारण वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया का इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के समक्ष भाषण हो और उसमें संवेदना के एक-दो शब्द भी उन किसानों के प्रति न बोले जाएं। श्रीमन् इस पर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि छः माह में छः किसानों ने आत्महत्या की है, छः माह में छः सौ किसान, और यह सरकार इस सच से आंख चुराने की कोशिश कर रही है। श्रीमन् सच से आंख चुराकर सरकार तो कुछ दिनों तक चलाई जा सकती है, लेकिन सच से आंख चुराकर देश नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं इसका उल्लेख है, इस समय देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, आपने भी और इस यूपीए सरकार ने माना है कि यह समस्या इस देश की एक गंभीर समस्या है। हर आठ घंटे पर एक किसान आत्महत्या काने को मजबूर हो रहा है। श्रीमन् इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद इसमें मुझे एक आश्चर्य हुआ कि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी और उस एनडीए की गवर्नमेंट के काल के अंतिम वर्षों में मैं ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उस समय प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर कहा कि राजनाथ सिंह जी किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शीघ्र एक आयोग बनाया जाना चाहिए, मैंने भी अपनी सहमति दी और किसान आयोग का गठन हुआ। किसान आयोग के उस समय अध्यक्ष कोई दूसरे थे, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद उस अध्यक्ष को बदल दिया। डॉ० स्वामीनाथन एक जाने माने कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, वह उसके अध्यक्ष बने। हम सबको प्रसन्नता हुई। किसान आयोग की रिपोर्ट आ गई। किसान आयोग की रिपोर्ट की अभिभाषण में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। अब डॉ० राधाकृष्ण के चेयरमैनशिप में कोई एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है, उस एक्सपर्ट कमेटी ने संभवतः अपनी रिपोर्ट दी है, उसका तो उल्लेख है, लेकिन किसान आयोग की रिपोर्ट का कहीं उल्लेख नहीं है। किसान आयोग ने साल डेढ़ साल पहले ही इस गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। क्या सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर इस किसान आयोग की संस्तुतियों पर यह सरकार विचार नहीं कर सकती? क्यों नहीं विचार किया? यदि वास्तव में कृषि क्षेत्र की समस्याओं के प्रति यह सरकार इतनी गंभीर है, तो क्यों विचार नहीं किया? जब कि दो वर्ष से मैं बार-बार, हमारी पार्टी भी और व्यक्तिगत रूप से मैं भी, श्रीमन् बार-बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किसान आयोग की recommendation पर इस सरकार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसके recommendation को लागू करना चाहिए, लेकिन हम लोगों की बातों को पूरी तरह से इस गवर्नमेंट ने अनसुनी कर दिया। अब प्रधान मंत्री जी का दौरा भी विदर्भ क्षेत्र मे जब पिछले वर्ष हुआ था तो उसके कुछ ही महीनों के बाद मैं गया, मुझे यह उम्मीद बंधी कि प्रधान मंत्री जी का दौरा हुआ है और एक अच्छा-खासा पैकेज उस क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधान मंत्री ने दिया है और लगभग 3750 करोड़ रुपए का पैकेज। शायद अब विदर्भ क्षेत्र का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होगा, लेकिन प्रधान मंत्री जी के वापस आने के बाद, श्रीमन् आपको जानकार आश्चर्य होगा कि किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई। इसका मतलब है कि उनके द्वारा उस क्षेत्र के लिए दिए गए इकोनोमिक पैकेज से किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए थी, वह राहत नहीं मिल पाई। अभी कुछ महीने पहले मैं भी विदर्भ क्षेत्र गया था, दो दिन की हमारी यात्रा थी और ऐसे कई परिवारों में मैं स्वयं भी गया, जिन परिवारों ने आत्महत्या की थी, सचमुच यदि कोई वहां जाकर, उन परिवारों को देखेगा, उन परिवारों के सदस्यों से बात करेगा, यदि उसमें थोड़ी बहुत भी संवेदना होगी तो निश्चित रूप से उसे बेहद पीड़ा होगी, असहाय पीड़ा होगी। अब इस गवर्नमेंट ने कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कहा है कि हम कर्ज की माफी कर रहे हैं। कर्ज माफी की हम लोग भी मांग करते रहे हैं, बार-बार उस पर बल दिया है, वर्षों से हम मांग करते रहे हैं। कर्ज माफी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कर्ज माफी का यह कदम आनन-फानन में, जल्दबाजी में उठाया गया है, सोच-समझकर उठाया नहीं गया। कृषि क्षेत्र की सारी समस्याओं का जैसा व्यापक अध्ययन होना चाहिए, वैसा अध्ययन नहीं हुआ, यह बात समझने की कोशिश नहीं की गई कि कितने फार्मर्स ऐसे हैं जो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, कितने ऐसे हैं जो कि कॉपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं, कितने फार्मर्स हैं जो प्राइवेट मनी लैण्डर्स से यानी साहूकारों से कर्ज लेते हैं, इन सब सारी चीजों का अध्ययन नहीं किया और आनन-फानन में यह कदम उठा लिया गया। अब बजट पर जब चर्चा होगी तब हमारे पक्ष के सभी सम्मानित सदस्य इस संबंध में विचार करेंगे, क्योंकि मैं बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज माफी की घोषणा से देश के

आम किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली, नहीं मिली, मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन पांच एकड़ की लिमिट निर्धारित की गई है, दो हैक्टेयर, लेकिन दो हैक्टेयर की लिमिट निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि यह सिंचित क्षेत्र के लिए या असिंचित क्षेत्र के लिए है? ...(व्यवधान)... जो असिंचित क्षेत्र है, जो छोटा किसान है, मर्जिनल किसान है, उसके पास भी पाच एकड़, दस एकड़ से ज्यादा की असिंचित ज़मीन होगी। ... (व्यवधान)... बुंदेलखंड है, कई ऐस क्षेत्र हैं, विदर्भ मे है, कई क्षेत्रों में है, मैं सारे क्षेत्रों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह हालत है, उसकी भी चिंता नहीं की गई है। क्या होगा उन किसानों का? जबकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज़ादी के साठ वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज तक कृषि क्षेत्र का चालीस फीसदी ही इरिगेटेड है, सिंचित है और साठ परसेंट एग्रीकल्चरल लैंड आज भी ऐसा है, जो कि पूरी तरह से असिंचित है। तो कर्ज़ माफी की घोषणा करते समय इसका कोई उलेख इसमें नहीं किया गया है और एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कैसे नीचे जा रहा है, वह बताने की जरूरत नहीं है। आज से कुछ वर्ष पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर का बाईस, तेईस, चौबीस और पच्चीस परसेंट इस देश के जी.डी.पी. में कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, आज वह कंट्रीब्यूशन घटकर सत्रह परसेंट तक आ गया है। क्या हुआ? जिस देश की सत्तर फीसदी आबादी जिस पेशे में लगी हुई है, जिस किसी क्षेत्र में लगी हुई है, उस सत्तर फीसदी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन इस देश के जी.डी.पी. में सत्रह परसेंट? कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को?

श्रीमन, कई महत्वपूर्ण कदम कृषि क्षेत्र के हालात को सुधारने के लिए सरकार को उठाने पड़ेंगे। हमें सच्चाई को समझना होगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जो उत्पादक है, प्रोडयूसर है, कंज्यूमर है, वह किसानों की जनसंख्या है। जब इस देश के किसानों की परचेज़िंग कैपेसिटी, उसकी क्रय क्षमता बढ़ जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस हिंदुस्तान को पांच से लेकर दस वर्षों के अंदर दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में खड़े होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती।

श्रीमन, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम हम लोगों ने ईजाद की थी और इस संबंध में मैंने प्रधान मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कई बार पत्र भी लिखे। अब उस स्कीम के डीटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं। एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, उस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से different यह फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में केवल एग्रीकल्चरल प्रोडयूस इंश्योर होता है, लेकिन फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम में प्रोडयूस और price, दोनों ही इंश्योर होते हैं और जिस दिन आप फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम लागू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान के खेत की, एग्रीकल्चरल लैंड की ऐश्योर्ड इनकम तय हो जाएगी। चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए, अकाल आए, चाहे जो भी संकट आए, चाहे जिस भी प्रकार की नैचूरल कैलेमिटी से उसको क्यों न जूझना पड़े, लेकिन वह किसान अपने खेत की एक ऐश्योर्ड इनकम के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त रहेगा और अपने भविष्य की एक वर्ष की योजनाओं को ठीक तरह से बना सकेगा, और उस पर अमल कर सकेगा, लेकिन इस योजना को भी ...मुझे याद है कि संभवत: अपनी पहली बजट स्पीच में, इसी सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने इस योजना की सराहना की थी और यह कहा था कि with certain amendments, कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ भविष्य में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन श्रीमान, चार वर्ष का समय गुज़र गया। मुझे लगता है कि उस फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम की योजना को डस्टबिन में डाल दिया गया है। एक बार इस योजना को experimental basis पर लागू करके तो देखिए। मैंने उस योजना के बारे में उस समय के वित्त मंत्री, जो आज यहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं. मान्यवर जसवन्त सिंह जी, इनसे मैं मिला था और उस योजना की मैंने जानकारी उन्हें दी। मैंने कहा कि मैं experimental basis पर इस योजना को लागू करना चाहता हूं और बीस जिलों में लागू कर दीजिए। इन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह, यह ऐसी योजना है कि बीस जिलों की आप बात क्यों करते हो, आप सौ जिलों में इसको लागू करोगे, तो मैं इसके लिए वित्त मुहैया कराने के लिए तैयार हूं। एक ऐसी योजना और वह डस्टबिन में पड़ी है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कमियां हों, कुछ खामियां हों, उन्हें दूर किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित आमदनी के प्रति हिंदुस्तान के किसान को आश्वस्त तो किया ही जा सकता है।

बार-बार हम लोग Rate of interest के बारे में मांग कर रहे हैं कि rate of interest किसी भी सूरत में एग्रीकल्चरल लोन पर 4 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 4 परसेंट, और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल सैक्टर को जो भी लोन दिया गया है, 4 परसेंट rate of interest पर दिया जाए, लेकिन एक वर्ष का moratorium भी होना चाहिए कि एक वर्ष तक किसान को अपने लोन पर एक भी पैसा interest न देना पड़े, यह भी व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत सुधारना चाहते हैं तो और कोई

दूसरा रास्ता नहीं है। हरित क्रांति की बात बहुत की जाती है। पहली हरित क्रांति हो चुकी है। दूसरी हरित क्रांति की भी चर्चा होने लगी है। लेकिन जो हरित क्रांति हुई थी, वह केमिकल फर्टीलाइज़र्स के कारण हरित क्रांति थी। मैं इकनॉमिक सर्वे - 2008 देख रहा था। इस केमिकल फर्टीलाइज़र के कारण कैसी दुर्दशा, कैसी दुर्गति किसानों की हो रही है, जमीन की fertility किस तरीके से घट रही है, उसकी उत्पादकता किस तरीके से घट रही है। महोदय, ऑरगेनिक फार्मिंग की तरफ इस देश के किसानों को हम कैसे आगे ले जाएं, इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, इसी अभिभाषण में प्रोसेस्ड फूड के प्रोडक्शन की चर्चा की गयी है और सरकार ने कहा है कि हम इसको तीन गुणा और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि ग्लोबल ट्रेड में भारत का शेयर 2015 तक डबल हो सके। यह निश्चित रूप से स्वागत योगय कदम है। इसे किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि प्रोसेस्ड फूड की आप बात करें, आम व्यक्ति के लिए जो खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है, क्या उसके बारे में भी सरकार ने कोई योजना बनायी है? इस समय ऐसा लगता है जैसे सारे देश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया हो। फूड सिक्योरिटी की क्राइसिज़ गहरी होती जा रही है। आठ वर्षों तक यह देश अपना सीना ठोककर यह कहता रहा है कि खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। हर इंटरनेशनल फोरम पर हम अपना सीना ठोककर बोलते थे कि खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। आज हालत यह हो गयी है कि हम दुनिया के दूसरे देशों से खाद्यान्न इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक गेहूं ऐसा मंगाया है - लाल गेहूं - जिसे खाने के बाद लोगों की आंखें और चेहरे, सब लाल हो जाएं और खून सफेद हो जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया से आया है। महोदय, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं किसान परिवार से हूं, मैं कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से या दुनिया कें दूसरे देशों के किसानों से जिस कीमत पर गेहूं इस सरकार ने केवल अपने गोदामों को भरने के लिए खरीदा है, उससे दो सौ रुपए प्रति क्विंटल कम कीमत पर अगर हिन्दुस्तान के किसानों से खरीदा होता तो इस देश का किसान हिन्दुस्तान के गोदामों को अब तक लबालब भर चुका होता। लेकिनं ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी आरोप लगाने की हमारी आदत नहीं है लेकिन मुझे कहीं न कहीं दाल में काला दिखाई दे रहा है। ....(व्यवधान)..... मैं इस विश्वास से अपनी बात रख रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी देखें कि दाल में कहां 'काला' है, गेहूं में कहां 'काला' है? उस 'काला' को निकालिए। हालत इस सीमा तक पैदा हो गयी है कि यदि कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो उस आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त फूडग्रेन का जो स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, वह नहीं है। आज जो बफर स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, वह भी नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों से हम उसे मंगा रहे हैं। यह हालत है। इनक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। मैं इस भाषण के बिन्दु नम्बर 13 और 14 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात की गयी है - 2006-07 में भी और 2007-08 में भी। बहुत अच्छा है बढ़ाना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो बढ़ा है, वह कम है। हम लोगों के समय भी बढ़ा था - वह बजट का दो परसेंट था। आज एक परसें ट है। मैं इस सरकार के मुखिया प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सचमुच आप अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के कल्याण की बात यदि सोचते हैं तो माइनॉरिटी इंस्टीटयूशंस में भी इन्हें रिज़र्वेशन क्यों नहीं दिया जाता? आपने तो जो दिया हुआ था, उसे भी छीन लिया। यह कहां का इंसाफ है? मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर कब तक हम इस प्रकार की वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस देश में करते रहेंगे? मैं फोरम से मांग करना चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग हैं, जो इस देश के अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान हैं उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, इससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस अभिभाषण का पोइंट 20 मैं देख रहा था, 'Women hold up half the sky', मायने, आधा आसमान यह महिलाओं का। इस देश की राष्ट्रपति महिला हैं, यू॰पी॰ए॰ की चेयर पर्सन महिला हैं लेकिन महिलाओं के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है। इस देश की संसद में अथवा इस देश के विधान मंडलों में महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण मिलना चाहिए। यह आवाज संसद में और संसद से बाहर सड़कों पर भी बराबर हम लोग उठाते चले आ रहे हैं। इस सरकार ने भी यह भरोसा दिया था कि जल्दी ही महिलाओं को संसद में और विधान मंडलों में 33 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा लेकिन इस अभिभाषण में कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं हैं मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को 33 फीसदी का प्रतिनिधित्व देने के लिए अब रिजर्वेशन बिल आ पाएगा। इसमें मुझे संदेह है। श्रीमान, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं और ट्रेज़री बेंच को आश्वस्त करना चाहता हूं कि महिलाओं को भारत की संसद में अथवा विधान मंडलों में 33 फीसदी का प्रतिनिधित्व देने के लिए यदि कोई बिल लाया जाएगा तो बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: देखिए, प्रमुख प्रतिपक्षी दल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बिना किसी शर्त के समर्थन करें गे, इसलिए प्रधान मंत्री जी, आप बिल ले आइए ...(व्यवधान)..... हमने विड्ड्रा नहीं किया, आपने पास नहीं होने दिया।

वह बिल हमने कतई विद्ड्रा नहीं किया। उधर के लोगों ने पास नहीं होने दिया। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल के अध्यक्ष सदन के फर्श पर खड़े होकर प्रधान मंत्री जी की मौजूदगी में कह रहे हैं कि आप महिला बिल लाइए हम पास कराएंगे। प्रधान मंत्री जी, अब गेंद आपके पाले में है।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन, मैं कहना चाहूंगा कि आधा आकाश महिलाओं का है लेकिन यह आधा सच नहीं है, पूरा सच है। लेकिन इस पर सरकार को अमल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और जैसा मैंने आश्वस्त किया है कि यदि कोई भी बिल लाया जाएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे।

श्री अमर सिंह: राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आधा आकाश महिलाओं का है और वृंदा कारत जी ने महिलाओं के लिए कुछ अमेंडमेंट किया है, उसको स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: इनका अमेंडमेंट मूव नहीं हो सका क्योंकि वे उपस्थित नहीं थीं लेकिन उस पर मेरा अमेंडमेंट नं० 86 है। उसको स्वीकृत करें। क्योंकि आपका तो मूव नहीं हो पाया। लेकिन मेरा अमेंडमेंट नं० 86 इसी पर है।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमान, इस अभिभाषण के पैरा-41 में टैक्सटाइल्स इंडस्ट्री के डवलपमेंट की बात कही गई है, मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसा मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट की आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो अच्छे कार्य किए हैं मैं उनकी सराहना भी करूंगा। अब एक टैक्नोलॉजी मिशन ऑन टैक्सटाइल्स गवर्नमेंट ने लांच करने की बात कही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन एक चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के ब्रांडेड कपड़े इस समय भारत के बाजार में आ रहे हैं। लेकिन हमारे स्थानीय वस्त्र चाहे वे हमारे कलकत्ता के हों या कंजीवरम के हों, चाहे लखनऊ के हों अथवा वाराणसी के हों, वह इस समय प्रतिस्पर्द्धा के संकट से गुजर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं उनके कम्पटीशन में यह खड़े नहीं हो पा रहे हैं इसलिए हमारे कांचीवरम, लखनऊ, कलकत्ता और बनारस के बने हुए जो कपड़े हैं इनको भी संरक्षा प्रदान किया जाने की आवश्यकता है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना, चाहिए। अब इंडियन स्पेस प्रोग्राम के साइंटिस्ट को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि चन्द्रयान फर्स्ट का प्रेक्षपण इसी वर्ष के अंत में प्रारम्भ होने जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह पहला अनमेन्ड लूनर मिशन चन्द्रयान फर्स्ट होगा। श्रीमान, मैं यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि "My Government is fully alive to the threat of terrorism and Left Wing terrorism" Left Wing terrorism! Left Wing terrorism!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to work as per rules. I will get it examined.

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि इसे काफी नियंत्रित करने में इस गवर्नमेंट ने सफलता प्राप्त की है। आतंकवाद नियंत्रित होना चाहिए, इस पर मैं समझता हूं कि इस पर किसी की असहमति नहीं हो सकती है। लेकिन आतंकवादी घटनाएं जिस तेजी के साथ इन चार वर्षों में बढ़ी हैं और अगर सरकार उसे यह मानती है कि आतंकवाद की घटनाएं नियंत्रित हुई हैं, तो अनियंत्रण किसे कहते हैं! अनियंत्रण की परिभाषा क्या होगी? अब इस देश का चाहे कोई आर्थिक केन्द्र हो, राजनैतिक केन्द्र हो, सांस्कृतिक केन्द्र हो अथवा सामाजिक केन्द्र हो, बौद्धिक केन्द्र हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, बंगलौर हो, कहीं कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, जहां पर आतंकवादी घटनाएं न हुई हों। कश्मीर के बाहर तो पहली बार रामपुर, उत्तर प्रदेश में पैरा मिलिट्री फोर्सेज के कैम्प पर आतंकवादियों का हमला हुआ है, यह जम्मू-काश्मीर के बाद पहला हमला है। उसके बाद भी आतंकवाद को काबू पाने में यह सरकार सफल समझती है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, कुछ भी हो, आतंकवाद की नजर में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। श्रीमन्, फिर भी मुझे यह पता नहीं है कि सरकार को यह स्थिति कैसे नियंत्रण में लगती है। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: मुम्बई, महाराष्ट्र में भी आतंकवाद है। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, विगत तीन वर्षों में जम्मू-कश्मीर और नार्थ-ईस्ट के राज्यों को छोड़कर देखा जाये तो लगभग 20 आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं। इन 20 आतंकवादी घटनाओं में 485 लोगों की मृत्यु हुई है, 1522 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं और इन तीन वर्षों में जितने लोगों ने इस आतंकवाद की वारदातों के कारण जानें गवायीं हैं, यह 60 वर्षों का जो आंकड़ा है, उससे अधिक है। उसके बाद भी यह सरकार कहती है कि स्थिति नियंत्रण में है।

श्रीमन्, यह सरकार जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रही है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आतंकवाद से लड़ने की किसी भी प्रतिबद्धता, किसी भी कमिटमेंट का उल्लेख नहीं है, यदि है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, तो वह "पोटा" कानून को समाप्त करने की है।

आतंकवाद से लड़ने के लिए जो प्रतिबद्धता, जो कमिटमेंट कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में होना चाहिए, वह नहीं है, बल्कि है, तो वह "पोटा" को समाप्त करने की है। यह उल्लेख कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में है।

श्रीमन्, प्रधान मंत्री जी भी जम्मू-कश्मीर गए थे, तो सेक्योरिटी फोर्सेज को सम्बोधित करते हुए उन्होंने जीरो टालरेंस की बात कही। यदि कोई संदिग्ध आतंकवादी है, तो उसके विरुद्ध भी कोई ज्यादती न हो सके, कोई अतिरेक न हो सके। अतिरेक तो किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ज्यादती तो किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, हम लोग भी नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने सेक्योरिटी फोर्सेज के सामने यह बात बोली। स्वाभाविक है कि अनजाने में भी एक घटना भी हमसे घटित न हो जाये, इसकी चिंता बराबर सेक्योरिटी फोर्सेज को, पर्सेनल को सताती रहती है, सुरक्षाकर्मी को सताती रहती है। इससे उसका मनोबल टूटता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि इस मामले में जीरो टालरेंस की सीमा यह है, तो आतंकवाद के मामले में इस गवर्नमेंट की टालरेंस की लिमिट क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं? कब यह आतंकवाद इस देश में नियंत्रित होगा? जब होता है, तब सरकार में बैठे हुए लोग यह फोरकास्ट करते रहते हैं कि फलां जगह Atomic centre पर हमले होने वाले हैं, कभी कोई नेता मारा जाने वाला है, कहीं पर लश्कर का आतंकवादी और जेहादी चल चुका है, इस तरह से तरह-तरह के फोरकास्ट किए जाते हैं। लेकिन सचमुच इसको रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए, वे प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

श्रीमन्, अब इस अभिभाषण में सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण की, माडर्नाइजेशन की बात कही गयी है। माडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन सुरक्षा बलों का मनोबल केवल मशीनी हथियारों से नहीं बढ़ेगा, यदि हम सुरक्षाकर्मियों के मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उन्हें कानूनी हथियार भी देने पड़ेंगे। आपने पोटा कानून तो समाप्त कर दिया है, लेकिन इस पोटा कानून का कोई वैकल्पिक कानून लाए बिना ही समाप्त कर दिया। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यह बात कह रहा हूं, विरोधी पक्ष का होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। कई अधिकारी जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, वे चिंता व्यक्त कर चुके हैं और प्रधान मंत्री जी से भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि इस आतंकवाद के संकट से जूझने के लिए, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जैसा एक सख्त और कठोर कानून होना चाहिए, वैसा सख्त कानून नहीं है। श्रीमन्, मैं प्रधान मंत्री जी को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि इस आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा से भी सख्त कोई दूसरा कानून बनाने के लिए यह सरकार कोई पहल करती है, तो हमारी पार्टी उसका पूरी तरह से समर्थन करती है। सरकार ने यह पोटा कानून समाप्त करते समय यह भी कहा है कि पोटा के कारण मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, यह क्या तमाशा है? क्या इस देश का कोई भी समुदाय अपने को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़कर कभी देखना चाहेगा? भाषण में यह बात कही गई कि पोटा से मुस्लिम समुदाय भी भावनाएं आहत होती हैं। ...(व्यवधान)... सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हैं। ...(व्यवधान)... नहीं तो पोटा कानून समाप्त करने का क्या औचित्य है? ...(व्यवधान)... मैं वह स्टेटमेंट निकाल कर दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): आपका पोटा कानून रहते हुए सदन पर हमला हुआ। ...(व्यवधान)... आपका पोटा कहां गया? ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: कोई हो, ...(व्यवधान)... श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Who said this? ...(*Interruptions*)... Who said that minorities'...? ...(*Interruptions*)... Kindly tell us who said this.

श्री राजनाथ सिंह: आपको इसको भी दिखा दूंगा, आप बैठिए। आप परेशान मत होइए, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नारायणसामी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... You can give an answer to this when you make a speech. नो, नो जब आप बोलें ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: सर, जब पोटा में मुसलमान नहीं रखे, राजनाथ सिंह जी को पता है। इनके सहयोग से बीजेपी की सरकार चल रही थी। वहां पर राजपूत पकड़े गए थे, राजा भैया पकड़े गए थे, पोटा के अंतर्गत। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: मैं तो वही कहता हूं कि पोटा कानून के कारण किसी एक समुदाय की भावनाएं आहत होती हों, ऐसा नहीं है। यही मैं कह रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं यह कह रहा हूं कि किसी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि एक समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं तो यह तर्क पूरी तरह से गलत है। मैं यही कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): Rajnathji, there is no mention of any religion or any community anywhere; so, it is not correct.

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, मैं यहां पर अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करना चाहता हूं। अभी हाल ही में देवबंद में मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं ने आतंकवाद को इस्लाम विरोधी बतलाया है। सामूहिक रूप से देश के सारे मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो धर्म गुरु उलेमान हैं, उन्होंने एकत्रित होकर इसका विरोध किया है। श्रीमन्, मैं इस फोरम के माध्यम से भी उनके इस कदम का स्वागत करना चाहता हूं और मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अब वोट बैंक की पालिटिक्स का चक्र छोड़ना चाहिए। अब तो खुली आंख से इस आतंकवाद का जिस हद तक दमन किया जा सकता है, इस आतंकवाद का दमन किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। वोट बैंक की पालिटिक्स का भय, इसके लिए नहीं सताना चाहिए। श्रीमन्, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में तो उसकी चर्चा नहीं आई है, लेकिन एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। इस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि एक मामले में न्यायालय का निर्णय हो चुका है, जो इस संसद के ऊपर हमला हुआ था। जिसकी साजिश जिसके द्वारा रची गई थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस संबंध में अब तक जो कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही नहीं हुई है। आरटीआई के द्वारा भी किसी ने एक सूचना प्राप्त की थी। अब इससे संबंधित पत्रावली कहां है, इसका कुछ अता-पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी इस सदन को भी जानकारी देने का कष्ट करें। श्रीमन्, एक 15 प्वाइंट प्रोग्राम भी इस अभिभाषण का एक प्रमुख विषय रहा है। मैं यह मानता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, धर्म का हो, यदि गरीब है, पिछड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उसे विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं। यदि ऐसे लोगों का कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उसे विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु यदि यह काम किसी मजहब के आधार पर किया जाता है, सेक्ट के आधार पर किया जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी इसका सख्त विरोध करती है, किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं करती। हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति है: "Justice to all, appeasement of none." न्याय सभी को मिलना चाहिए, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जो भी गरीब हो, उसे विशेष सुविधाएं मुहैया कराएं। जिस क्षेत्र में रहता है, यदि वह क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड क्षेत्र है, वहां पर स्पेशल पैकेज दीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे, परंतु इस तरीके से नब्बे जिले आइडेंटिफाई किए जाना, यहां इस मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए उन जिलों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है? जो कुछ भी हो रहा है, यह देश की सामाजिक समरसता को तार-तार कर देने वाला कदम है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 22-23 मार्च 1946 को मुस्लिम लीग, मि. ए.के. फज-लुल-हक ने एक प्रस्ताव पेश किया था, मैं "लाहौर रेजोल्यूशन, 1940" का उल्लेख करना चाहता हूं, "The areas in which Muslims are numerically in majority as in the North, Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute independent State in which the constituent unit shall be autonomous and sovereign." माने 'Greater Muslim autonomy within the British India'. यह मांग उस समय मुस्लिम लीग ने की थी। क्या हम उसी कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानते हैं कि इस प्रकार के रेजोल्यूशन का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा था। 15 अगस्त, 1947 को भारत के मजहब के आधार पर दो टुकड़े हो गए। तर्क दिया जाता था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं? बन गया हिंदुओं का देश हिंदुस्तान और मुसलमानों का देश मुसलमान। पाकिस्तान ने अपने आपको थियोक्रेटिक स्टेट घोषित कर दिया ...(व्यवधान)... मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद कमेंट कीजिए ... (व्यवधान)... पहले पूरी बात सुनिए ...(व्यवधान)... यहां पर हमने थियोक्रेटिक स्टेट घोषित नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि चाहे कोई भी हो, सभी हमारे भाई हैं। मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी हमारे भाई हैं। हम साथ मिलकर इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, परंतु इस वोट बैंक की पोलिटिक्स के चलते, मजहब के आधार पर, सेक्ट के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं, विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ...(व्यवधान)... मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इस देश में कम्युनल व्यवहार दिया था और इस देश का विभाजन किया था, वैसी ही हरकतें यू.पी.ए. गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं। श्रीमन्, राजनीति की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। क्या हो रहा है? मैं जानता हूं कि जो "Justice to all, appeasement of none" की बात करते हैं, उनको कम्युनल कहा जाता है और जो मजहब और

सेक्ट के आधार पर फैसले करते हैं, उनको सेक्युलर कहा जाता है। क्या यही इंसाफ का तकाजा है? मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत के फोरम पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम मजहब और सेक्ट के आधार पर काम करने वाली पोलिटिकल पार्टी नहीं हैं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर काम करने वाली पोलिटिकल पार्टी हैं। वोट के लिए किसी को बदनाम नहीं करूंगा ...(व्यवधान)...

श्री जनार्दन पाणि: उपसभापति जी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए ...(व्यवधान)... पाणि जी।

श्री जनार्दन पाणि: क्या इसाइयों में दलित नहीं हैं...(व्यवधान)... इसाइयों में दलित नहीं हैं ...(व्यवधान)... आपको क्या मालूम है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मि॰ पाणि।

श्री राजनाथ सिंह: आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए क्षमा कीजिए, जो मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी का यही फाइनल वर्ड है।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): This is the wrong message you are giving to the nation. ...*(Interruptions)*... This is not correct. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Poojary, please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Poojary, please sit down. ...*(Interruptions)*... राजनाथ सिंह जी, आप बोलिए।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, नॉर्थ-ईस्ट की चर्चा की गई है, नॉर्थ-ईस्ट में रोड्स के डेवलपमेंट के संबंध में भी इस अभिभाषण में चर्चा हुई है। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण में बंगलादेशी घुसपैठियों की चर्चा कहीं नहीं है। उसके कारण जो संकट पैदा हो रहा है, इस देश में जो counterfeit currency आ रही है, जो fake currency आ रही है, आप इस बार के चुनाव में मेघालय और नागालैंड गए होंगे, तो आपने वहां इस बात की चर्चा सुनी होगी, इस देश की इकोनॉमी को ही ध्वस्त कर देना चाहती है। फिर भी इतने गम्भीर विषय का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं हुआ। असम में मजदूरों के, हिन्दी भाषियों के ऊपर जो भी हमले हुए हैं, उसका भी कहीं पर कोई उल्लेख नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों की जो स्थिति है, उससे भी यह गवर्नमेंट अपना मुंह चुराने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और जो भी समस्या है, जो भी संकट है, उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्रीमन्, इसी अभिभाषण के पैरा 56 और 57 पर जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनकी शान्ति और स्थिरता की बात की गई है। स्वाभाविक है कि पड़ोसी राज्यों में भी शान्ति और स्थिरता रहेगी, तो भारत भी उससे लाभान्वित होगा। यदि पड़ोसी राज्यों में भी स्थिति सहज, सामान्य नहीं होगी, अराजक स्थिति होगी, असामान्य स्थिति होगी, तो भारत को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति आज भी सामान्य नहीं है, normal नहीं है। चूंकि पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि यह एक शुभ संकेत है, लेकिन अभी देखना है कि आगे क्या होता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम सब चाहते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए, बेहतर संबंध होने चाहिए और साथ ही साथ यदि कभी आवश्यकता महसूस हो, पड़ोसी राज्यों की स्थिति असामान्य हो, असहज हो, तो उसमें भारत भी अपने diplomatic skill का परिचय देते हुए यदि कोई भूमिका निभा सकता है, तो भारत को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

मैं यहां पर नेपाल की चर्चा करना चाहूंगा। मेरा यह मानना है कि चूंकि नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है और जिस नेपाल के साथ बहुत ही दोस्ताना रिश्ते हैं, वहां पर आज भारत विरोधी माहौल बना हुआ है, जबकि वह हमारा ऐसा पड़ोसी देश था, जिस पड़ोसी देश के बराबर भारत के पक्ष का माहौल रहता था, आज वहां भारत विरोधी माहौल बना हुआ है। वहां की माओवादी ताकतों ने वहां पर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ऐसा लगता है कि सबके मन में दहशत समायी हुई है, डरे हुए हैं, यहां तक कि लोगों के घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। वहां ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन वहां 10 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र बहाल हो, democracy restore हो, यह हम सबकी इच्छा

है। लेकिन वहाँ के इंटरिम पार्लियामेंट की legitimacy कब तक रहेगी, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। चुनाव तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अब केवल pressure build up करके उसे इंटरिम पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले कराए गए हैं। मैं समझता हूं कि नेपाल पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पैनी नजर रहनी चाहिए।

श्रीमन्, हमारा एक पड़ोसी देश है — बंगलादेश। बंगलादेश में भी भारत विरोधी ताकतों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अब म्यांमार गैस पाइपलाइन, जिसे बंगलादेश के रास्ते भारत तक पहुँचना है, बंगलादेश उसके लिए पैसेज नहीं दे रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है, इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है।

अफगानिस्तान के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इस समय तालिबान फिर से regrouping कर रहा है। यह भी हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच का युद्ध विराम, cease-fire भंग हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूं कि श्रीलंका की सार्वभौमिकता, sovereignty और साथ ही साथ वहाँ पर तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। कहीं दूसरी ताकतें श्रीलंका में प्रवेश न करने पाएँ, वहाँ की स्थिति की असहजता, असामान्यता को देखते हुए, इस दृष्टि से भी इस गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए।

श्रीमन्, चीन हमारा एक बहुत बड़ा पड़ोसी देश है। मैं यहाँ के बारे में कहना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री जी की चीन की यात्रा भी हुई, चीन के प्रधान मंत्री भी यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश के एक प्रश्न पर चीन ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, मैं समझता हूँ कि वह भारत सरकार के लिए बहुत ही अपमानजनक है। इसका विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए था और मैं कहता हूं कि चाहे वे कुछ भी न करते, कम से कम इतना ही कह देते कि चाइना का यह कार्य अनफ्रैंडली है, ग़ैरदोस्ताना है। कम से कम इतनी प्रतिक्रिया तो हमारी तरफ से व्यक्त होनी ही चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई।

मैं यहां पर 1979 की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, उस समय चीन की यात्रा पर तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी गए थे। तभी नॉर्थ वियतनाम में चाइना की सेना ने प्रवेश किया था और वहां पर आक्रमण किया था, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर कर दी और सीधे भारत वापस आ गए, लेकिन अब यहां पर जो जानकारी प्राप्त हो रही है, इस संबंध में पूरा क्लेरिफिकेशन तो स्वयं प्रधान मंत्री जी ही दे सकते हैं। चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करता है, विदेश मंत्री जी इसे स्वीकार करते हैं और यात्रा स्थगित करने की बात करना तो दूर, हम प्रभावी विरोध भी दर्ज नहीं करा पाते हैं। मैं समझता हूं, श्रीमन्, डिप्लोमेसी का यह तकाजा है कि सच समय रहते हुए ही बोल दिया जाए तो भविष्य में आने वाले किसी बड़े खतरे से बचा जा सकता है, अत: सच स्वीकार करना चाहिए।

अमेरिका और रूस के बेहतर संबंधों की बात की गई है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अमेरिका या रूस ही क्या, दुनिया के सारे देशों से भारत के रिश्ते बेहतर होने चाहिए।

इधर एक इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील हुई है - '123 एग्रीमेंट' और उस संबंध में हम लोगों ने भी अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं। उस संबंध में भी स्पष्टीकरण आना चाहिए था, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसी बीच यूएसए सेक्रेटरी, कॉंडोलीजा राइस ने एक स्टेटमेंट दे दिया, "The NSG waiver for India will have to be within the framework of the Hyde Act." इससे तो यही लगता है कि जो शंका हम उस समय व्यक्त कर रहे थे, वह शंका सही है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में भी प्रधान मंत्री जी के द्वारा एक उत्तर आना चाहिए। देश के सबसे बड़े विपक्ष ने इस '123 एग्रीमेंट' के संबंध में अपनी जो शंकाएं व्यक्त कीं, उस संबंध में भी इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है।

श्रीमन्, जब हम लोगों की एनडीए गवर्नमेंट यहां पर थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ भी बेहतर थे और रूस के साथ भी बेहतर थे। 1998 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एटॉमिक टेस्ट भी किया। मैं जानता हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया था और हम पर इकोनॉमिक सैंक्शन्स भी लगाए गए, लेकिन हमने भारत के हितों से किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।

विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में, वह चाहे सिएटल रहा हो, दोहा रहा हो या कानकुन रहा हो, हमने भारत के ट्रेड इंटरेस्ट्स को, व्यापारिक हितों को पूरी प्रबलता के साथ वहां पर रखा। जहां पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोध

करने की जरूरत थी, उसे भी हमने किया है। हमने कभी-भी दोस्ताना संबंधों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नज़रंदाज नहीं किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि यह सरकार भी किसी सूरत में भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को नज़रंदाज़ नहीं करेगी। किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। प्रधान मंत्री जी की रूस की यात्रा भी हुई है, लेकिन जो गर्मजोशी पहले हुआ करती थी, उस गर्मजोशी में थोड़ी कमी रही है। कहने को बातें और भी हैं।

श्रीमन्, अभिभाषण के संबंध में मैं एक चीज़ और जानना चाहूंगा और चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। इस समय ईरान गैस पाइप लाइन जैसे मुद्दों पर क्या स्थिति है? मैं प्रधान मंत्री जी की तरफ से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्रीमन्, मैं शेयर बाजार के बारे में कहना चाहता हूं कि इस समय जैसी उठा-पटक शेयर बाजार में चल रही है, वह हम सब के लिए चिंता का विषय है। 22 जनवरी, 2008 को जो कुछ भी हुआ, उससे देश के स्मॉल इन्वेस्टर्स का 35 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस दृष्टि से सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने पाए, इस संबंध में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो मानता हूं कि इस अभिभाषण में भी इसका उल्लेख होना चाहिए था, क्योंकि यह कोई छोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। बार-बार यह समाचार भी संज्ञान में आ रहे हैं और साथ ही सार्वजनिक रूप से यह कहा भी जा रहा है कि शेयर बाजार में आतंकवादियों के धन की घुसपैठ बढ़ रही है, वह भी पीएन रूट के माध्यम से। मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे रीयल एस्टेट में भी विदेशी पैसा आ रहा है और इस तरीके से अपने देश की जमीनों पर कब्जा भी हो रहा है। वह जमीन हमारी आंखों से दिखेगी, हम जमीन पर खड़े होंगे, लेकिन वह जमीन हमारी नहीं होगी। आज जमीनों की कीमत इस तेजी के साथ बढ़ रही है कि मध्यमवर्गीय कोई व्यक्ति यदि अपना एक छोटा सा मकान बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा खरीदना भी चाहे तो वह उसकी पहुंच के बाहर होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि Real Estate के क्षेत्र में आसमान छूती हुई जमीन की जो कीमतें हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए एक State Regulatory Authority बनाने के संबंध में भी इस गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो बढ़ती हुई economic disparity के बारे में है। Economic disparity के बारे में मैंने प्रारम्भ में थोड़ी-बहुत चर्चा कर दी है, लेकिन अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार ने आम आदमी के साथ का नारा दिया था, लेकिन अब यह सरकार, लगता है कि जब से आई है, तो आम आदमी का काम नहीं कर रही है, बल्कि आम आदमी का काम तमाम कर रही है। अभी जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, इस देश की 78 फीसदी आबादी ऐसी है, जिसके प्रति दिन की income 2 डॉलर प्रति दिन यानी 40 रुपए प्रतिदिन से भी कम की है। यह income disparity कैसे minimize की जा सके, इसके संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, इस अभिभाषण में नंदीग्राम की चर्चा कहीं नहीं है। नंदीग्राम में जो कुछ भी हादसा हुआ है, मैं समझता हूं कि किसानों पर इससे बड़ा जुल्म शायद ही कहीं पर हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल): राजस्थान में 17 बार आपने गोलियाँ चलवाई थीं ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: लेकिन ऐसा जुल्म कहीं नहीं हुआ ...(व्यवधान)... हो सकता है कि कहीं पर चली हो, लेकिन ऐसा जुल्म नहीं हुआ ...(व्यवधान)... सर्वहारा के स्वयंभू मसीहा वामपंथी दलों का वास्तविक चेहरा नंदीग्राम में उजागर हो गया है। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): राजस्थान में भी संघर्ष में 150 लोग मारे गए हैं ...(व्यवधान)... कुछ उनकी भी बात कर लीजिए ...(व्यवधान)... कुछ उनकी भी बात हो जाए ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यहां पर कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। मेधा पाटेकर नंदीग्राम की घटना के बारे में कहती हैं कि "यहां के मुख्य मंत्री को फांसी हो"। यह मेधा पाटेकर कहती हैं। महारू भट्टाचार्या, जो एक मशहूर बांग्ला पोएट हैं और वहां के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा है-"कब्रिस्तान के अमन को कैसे कहें कि नंदीग्राम में शान्ति है।" ये सब वामपंथी लोग हैं। ...(व्यवधान)... एक प्रसिद्ध फिल्मकार,

फिल्म मेकर गौतम घोष ने कहा है कि "अब मैं खुद को वामपंथी कैसे कहूं" ...(व्यवधान)... एक प्रसिद्ध पत्रकार जय गोस्वामी ने कहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से पहले का उन्माद है-नंदीग्राम। यह उबाल है। ...(व्यवधान)... श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसका निश्चित रूप से उसमें उल्लेख होना चाहिए।

एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न राम सेतु का है। श्रीमन् इस सरकार ने अच्छा किया कि जो affidavit सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, उस affidavit को वापस ले लिया और फिर अब दूसरा ...(व्यवधान)... नहीं, यह आपसे सम्बन्धित नहीं है, राम से है। ...(व्यवधान)... श्रीमन् मैं समझता हूं कि राम सेतु का यह प्रश्न जनसामान्य की आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी सूरत में राम सेतु को नहीं टूटना चाहिए। उसके लिए चाहे जिस सीमा तक संघर्ष करना होगा, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ...(व्यवधान)... राम सेतु नहीं टूटने देंगे ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Shri Arun Jaitley is here. It is his baby and he is silent ...*(Interruptions)*. It was Shri Shatrughan Sinha; he signed it ...*(Interruptions)*. Shri Arun Jaitley signed it. It is their baby. They started it ...*(Interruptions)*.

श्री उपसभापतिः पुजारी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंहः आपको जब बोलना होगा, तब बोलिएगा ...(व्यवधान)... जब इसका reply आएगी, तब उस समय हम लोग बोलेंगे। इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)... हम भूले नहीं हैं। हमारी मेमोरी बहुत शार्प है। ...(व्यवधान)... श्रीमन् मैं राम सेतु के बारे में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः पुजारी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: They are dividing everything ...*(Interruptions)*.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): आप अपनी सीनियरिटी का थोड़ा ध्यान रखिए ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः पुजारी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... पाणि जी, आप भी बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he is reminding that it was sanctioned and implemented during their regime ...*(Interruptions)*.

श्री राजनाथ सिंहः श्रीमन् अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट ने तो सीधे राम के अस्तित्व पर ही पिछले affidavit में सवालिया निशान question mark लगा दिया था। मैं समझता हूं कि इस आजाद भारत में जिस काम को अंग्रेज नहीं कर पाए, उस काम को इस गवर्नमेंट ने करने की जुर्रत की है कि राम के ही अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया है और अब यह राम से पूछा जाएगा कि राम तुम सर्टिफाइ करो कि तुम हो या नहीं हो? श्रीमन्, यह तो ऐसा ही सवाल है कि कोई पुत्र अपने पिता से पूछे कि, ऐ पिताजी आप प्रमाणित कीजिए कि आप मेरे पिताजी हैं या नहीं? ...(व्यवधान)... और मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ...(व्यवधान)...श्रीमन्, मैं राम सेतु के बारे में यह कह रहा था कि जिस महात्मा गांधी को हम अपना आदर्श मानते हैं और महात्मा गांधी के संबंध में इंटरनेशनल नॉन-वायलेंस डे मनाने का जो प्रस्ताव यूनियन में पारित हुआ है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसका स्वागत करता हूं, लेकिन श्रीमन् मैं उस महात्मा गांधी की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आज जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न-चिह्न लगाने की कोशिश की जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि राम सच नहीं थे तो महात्मा गांधी ने इस हिंदुस्तान को राम राज्य का पॉलिटिकल कंसेप्ट क्यों दिया? ...(व्यवधान).

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश) उन्हें गोडसे ने गोली मारी थी ...(व्यवधान)...

†[ ]**شری شاہد صدیقی** : انہیں گوڈسے نے گولی ماری تھی۔مداخلت۔

श्री राजनाथ सिंहः उस पर आता हूं। श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि राम सच नहीं थे तो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर ...(व्यवधान)... वह रघुपति राघव राजा राम का जाप क्यों किया करते थे? यदि राम सच नहीं थे तो सीने में गोली लगने के बाद महात्मा गांधी के मुंह से अंतिम शब्द "हे राम" क्यों निकले, मैं इसका भी उत्तर चाहता हूं? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः अगर राम नहीं थे तो इनका नाम सीताराम कैसे है? ...(व्यवधान)..

†[ ]Transliteration of Urdu Script

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल): राम के होते हुए भी नाथूराम थे जिन्होंने गोली मारी ...(**व्यवधान**)... नाथूराम भी तो थे। ...(**व्यवधान**)... तो यह महात्मा गांधी की बात मत उठाइए। ...(**व्यवधान**)... यह मत कहिए आप। ...(**व्यवधान**)...

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: सीताराम कैसे थे, सवाल सीताराम का है? ...(**व्यवधान**)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: उपसभापति जी, पूरा सदन राम मय हो गया है।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि राम के अस्तित्व पर, राम की existence पर प्रश्न-चिह्न लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि राम ही नहीं, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का कोई भी आदर्श पुरुष हो, जिसे वह ईश्वर मानता हो, भगवान मानता हो, पैगंबर मानता हो, उसकी existence पर question mark लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि भले ही चाहे इस गवर्नमेंट के द्वारा एफीडेविट दूसरी फाइल की गई होगी, लेकिन इस गवर्नमेंट को चाहिए कि वह देशवासियों से इसके लिए क्षमा-याचना करे।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि राम राज्य महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन था, रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल विजन था और "हे राम" महात्मा गांधी का हमें ultimate submission था। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि राम के existence पर इस प्रकार का question mark लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जो एफीडेविट फाइल किया गया है, उसमें कहा गया है कि यह आस्था, विश्वास ...(**व्यवधान**)...

डॉ॰ प्रभा ठाकुर: भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जो एफीडेविट फाइल किया गया है, उसका पूरा ड्राफ्ट मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। अब भी इस गवर्नमेंट ने कहा है कि कोर्ट के द्वारा जो स्टे ऑर्डर पास हुआ है, उस स्टे ऑर्डर को अदालत revoke करे और वहां पर उस प्रोजेक्ट का काम प्रारंभ हो। श्रीमन्, मैं इस मंच के माध्यम से, इस फोरम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम किसी भी सूरत में राम सेतु टूटने नहीं देंगे। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि जन-सामान्य की आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा यह प्रश्न है, इसलिए उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। आज इस अवसर पर इस से ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत को महान भारत बनाने के लिए हम सब पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जैसा मैंने कहा, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए या सरकार चलाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि समाज बनाने के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जो भी सकारात्मक कदम होंगे, हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन जो भी कदम सकारात्मक नहीं होंगे, जिन्हें हम सकारात्मक नहीं मानेंगे, उनका हम विरोध करेंगे।

श्रीमन्, जिस तरीके से हिलती-डुलती हुई यह गवर्नमेंट चल रही है, उसमें हमारे लेफ्ट फ्रंट के मित्र शामिल हैं, जो यहां पर बैठे हैं, सचमुच में आश्चर्य होता है लेफ्ट फ्रंट ने जिस प्रकार की भूमिका इसमें निभाई है। मुझे लगता है जैसे अभी 25 फरवरी को, अमर सिंह जी जानते हैं, ऑस्कर अवार्ड आपने देखा होगा, कि इसका आयोजन हुआ था और इसमें "नो कंट्री फोर ओल्ड मैन", ...(**व्यवधान**)... जी, ऑस्कर फर्नांडिस बैठे हैं, तो यह जो इथान कोएन की फिल्म है "नो कंट्री फोर ओल्ड मैन", इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला। इस गवर्नमेंट में इस किस्म का ऑस्कर अवार्ड यदि किसी को शानदार अभिनय के लिए दिया जा सकता है तो वह हमारे लेफ्ट फ्रंट के मित्रों को दिया जा सकता है, जिसने सरकार के साथ समर्थन रखते हुए उसका कार्यकाल पूर्ण कराया और अंत तक पूर्ण कराएंगे और साथ ही साथ विरोध का जैसा शानदार अभिनय किया है, जो शानदार एक्टिंग की है, मैं समझता हूं कि इसमें हमारे वाम दल के मित्रों का जवाब नहीं है, इनका कोई सानी नहीं है। इसलिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए।

श्री सीताराम येचुरी: यदि विरोधी दल अपना काम न करना चाहे, तो हम क्या करें? ...(**व्यवधान**)... आप अपना काम नहीं करते हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह: मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं।

श्रीमन्, यदि सारा अभिभाषण मिला-जुलाकर देखें, मैं राष्ट्रपति महोदया के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने जो भी अभिभाषण पढ़ा, सरकार की कैबिनेट ने जो भी भाषण एप्रूव किया, जो भाषण उनके पास

भेजा, उसी को उन्होंने पढ़ने का काम किया है, लेकिन अगर पूरा अभिभाषण देखें, तो ऐसा लगता है, जैसे इस गवर्नमेंट का कोई फेस नहीं था, इस गवर्नमेंट की कोई दिशा नहीं थी। इस प्रकार से इस गवर्नमेंट की जो हालत बनी हुई है, वह आज के अवसर पर हम सब के लिए चिंता का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का आज देश में माहौल बन रहा है, अब उनको जाना है और हम लोगों को वहां पहुंचना है। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह: सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा भाषण किया, लेकिन उन्होंने गांधी जी के बारे में सिर्फ "रघुपति राघव राजाराम" का जिक्र किया, शायद उन्हें नहीं पता कि "रघुपति राघव राजाराम" के साथ गांधी जी प्रतिदिन "आऊजु-बिल्लाही बिसमिल्लाहीर रहमानिर रहीम" कहते थे।

श्री राजनाथ सिंह: हां, कोई हर्ज नहीं।

श्री उपसभापति: श्री जनेश्वर मिश्र। आप बैठकर बोल लीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: शुक्रिया, जनाब। अभी जो भाषण हुआ, सदन का वातावरण एक तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग गया।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विवेकपूर्ण चर्चा होगी, तत्काल मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन वही पुरानी बातें राम, वही पुरानी बातें पोटा, जिस तरह से हमारे मित्रों ने दोहराईं, वे सत्ता में नहीं हैं, न उन लोगों का लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति महोदया ने पढ़ा है। इसलिए उन लोगों के बारे में तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, मैं सोचता था कि जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उनके बारे में ही चर्चा करूंगा, लेकिन तत्काल माहौल जितना बिगड़ा है, मैं यह नहीं कह सकता कि इससे मैं अपने को रोक पाऊंगा या नहीं। अगर बहक कर मैं उधर से इधर आ जाऊं, तो इधर के लोगों से मैं थोड़ी देर के लिए माफी भी मांगूंगा।

महोदय, कोई लंबी-चौड़ी बात की जाए, इससे पहले इस अभिभाषण का नंबर दो जो पैरा है, मैं यह पैरा इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि बाद में न बोलें कि आप अभिभाषण पर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैं पहले यह बता दूं कि मैंने इसको पढ़ लिया है। आपने तो लिखा ही है, प्रधानमंत्री जी, आपके अधिकारी ने कई बार दिखाया होगा, 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'। गांव का लड़का जो इस रोजगार अधिनियम में काम पाता है, वह साल में 100 दिन से ज्यादा काम नहीं करता। आप उसको चैक कीजिए और देशभर में यह होता है कि वह साल में केवल 100 दिन काम करता है। 365 दिन में से 100 दिन काम करके कोई अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भर सकता है। यह तो दिया है, आपने लम्बे पैमाने पर रोजगार दिया है, लेकिन जहां-कहीं इस रोजगार अधिनियम के तहत काम दिया गया, साल में केवल 100 दिन का काम दिया गया और कहीं-कहीं तो 70 दिन या 80 दिन का काम ही दिया गया। यह तो दूसरे पैरा में लिखा है और आपने लिख दिया, 'ग्रामीण निर्धनों को मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'। हमको लगता है कि आप गांव नहीं देखते या आपके अफसर गांव नहीं देखते। मैं जान-बूझकर केवल आपसे नहीं, इस सदन के सभी लोगों से और केवल इस सदन के सभी लोगों से ही नहीं, जो कोई भी सरकारें बनी होंगी, उन लोगों से जानना चाहता हूं कि शहर में, कस्बे में जो कूड़े का ढेर होता है, जहां पर बच्चे कागज उठाया करते हैं कभी आपने उन्हें देखा है। वहीं सूअर अपना भोजन ढूंढ़ता है, वहीं कुत्ता भोजन ढूंढ़ता है, उन बच्चों के स्वास्थ के लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है जो कूड़े में पलते हैं, जो कूड़े में खेलते हैं और धंधा पाते हैं; वह समाज का सबसे गरीब आदमी है, लेकिन उसकी तरफ आपकी निगाह ही नहीं गई और जब तक उसकी तरफ आपकी निगाह नहीं जाएगी, तब तक इस देश को मजबूत बनाया ही नहीं जा सकता। थोड़े से, खाते-पीते लोगों को मजबूत बनाकर मुल्क मजबूत नहीं बनाया जा सकता और मैं जानता हूं कि हम लोगों में किसी की निगाह उनकी तरफ नहीं है। ऐसे बहुत से वर्ग के लोग हैं। 50 लाख के करीब लड़के होंगे देशभर में जो कूड़े से कागज उठाया करते हैं। वह प्लास्टिक का कागज कोई ठेकेदार खरीदता है, उसकी रिसाइक्लिंग होती है। जो कागज बीनता है, उसको 50 या 60 मजदूरी नहीं दी जाती, मुश्किल से 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए उसे मिलते हैं और उसमें 5 आदमी का परिवार पलता है। देश की यह कल्पना! उनके स्वास्थ्य के बारे में मैं इशारा कर रहा हूं, उनकी पगार और मजदूरी के बारे में इशारा नहीं कर रहा हूं। उनके स्वास्थ्य को कभी छूआ गया है? यह बजट बना, अरबों बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आया है, अठन्नी भी उनको मिलती है? यह मज़ाक क्यों हो रहा है, केन्द्र सरकार से मैं जानना चाहूंगा? उसमें हिन्दू का लड़का भी होता है, मुसलमान का लड़का भी होता है। हिन्दू का लड़का चोटी नहीं रखता और मुसलमान का लड़का दाढ़ी नहीं रखता, दोनों बराबर-बराबर का कोआपरेशन दे रहे हैं, समाज का

वह नक्शा तो देखना पड़ेगा। म्युनिसिपेलिटी की सरकारों ने जो लोग रिसाइक्लिंग करते हैं, उनको लाइसेंस देना शुरू किया, लेकिन वह इंसान के रहन-सहन उसकी तहज़ीब और एक तरह से वह भारत की तस्वीर है। कोई विदेशी आता है, इस तरह के लड़कों की फोटो खींचने लगता है। हम कभी-कभी जब शहर के उस रास्ते से गुजरते हैं तो शर्म आती है कि हमारे बच्चों की ऐसी तस्वीर जा रही है, लेकिन हम बजट बना रहे हैं, कई तरह का बजट बना रहे हैं, दंभ भी भर रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं, यह भी दंभ भर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन जान-बूझकर इस घटना की तरफ नहीं देखते। मेरे मन में यह दर्द रहता है कभी-कभी अपने साथ के किसी बड़े मित्र खाते-पीते मित्र को कहता हूं कि अगर कूड़ा बीनने के लिए तुमको छोड़ दूं तो कैसा महसूस होगा, तो वह हम पर बिगड़ जाता है, गाली बकता है, कोई-कोई तो विरोधी भी हो जाता है। सबसे निकृष्ट काम इस समय शहरी जीवन में कूड़े में से कागज बीनने का है। राष्ट्रपति महोदया को तो यह फुरसत नहीं, अक्सर लोगों को फुरसत नहीं इसकी ओर देखने की। जब कभी गांव की यह ग्रामीण की चर्चा करते हैं तो हमको हंसी आती है क्योंकि यह सब जो कलम चलाते हैं, ये गांव को जानते ही नहीं। हो सकता है कि ये सब वहां पैदा हुए हों, लेकिन ये वहां से भागकर आए हैं, तब से ये गांव नहीं जाते और ये गांव की तहज़ीब तक भूल गए हैं। मैं कड़ी बात और सख्त बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो अधिकारी वहां जाते है, वे गांव की तहज़ीब तक भूल गए हैं, गांव की गरीबी तो भूले ही गए हैं। कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। एक तरफ ये गांव हैं, छोटे कस्बे हैं और दूसरी तरफ बड़े शहरों में भी कूड़ा बीना जाता है और सब जगह बीना जाता है। मैंने तो कह दिया कि इनकी संख्या 50 लाख के आस-पास है, लेकिन यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है और उस पर अगर 5 आदमियों का परिवार मानिए, तो 5 करोड़ का परिवार हो जाएगा। ये लोग कैसे जिएंगे? राष्ट्रपति महोदया को यह नहीं मालूम, लेकिन आप अपने अधिकारियों को ताकीद कीजिए कि खबरदार, केवल ऊपर की तड़क-भड़क हमारी स्पीच में मत दिखाओ, नीचे की तरफ जो कीड़े-मकोड़े की तरह आदमी जी रहा है, उसको भी दिखाओ, ताकि इस विषमता को दूर किया जा सके, यह मैं आपसे अपील करूंगा और यह बहुत जरूरी है और इसको आप देख नहीं रहे हैं। यह तो यह लोग आपको देखने नहीं दे रहे हैं, या आपके इर्द-गिर्द बैठे हुए लोग देखने नहीं देते हैं, लेकिन चकाचौंध ही जिंदगी नहीं हुआ करती है, कभी-कभी पेट में रोटी न रहने के कारण दिल से जो आह निकला करती है, वह जिदंगी है, उसको भी देखने का प्रयास होना चाहिए।

महोदय, अभी यहां हिन्दू और मुसलमान की बात हो रही थी, तो थोड़ा हमने गरीब की बात उठा दी, ताकि माहौल सामान्य बने, लेकिन वाकई मेरे मन में इसकी काफी पीड़ा है। मैं नहीं जानता कि आपके यहां जो बहुत प्रगतिशील लोग होंगे, उन लोगों ने और इनके यहां जो प्रतिगामी होंगे, उन लोगों ने कहीं कूड़े-कचरे को बीनते हुए उस बच्चे को देखा होगा। वही राम है, वही रहीम है, वहीं से इंसानियत निकलेगी और यह बहस कि अपने पिता की वल्दियत हम पूछने जाएंगे, अब पिता की तो नहीं, लेकिन राम के बेटे जब जंगल से आए थे और बोले थे कि आप मेरे बाप हैं, हम लोग आपके बेटे हैं, तो राम ने ही कहा था कि क्या सबूत है कि तुम हमारे बेटे हो, यह तो तुम्हारी मां ही बता सकती है और उसको भी साबित करना पड़ेगा और उसके बाद जमीन फटी और सीता उसमें धंस गई। वल्दियत के बारे में बहुत बहस मत कीजिएगा, हमारा इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है, हमको शर्म आती है। इस तरह के सवाल पर। वे हमारे भगवान होंगे, लेकिन किसी बेटे की वल्दियत पर और अपने बेटे की वल्दियत पर क्या वे इस तरह का सवाल पूछेंगे? इस तरह के ईश्वर के ईश्वरत्व को कम से कम जनेश्वर मिश्र नहीं मानता, मान ही नहीं सकता। एक नारी की गरिमा, उसका इम्तहान देना ...जब मैं पढ़ रहा था-कैसे साबित करूं कि तुम मेरे बाप हो, सुन रहा था, तो मैं चकरा रहा था कि हो क्या रहा है, इतिहास को किधर से किधर मोड़ रहे हैं? अपना ही पिता खिलाफ चला जाए? इसलिए थोड़ा सा गरीब को देखो। यहां से राम का मंदिर नहीं बनने वाला, यहां से मस्जिद नहीं बनने वाली, यहां से बहुत होगा तो चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रहे या किसी और की सरकार रहे, बहुत बनेगा तो गरीब की हालत थोड़ी सुधारी जा सकती है और जो सबसे गरीब है, वही हमारा भगवान है, उसके ऊपर यदि हमारी निगाह नहीं गई, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह मैंने पैरा 2 से निकालकर रख दिया है, बाकी यह भाषण बड़ा उदास है। मैंने कई राष्ट्रपति महोदय लोगों के अभिभाषणों पर लोक सभा से लेकर राज्य सभा तक में चर्चा की है और सुना है, लेकिन इतना उदास भाषण कभी नहीं देखा। ये राष्ट्रपति हैं, सबसे ऊंची संस्था है, वे भारत के संविधान के custodian हैं और वे ऐसा बोलें। यह ठीक है, जैसे लेखपाल, पटवारी या कलक्टर ब्योरा देते हैं कि हमने क्या किया, हमारे पास क्या-क्या काम है, यह उस तरह का भाषण है, लेकिन थोड़ी कौम को ललकार, दिशा, एक नयी किस्म की दृष्टि इसमें होनी चाहिए थी, इसमें यह कुछ नहीं है। यह तो ceremonial जलसा है। मैं निराश हुआ कि इसमें जो अपील होनी चाहिए थी, वह अपील नहीं हुई। इसमें एक अजीब किस्म की

ललक होती है कि आम आदमी इसको सुन रहा होगा, आम आदमी ने पढ़ा होगा, यह बजट का तकमीना यह समझ भी नहीं पाया होगा, लेकिन वह इंतजार करता है कि उसके दिल को छूने वाली कौन सी बात महामहिम बोल रही हैं। वह इसमें कुछ नहीं है, बहुत बासीपन, दृष्टिहीन और दिशाहीन यह भाषण था और इसलिए बनाइए भाषण, शायद आपका इरादा होगा प्रियरंजन दास मुंशी साहब कि इस भाषण के बाद आपको बजट रखना है और बजट को बहुत आकर्षक बना देंगे ताकि देश की जनता पगला जाए। एक-दो बार इंदिरा जी ने अपनी पार्टी के भीतर के लोगों से लड़ने के लिए और अपने को प्रगतिशील साबित करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लोग पगला गए थे। यह कर्जा माफी वाला उतना बड़ा नहीं है। जैसे हमारे भाजपा के दोस्त बहुत बार कश्मीर वगैरह का बात उठाते थे, तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो बोल देते थे कि यह इतना बड़ा सवाल नहीं है कि सरकार पलट जाए, लेकिन जब इन लोगों ने राम का सवाल उठा दिया तो हमने कह दिया कि हां, यह बड़ा सवाल है, शायद सरकारें पलट जाएं, तो गरीबी हटाओ का सवाल जितना घर-घर में चला गया, कर्जा माफी का सवाल घर-घर में जाएगा, अभी तो आधा-अधूरा है। आपने बैंक का और राष्ट्रीकृत बैंक का कर्जा माफ करने के लिए वित्त मंत्री चिदम्बरम कह रहे हैं, पता नहीं कितने तरह के कर्जा, कई लोगों ने कहा, जो रजिस्टर में लिखा नहीं है, गांव का साहूकार होता है, वह लूट लेता है, तो वह सबके सब, उसकी माप करने के लिए कोई विधान नहीं है और कर्जा माफ करके, यह सच है कि हम राजनीति करने वाले लोग हैं, आप सत्ता में हैं, हम विरोध में हैं तो हम विरोधी बनकर नहीं पूछ रहे हैं बल्कि आपके दोस्त बनकर पूछ रहे हैं कि कर्जा माफ करने से किसान का भला हो जाएगा, दिल पर हाथ रखकर कहिए। पहली मर्तबा चौधरी देवी लाल की सरकार बनी थी, उन्होंने दस बीघा तक का कर्जा माफ किया था, किसान को कोई राहत नहीं थी, दस हजार तक का कर्जा माफ किया था। आपके बैंक के अफसर, वित्त विभाग के अधिकारी आप पर दबाव बना रहे होंगे कि इस तरह से माफ कर दोगे तो यह बैंक कैसे चलेगा और बड़ा घपला रहेगा, आप झगड़े में फसेंगे, यह सोच दकियानूसी है। यह नहीं चाहेंगे कि किसान की जेब में कोई पैसा हो। बीच में मुलायम सिंह ने भी किसानों का कर्जा माफ किया था, उस समय भी वित्त मंत्रालय और बैंकिंग का उनके ऊपर दबाव पड़ते थे कि हमारा खजाना कैसे चलेगा, इस तरह लुटाया जाएगा तो नहीं चल सकता है। आरोप लगने लगते हैं कि देवी लाल ने सब खजाना लुटा दिया। यही आरोप हमने मुलायम सिंह का सुना कि सब खजाना लुटा रहा है, जाते-जाते एक पैसा नहीं छोड़ेगा, तो यह बड़े * क्लास के होते हैं, * मैं जान-बूझकर कह रहा हूं, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं, वर्ग को कह रहा हूं। यह कोई बेतरक्की का काम कि किसान का दस हजार, बीस हजार कर्जा माफ कर दिया गया, उस पर हमने मेहरबानी किया है क्या? किसान गेहूं पैदा करता है और किसान ही गेहूं पैदा करता है ...(व्यवधान)... उसी में सब आ गया है, उसमें एक-एक फसल का नाम मत गिनवाइए, बड़ा लंबा होता है, किसान गेहूं पैदा करता है, गेहूं किसान अकेले नहीं खाते हैं, हम पार्लियामेंट के मेम्बर भी खाते हैं, चेयरमैन साहब, आप भी खाते हैं, ये अफसर लोग भी खाते हैं, यह जितने सेक्रेटेरिएट वगैरह हैं, सबके बाबू और अफसर लोग रोटी खाते हैं। यहां हम लोग गेहूं पैदा नहीं करते हैं, उन्हीं का पैदा किया है। हम उनके बीच में कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जो दूसरों को रोटी दिया करता है, जिसके दरवाजे पर कोई भिखमंगा आ जाए, तो किसी को न नहीं करता, थोड़ा न थोड़ा दाना दे दिया करता है, उसको हम राजनीति कर्मी कर्जा माफी की भीख देने जा रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, दृष्टिहीन से होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि उसने जो धान पैदा किया, गेहूं पैदा किया, उस पैदावार का दाम क्या मिला उसको? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का हमारे कई मित्रों ने, राजनाथ सिंह जी ने और कई लोगों ने ज़िक्र किया कि उसको दो और उसमें साफ लिखा है कि किसान को मुनाफे का मूल्य दिया जाए। अभी तक मुनाफे का मूल्य क्या, लागत मूल्य भी नहीं दिया जाता है और किसान का श्रम जोड़ो, जैसे कारखाने का श्रम जोड़ते हो। कोई कपड़े का कारखानेदार अगर कपड़े के कारखाने का मैनेजर या सी॰एम॰डी॰ बनकर बैठता है, तो एक लाख रुपया अपनी तनख्वाह रख देता है रजिस्टर पर। अपने भाई को बैठाता है डिप्टी मैनेजर बनाकर, तो पचास हज़ार तनख्वाह रख देता है, अपनी बीवी को तीस हज़ार तनख्वाह रख देता है, अपने बच्चों को बीस-बीस हज़ार तनख्वाह देता है। वह मालिक है कंपनी का, और अपनी मजदूरी पहले निकाल लेता है, उसके बाद जो कपड़ा तैयार होता है, तो उस तैयारी में आम तौर से तो मजदूर का पसीना बहता है, लेकिन उसके बाद उस कंपनी की मशीन की घिसाई, उसमें रुई के रेशे फंस गए, उनको निकालने का खर्चा और इस तरह का आइटम जोड़कर जो कपड़ा मार्केट में निकलता है, वह कहता है कि तीस रुपए मीटर, और मार्केट क्या, उस कंपनी के गेट से ही वह डेढ़ सौ रुपए मीटर हो जाता है। कारखाने से जो सामान निकलेगा पचास रुपए का, यह बाज़ार में डेढ़ सौ का और किसान के खेत से एक किलो गेहूं तैयार करने में बारह रुपए खर्च होते हैं। मैं वह मजदूरी वाला खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं।

*Expunged as ordered by the Chair.

4.00 P.M.

किसान, उसकी ज़मीन की कीमत, यह नहीं जोड़ रहा हूं, केवल हल, बैल, बीज, मजदूर, बिजली, पानी डीज़ल—बारह रुपए खर्च पड़ता है और बाज़ार में आठ रुपए किलो बिकता है आप समर्थन मूल्य सात रुपए किलो कर देते हैं। उसके घर में खुशहाली आ जाएगी अगर कर्ज़ा माफ करेंगे तो? यह अर्थशास्त्र समझने की कोशिश कीजिए। पान बेचने वाला भी मुनाफा कमाता है यहां, चाय बेचने वाला भी मुनाफा कमाता है, चार आने की चाय दो रुपए में बेचता है आपकी दिल्ली तो मुनाफा कमाने वालों का शहर ही है, जायज़-नाज़ायज़ मुनाफा कई तरह का है। मुंबई तो वह शहर है ही, कोलकाता तो वह शहर है ही, हर आदमी मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन केवल किसान को आपने बांध दिया कि वह मुनाफा नहीं कमा सकता है। याद रखिएगा, हम लोग कोई श्रमिक नहीं हैं, ये लोग भी श्रमिक नहीं हैं, हम लोग केवल पैदावार का इंतजाम देखते हैं। श्रमिक वह कहलाता है कि कहीं पसीना बहाए, तो कुछ पैदा हो। किसान जब ज़मीन पर पसीना बहाता है, तो कुछ पैदा हो जाता है। मज़दूर जब मशीन पर पसीना बहाता है, तो कुछ पैदा हो जाता है और उनका इंतज़ाम देखने के लिए यह साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ये सारे भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन, ये सब उनका इंतजाम देखने के लिए हैं। प्रबंधक ज्यादा हो गए हैं, कमेरा कम हो गए हैं और जिस खेत के मज़दूर, पसीना बहाने वाले कम हो जाएं, और इंतजाम के नाम पर उसकी कमाई खाने वाले, ज्यादा हो जाएं, उस देश को कोई बचा नहीं सकता है, चाहे जितना भी कर्जा लीजिए। कमेरा कम हो गए हैं, उनकी कमाई खाने वाले ज्यादा हो गए हैं और तब घुनघुना कर्जा माफी का हम लोगों ने भी दिया था। एक मदद है, symptom, दोस्ती का symptom, हिम्मत बढ़ाने के लिए। हिम्मतअफज़ाई के लिए लड़के को शील्ड दी जाती है, इसलिए नहीं दी जाती कि वह उसके खेल का आखिरी दिन है, और बढ़िया खेलो। तो यह कर्ज़ा माफ किया कि और हिम्मत से चलो, तुम्हारा घाटा पूरा करेंगे। असल बात होगी कि पैदावार से जो चीज़ निकलती है, उसका घाटा पूरा हो और हो सके तो कारखाने के लोग जिस भाव पर मुनाफा कमाते हैं, उस भाव पर जब तक किसान की खेती को आप नहीं ले जाएंगे, तब तक गांव का किसान हमेशा के लिए गरीब रहेगा। वह बहस मत कीजिए, उसको बसाया नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कि वह सब कहेंगे। बिना कपड़े के जीया जा सकता है, बिना बिजली के जीया जा सकता है, बिना सीमेंट के जीया जा सकता है लेकिन बिना रोटी के कैसे जीया जाएगा, बिना चावल के कौन जीएगा? इसलिए उसकी कमाई मुल्क के लिए जरूरी है। जैसे पलटन के जवान की जिंदगी मुल्क के लिए जरूरी है इसलिए उन सबके लिए कैंटीन होती है। जो घड़ी हमें सात सौ रुपए में मिलती है, पलटन के जवान को चार सौ रुपए में दे दी जाती है, जो पेट्रोमैक्स हम चार सौ रुपए में खरीदते हैं, पलटन के जवान को वह दो सौ रुपए में दे दिए जाते हैं। यह आपने देखा होगा। उसी तरह से किसान कैंटीन होनी चाहिए। जो सामान देश के उन लोगों को, जो दूसरी कमाई से उपभोग किया करते हैं, उस उपभोक्ता वर्ग को मिलता है, किसान कार्ड दिखाने के बाद यह सस्ते रेट पर उसको मिलने लगे। उससे भी अगर उसकी भरपाई नहीं होती है तो खेती के काम में ट्रेक्टर है, खाद्र है, डीज़ल है। जब वह उसे खरीदने जाए मुनाफा कम करके उसे सस्ते रेट में देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के तौर-तरीके नहीं बनाएंगे तो उस किसान को, जो सबको भीख दिया करता है, उसे कर्ज माफी की भीख देकर उसकी हालत नहीं सुधारी जा सकती। मैं चाहूंगा कि इस पर लम्बी बहस हो। मैं जानता हूं कि यह मुल्क लम्बी बहस से भागता है। भागता इसलिए है कि कोई किसान ठाकुर है, कोई किसान ब्राह्मण है, कोई किसान यादव है, कोई किसान हिन्दू है, कोई किसान मुसलमान है। यह जो सिकुड़नवादी प्रवृत्ति दिमाग में है, वह कहीं न कहीं ठन जाती है - किसी मस्जिद पर ठन जाए, किसी खेत-खलिहान पर ठन जाए, किसी देवी-देवता की पूजा पर ठन जाए और जब ठन जाती है तो किसान और मजदूर अपने पसीने की कीमत वसूलने के लिए आपके यहां फरियाद करने नहीं आएगा। अब की बार भी विचित्र हुआ कि तीन-चार दिन इस सदन की कार्यवाही नहीं चली कि कर्ज माफ करो। हम तो बीमार थे। कुछ लोग कहते थे कि विरोधी पार्टी के लोगों को मालूम हो गया है कि बजट लीक हो गया है और वे जान गए हैं कि कर्जा माफ होगा इसलिए सदन नहीं चलने दे रहे हैं। हमें लोगों ने बताया कि ऐसा हो गया है। आपके लिए यह शर्म की बात है कि बजट लीक हो जाए। अगर वाकई लीक हुआ है, चाहे वह किसी वजह से हुआ हो तो चिदम्बरम साहब को बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारा तो गेम ही है, हम विपक्ष में हैं। जहां से, जिस किसी क्षेत्र से हमें प्वाइंट मिलेगा, हम हमला करेंगे। हम लोगों ने भी किया था कि कर्जा माफ करो लेकिन फिर से कहना चाहते हैं कि केवल कर्जा माफ करने से काम नहीं चलेगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट आपके यहां है, कई लोग उसे पढ़ चुके हैं। आपने एक नयी कमेटी बना दी है। हम नहीं जानते कि खेती-बाड़ी के बारे में राधाकृष्णन जी को कितनी जानकारी है, कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, उस रिपोर्ट को आप पढ़ें, उस पर बहस करें। लेकिन आप तो कई कमेटियों की रिपोर्ट्स को दफना देते हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पता नहीं कहां गयी। हम लोग इंतजार ही करते रह गए कि उस पर बहस होगी। कई लोग गरम थे, कुछ ठंडे थे। वह पता नहीं कहां पड़ी है। इसी प्रकार

लिब्राहन कमीशन है। पता नहीं क्या हो रहा है, जब कमेटियां बनती हैं और उनकी रिपोर्ट आती है तो मेहरबानी करके सदन में कभी न कभी उन पर बहस करा लिया करें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत दंभ और दावा न भरा करें। हिन्दुस्तान के बारे में जब वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री बहुत बोलने लगते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मनमोहन सरकार जहां उच्च आर्थिक विकास के दावे कर रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत विकास के लिहाज़ से अपने पड़ोसियों श्रीलंका और मालद्वीप से भी पीछे है। हम लोग बहुत तरक्की की बात कर रहे हैं कि भारत दुनिया को छू रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है। दुनिया की पंचायत की जो पत्रिकाएं निकला करती हैं...। हम कहां हैं इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारी हैसियत अगर नहीं बढ़ेगी तो आपकी भी नहीं बढ़ेगी। हम बहुत गिरी हुई हालत में हैं। दम्भ भरके कहेंगे कि हम पहलवान हैं और दुनिया में कुश्ती मार लेंगे तो नहीं चलेगा। अपनी औकात को पहचानना चाहिए। ऐसी पत्रिकाओं का सहारा लेकर के मैं कभी भी बात नहीं करता लेकिन आज बात इसलिए करनी पड़ रही है कि वे लोग जो उत्पादन किया करते हैं उनको आप नजर-अंदाज कर रहे हैं और जो कोई सरकार कुर्सी पर बैठती है वह नजर-अंदाज करती है। इससे पहले हम भी सरकार में होंगे, उसको भी ले रहे हैं छोड़ नहीं रहे हैं। वे सब भी नरजअंदाज करते थे कि हां, दिल्ली में तो बिल्कुल नजर-अंदाज होता है और दिल्ली में तो जवाब दे दिया जाता है कि यह राज्य का विषय है हम क्या कर सकते हैं। यह टाला नहीं जा सकता। इस समय भारत का संविधान तो राज्य का विषय नहीं है। अगर हम कहें कि मुम्बई में जो कुछ भी हो रहा है, उससे संविधान के पन्ने फड़-फड़ा रहे हैं। यह मैं नहीं कहता कि बम फट रहे हैं। लेकिन वे पन्ने मुम्बई की हवा से फड़-फड़ा रहे हैं। असम में जो कुछ भी हो रहा है उससे संविधान के पन्ने फड़-फड़ा रहे हैं। शिवराज पाटिल साहब यहां नहीं हैं। अगर यही नारा लग जाए कि मुम्बई में, महाराष्ट्र में कोई गैर मराठा नहीं रहने पाएगा तो होम मिनिस्टर साहब दिल्ली में रह पाएंगे, आपकी राष्ट्रपति महोदया उस भवन में रह पाएंगी? क्यों इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कौन लोग हैं बोलने वाले। लोग कहते हैं बाल ठाकरे साहब का भतीजा है। तो बाल ठाकरे साहब और उनके भतीजे में बहुत दिन का झगड़ा है। बाल ठाकरे साहब से मैं कहूंगा कि जरा अपना परिवार ठीक करो, वरना संविधान के पन्ने फड़-फड़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि वे बुजुर्ग आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं। यह भी हम जानते हैं कि भतीजे पर काबू नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुत्र मोह में फंस गए हैं। तब भी मनोहर जोशी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे नेता, उनकी मैं इज्जत करता हूं, यह थोड़ा परिवार का झंझट ठंडा करिए। चाहे जिस किसी से दोस्ती कीजिए लेकिन परिवार का झगड़ा खत्म कीजिए। मुम्बई के लोगों ने अपना पसीना बहा कर आपकी सड़क को साफ किया है, आपके पार्क को बनाया है, आपकी कोठी बनाई है। हिन्दुस्तान की आजादी के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तो वह मुम्बई के शिवाजी पार्क से दिया था। तो मुम्बई हमारे लिए पूजा की जगह है और उस जगह से आप हमको भगा देना चाहते हैं। मुम्बई को बसाने में, बुहारने में, साफ करने में हमने बहुत योगदान दिया है। यह सच है कि हम गरीब हैं और जब हम आपके मुम्बई में जाएंगे तो खाने-पीने की हमको उतनी तमीज नहीं आएगी जितनी आपको है। आपके बराबर में टेबल पर बैठना नहीं आएगा। यह आप कह सकते हैं कि तुम लोग थोड़ी गंदगी फैला देते हैं, भैंस पालते हो तुम लोग, घास बेचते हो तुम लोग। अगर हम घास नहीं बेचें, हम भैंस नहीं पालें तो मराठा बाबू दूध कहां से पाओगे। हम तो तुम्हारे दूध के लिए इस गंदगी में पल रहे हैं और इसके लिए हमको यह सजा दी जाए कि हमको पीटा जाए, कारखानों से निकाला जाए। जिनके तीन पुश्त, चार पुश्त नासिक के उन कारखानों में गुजर गए और वहां से हमको भगाया जाए, तो हम कहां जाएं। तो हम चाहेंगे अपने नेता मनोहर जोशी जी से कि वे थोड़ा सा बाल ठाकरे साहब से कहें कि वे भतीजे से कहें, भतीजे को कंट्रोल करें और भतीजा कंट्रोल में नहीं आता तो यह शिवसेना का काम होगा कि उसको सख्ती से कंट्रोल करें। अगर देश का संविधान टूट जाएगा, मुम्बई भारत से अलग हो जाएगा और भारत मुम्बई से, तो मैं नहीं जानता कि क्या तस्वीर होगी। ठीक वही तस्वीर होगी जैसे हमारे चेहरे में आग लग जाए। खूबसूरत विशाल भारत और उसके चेहरे में आग लग जाए, तो मुम्बई नहीं रहेगा। तो उसी तरह हमारा चेहरा हो जाएगा। इसलिए उसको सम्भालो और यह जो घृणा का भाव महाराष्ट्र से उभरा है, पहले थोड़ा बहुत गुवाहटी के आसपास उभरता था, मेघालय के आसपास शिलॉंग में, लेकिन बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं होता था, अब की बार महाराष्ट्र में थोड़ा व्यापक हो गया है। हम पर यह आरोप क्यों लगाते हो कि जो कुछ पैदा होता है, उसको आकर के ये बाहर वाले खा जाते हैं। आपके मुम्बई के मराठा लोगों ने बगल में जहां किसान भूख से आत्म-हत्या कर रहा है, उस किसान के यहां पांच किलो भी आटा अपनी तरफ से नहीं पहुंचाया। यह दिल्ली की सरकार पैकेज भेजती है और यह जब भेजा जाने लगता है, तो उसमें भी विलम्ब हो जाता है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें इस स्थिति से निपटें। मैं पाटिल साहब से भी कहूंगा, मुंशी जी, मैं आपसे भी कहूंगा, यह राज्य का विषय नहीं है, जब संविधान की कलम खतरे में पड़ जाये, तो कोई भी जुर्म होगा, वह राज्य की सरहद के बाहर का होगा और वह केन्द्र

का विषय हो जायेगा। केन्द्र सरकार चुप्पी बांधे, यह तो डर के मारे चुप्पी बांधे हैं कि इनका वोट बिगड़ जायेगा, अगर बोलेंगे तो। लेकिन आप यह न बोलें, गृह मंत्री बन जाओ और उनको कहो कि थोड़ा छुट्टी करो, जैसे नंदा को हटाकर चव्हाण जी को, नेहरू जी ने थोड़े समय के लिए गृह मंत्री बना दिया था। उनसे कहा कि छुट्टी करो, क्योंकि वह साधु-वाधु के फेर में बहुत रहते थे। पंडित जी ने उनसे कहा कि जाओ और चव्हाण को गृह मंत्री बना दिया। वैसे ही कोई बन जाओ, लेकिन यह छुट्टी लेना जरूरी होगा, नहीं तो हम लोग मुम्बई में मार खा जायेंगे और देश का संविधान बिगड़ जायेगा, यह जरूरी हो गया है।

अब रह गयी बात जातीय संघर्षों की। तो जातियां देश-भर में हैं। जाति-प्रथा का जब तक उन्मूलन नहीं होगा, तब तक जातियां रहेंगी। जातियां जैसे हंसिए का दांत होता है, अपनी ही तरफ ही खींचता है, ठीक उसी तरह से जात बिल्कुल हंसिए के दांत की तरह अपनी ही तरफ खींचेगी। हम कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बूढ़ा ब्राह्मण हमको देखेगा, मुस्करा देगा यानी जातिवाद चल गया। हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कोई नौजवान लड़का चन्द्रशेखर को देखेगा, मुस्करा देगा, जातिवाद चल गया। यह हंसिए की धार की तरह से है और जब तक इसको खत्म करने के लिए कोई कारगर उपाय समाज में नहीं किया जायेगा, जब तक यह खत्म नहीं होगा। यह सही है कि बीच-बीच में झगड़े होंगे। झगड़े होते हैं, हमारे उदय प्रताप सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने एक बार एक कविता बनाई थी और वह हमको दी थी। उस कविता के मायने यह थे कि बगीचे में फूल लगे हैं और एक ही पेड़ की एक कली ऊपर चली गयी और एक कली नीचे रह गयी। ऊपर वाली कली में आसमान से ओस आयी, धूप आयी, हवा आयी, पानी लगा, उसका गुलाब बढ़िया खिल गया और नीचे वाली कली बिना खिले मुरझा गयी। इनकी कविता का सहारा लेकर के हमने एक मीटिंग में कहा था कि अगर ऊपर वाली कली को थोड़ा झुका दिया जाये और नीचे वाली कली को थोड़ा उठा दिया जाये, तो दोनों कली खिल सकती हैं। हमने यह एक मीटिंग में कहा था और यही आरक्षण कहलाता है कि ऊपर वाली कली को थोड़ा-सा झुका दीजिए, अगर झुकायेंगे तो सब मार करेंगे, उसके कांटे चुभेंगे और अगर इनको थोड़ा उठायेंगे, गांधी आजाद जी आप कहां हो, इनको जरा उठायेंगे, तो ये लोग इतराने लगेंगे। इतराने पर भी हमारे हाथ में कांटे लगेंगे और झुकाने पर भी हमारे हाथ में कांटे लगेंगे। जब कांटे ज्यादा लगते हैं, तो कहते हैं कि थोड़ा कम छटपटाओ, दर्द बहुत हो रहा है। जो यह काम करने चला है, उसके हाथ में दर्द हुआ है। यह दर्द हुआ है मुलायम सिंह के हाथ में, यह दर्द हुआ है विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में। जिन दिनों हम जाति तोड़ो की बात करते थे, हमने गुस्से में आकर के इन पर कुछ कह दिया, उन दिनों आप लोग भी जात वाली बात नहीं समझते थे। हमारे यह मित्र कहते थे कि आर्थिक बराबरी तो ठीक है, यह जातीय बराबरी क्या हुआ करती है! उन दिनों डा० लोहिया हमारे नेता थे, वह इसके बारे में समझाया करते थे। आज मजहब के नाम पर जो कमजोर है, उसको आरक्षण दिया जाये। क्योंकि वह कमजोर है, तादाद में कमजोर है और थोड़े बहुत आरक्षण की बात मौखिक तौर पर सरकार की तरफ से आ जाती है, तो आप बौखला क्यों जाते हैं। हम आपकी बौखलाहट देख रहे थे, धर्म के नाम पर यह बौखलाहट क्यों? उनकी तादाद कम है। हम गांवों में उनका घर देखते हैं, वे बकरी चराते हैं, चूड़ी बेचते हैं, मुर्गी पालते हैं और कपड़ा सीते हैं। इसके अलावा वे कोई काम नहीं करते हैं। आप गांवों में जाकर अल्पसंख्यकों का काम देख लीजिए। मैंने उनका घर नजदीक से देखा है। वे जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, अगर गांव के हिन्दू को, दलित को, पिछड़े को आरक्षण दिया जा सकता है, तो गांव का मुसलमान यदि गरीब है तो उसको भी आरक्षण दिया जाए। इस पर बहस नहीं की जा सकती है। अगर कली का एक फूल ऊपर खिल जाए और दूसरा नीचे वाला मुर्झा जाए, तो बगीचा ठीक नहीं है। हमें बगीचा खूबसूरत बनाना है और यह आरक्षण इसलिए भी मिले कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंग्रेजों के जमाने की एक नफरत की बुनियाद पर लकीर खिंच गई थी। उस लकीर को धीरे-धीरे कमजोर करना है। दोनों देशों की सरकारें चाहती हैं कि ये लकीरें मजबूत हों। वहां की जनता भी नहीं चाहती कि हम अलग रहें और यहां की जनता को कोई मतलब नहीं है। अगर जर्मन की बर्लिन की दीवार तोड़ी जा सकती है, तो हिन्दुस्तान पाकिस्तान में नकली बनी हुई लकीर क्यों नहीं तोड़ी जा सकती है? इसके लिए हिन्दुस्तान के मुसलमानों को गले लगाना पड़ेगा और उनको विशेष अवसर देना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष जी, हम समझते हैं कि हम बहुत बोल गए हैं और हम इस बीमारी की हालत में यह उम्मीद नहीं करते थे कि इतना बोल पाएंगे। हमारी पार्टी का अभी और समय बचा है। आप दूसरे मित्रों को भी बोलने को मौका दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, I rise here to support the Motion of Thanks...

श्री वी० नारायणसामी: न आपका टाइम होगा और न उनका टाइम होगा, दोबारा हम ही आएंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir I rise here . (*Interruptions*)...

(राजनाथ सिंह जी, आप एक मिनट का भाषण सुनकर चले जाइए, मेरी आपसे विनती है।) ...(व्यवधान)... मैं इसलिए आग्रह कर रहा था ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी ने अपनी अंतिम बात कहते समय कहा कि "उनकी सरकार के जाने का समय आ गया और हमारी सरकार के आने का समय आ गया है," लेकिन आप हमें बीच वालों को भूल गए। ...(व्यवधान)... और बिना बीच वालों के न तो वे सरकार बना सकते हैं और न आप बना सकते हैं। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... तो इतना ही हम आपसे कहना चाहते थे। ...(व्यवधान)...

आएगा तो बीच वाला ही आएगा, वही हिन्दुस्तान है। ...(व्यवधान)... हिन्दुस्तान का मतलब वही है। ...(व्यवधान)...

श्री जनार्दन द्विवेदी: येचुरी जी, थोड़ा सोचकर के बोलिए, ये किसी दिन quote करेंगे कि आपने समर्थन का वायदा किया था। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: हम उनमें इतना तो विश्वास रखते हैं कि ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वे हमारे समर्थन को quote करेंगे। ...(व्यवधान)...

Sir, I rise here to extend my outside support to the Motion of Thanks that has been presented here. ...(*Interruptions*)... Sir, I am deliberately using this phrase because there are a large number of issues on which we have very serious caveats, and, I think, there have been a large number of omissions in the hon. President's first Address to the joint Session of Parliament, and, we think that these omissions are an indicator of the things to come in the country, which we don't think will augur well for our country's future and the people. So, I would like to touch upon those issues, and, therefore, I have deliberately used this phrase 'outside support'.

Secondly, Sir, this is the last year of this UPA Government. We are supporting this Government on the explicit understanding of wishing to keep the communal forces and combination away from power but also on the basis of a Common Minimum Programme. This Common Minimum Programme contains a large number of issues, which, we think, are very important for the future of both the country and the people. And, this is the only year left for this Government to implement this Common Minimum Programme. I think, in that, there have been a large number of omissions and a large number of weaknesses that need to be overcome, and, in this year, we hope, that the Government will be able to overcome to implement this. And what needs to be done for that is precisely what I would like to concentrate on. I would like to begin with the preamble of the hon. President's Speech, which says, "The measures taken by my Government for creating the necessary architecture of inclusive growth". The architecture of inclusive growth is a noble idea. But what has been the reality and what is the reality in our country today? If there is any architecture that I can see today or the people can see today, there is the architecture of an economic bipolarity in India. It is this economic bipolarity in India where, on the one hand, you see what the international magazine, Forbes, today is saying, that there are 36 billionaires in our country. According to our own statistics, there are 48 billionaires in our country. They are all the U.S. dollar billionaires and not on the basis of Indian rupees. I have nothing against them. But, while that is happening, this 36, according to Forbes, have a net estimated asset value of 25 per cent of India's GDP. Just 36 individuals!

On the other hand, my esteemed colleague, Shri Arjan Sengupta—I do not think he is here now — the Committee headed by him, has given the statistics that 77 per cent of India is living on an income of less than Rs. 20 a day! 36 individuals with 25 per cent of GDP and 77 per cent of India, nearly 800 million, or 80 crores, living on less than Rs. 20 a day! This is the economic bipolarity that we are seeing in our country.

If you have the 'shining India' on the one side, there is a 'suffering India' on the other side. It is this gap between shining India and suffering India that is widening. This is not the architecture of inclusive growth. This is the architecture of exclusion of a majority of my people or the majority of the Indian people. It is this architecture that has to be changed.

Therefore, when we talk of bipolarity, we are used to the fact that in the international atmosphere, bipolarity was always associated with the Cold War. But, in India, you are developing a domestic bipolarity which, instead of being a cold war, is actually turning out to be a hot peace. Why am I using 'hot peace' ? It is because tensions are growing. The economic inequalities are widening. If this is not corrected, all the visions that we may have of building a better India or building a better future and all the potential that we have today, I think, we will only be wasting them. This course correction will have to be brought about by this Government. That is why, I am a little disappointed with the first few paragraphs, 1 to 12 to be precise, of the various economic measures that the hon. President has outlined.

She has also talked in terms of inclusive growth meaning, also, inclusive governance. I will come to inclusive governance subsequently. But, this inclusive growth which she has talked about, many of these issues, I am sure, will come up in the discussions when the General Budget discussions would take place. So, I do not want to raise them here. My senior colleagues will make our point of view on those issues. But, I would like to deal with paragraph-8 of the President's Address, where she concentrates entirely on agriculture. She talks of the issue of agricultural indebtedness. Both, hon. Raj Nath Singhji and our senior colleague, Janeshwarji, have spoken about this. I do not want to labour much on this point. But the question is, she has taken credit; yes, the targets set for doubling agricultural credit in three years has been achieved. Good, Sir, that the target has been achieved. The speech says that it is Rs. 2,25,000 crores. If this is the case, it is good. But, then, the National Sample Survey Organisation, in its 59th Report tells you that of the entire peasantry that has taken loans 42.3 per cent have taken loans from private sources. 42.3 per cent is more than even that one-third of that we were thinking of, that 42.3 per cent are from private sources who today are completely out of the ambit of the loan waiver that has been announced in the Budget. Now, how are we going to actually take care of this? Out of this 48,000 crores that is estimated which they have taken from these private sources, 18000 crores is on an interest rate of more than 30 per cent a year. This is what your National Sample Survey shows. The bulk of your distress suicides is taking place within this section. If you have a loan waiver scheme, which excludes this entire section of nearly 43 per cent of our peasantry within which the bulk of the suicides are taking place, then, I think this is a partial measure that we have undertaken and not a complete measure. Secondly, the distinction between dry land and wetland has been made. The land ceiling that has been given for which complete loan waiver is given, it means entirely a different thing if it is an arid land or irrigated land. In arid land, we have known people even with five acres or six acres or seven acres, Vidarbha, your cotton growers, they have more than six or seven acres, even there the suicides are the highest in terms of percentage. So this need to be corrected. Anyway, I hope that will come. But the President has quoted Prof. R. Radhakrishna's Committee in para 8. What does the Committee say? It says, "The objective must be inclusion of the financially excluded." Now, what does this mean? It means that no attempt to reduce the agricultural indebtedness is possible unless you also target those who are excluded from your institutional credit mechanism. But, that unfortunately is not happening. That needs to be done. If you want to ensure, that is where I am a little pained that the President did not refer to the peasants; suicides, but apart from that, any measure that you take must ensure that peasantry does not slip back into this indebtedness. And if that has to be ensured, not only the expansion of institutional credit to these sections, which means what? It means, strengthening of your rural banking system. Instead of that what we are seeing now is the weakening of the structure of the RRBs that is taking place. That needs to be corrected, expand your credit reach but at the same time, most important is the question of giving them the Minimum Support Price. Now on the Minimum Support Price issue, earlier the Bureau of Agricultural Costs and Prices, now it is called the

Commission of Agricultural Costs and Prices, I do not know why this change has been made, but that Commission has recommended 24 agricultural products to be given Minimum Support Price. But today we talk of a Minimum Support Price only for rice and wheat and evey in that it has been pointed out that we are willing to pay the foreign farmers Rs. 1600 a quintal but to our farmers only Rs. 850. Now under pressure it has gone up to Rs. 1000. But unless you bring 24 of these items under the Minimum Support Price system and unless an adequate price is given to them with the expansion of credit facilities, this agricultural indebtedness, we cannot resolve. That is where, I think, there has been a very, very serious inadequacy in this Address, which needs to be corrected. If that is corrected, we also have to go in to the other aspects of it. As Janeshwarji has correctly said, it is not only a question of indebtedness of indiviual farmers but it is the entire question of what is the attention we are paying to agriculture as a whole. In the last three years, the growth rate has slipped from 5.6 to 3.8 to 2.6 now. As a result of this today—our esteemed colleague, Mr Swaminathan is not present here, but his Committee has pointed out—that the gap between actual production and the potential production with same technology that is there on your shelf, the technology exists, the gap between what is being actually being produced and what is the potential production is a whooping 200 per cent — 200 per cent more we can produce from the existing land, existing system, existing technologies. Now why is this not happening? It is because you are not investing what is required to be invested and where the investment has to go. We are talking about increase in irrigation. But unfortunately, this year's Budget, my colleagues will explain the other details later when the Budget discussion comes, there is actually an absolute decline in the amount allocated for irrigation. But in this year's Budget there is actually an absolute decline in the amount allocated for irrigation. There is an actual decline and if this is what you are missing out in the country, you are losing 200 per cent of your production because you are just not investing properly and managing properly and this is criminal in our country where there is a growing hiatus between a Shining India and a Suffering India that is taking place and this is something that cannot be accepted. So, immediately some corrections will have to be brought about and this is where there has a great inadequacy in this Address that the Government must take into account and give the assurance to the House and to the people that this will be corrected. The other omission which the hon. President, in my opinion, has made is that there is no reference to the issue of price rise that is taking place in our country. All of us are aware that rising prices—any economist will tell you; since we have been trained, we know that—price rise or inflation is actually an income redistribution mechanism. As the prices rise, the income is redistributed from the wage earner to the profit earner. That is the economic meaning of inflation. So, rising inflation means automatically economic inequalities will rise; but at the same time, burden is put on the common man and that same *aam aadmi* is suffering because you are unable to contain this inflation. This is the single most, in my opinion, economic hardship that the people of our country are facing today. Unfortunately, there is no reference to it. But, then, why is it that you are not able to contain this inflation? There, I think, is a very serious disorder that is being created in our economy that needs to be considered by the Government. That Government's logic is that inflation is happening because there is greater liquidity in the market. That means people are having more money to spend. So, therefore, there is greater demand and therefore, inflation. It is ironic that you have peasants who are committing suicide. Mr. Rajnath is not here. If you take the all-India average, it is not eight hours, it is one suicide in every 30 minutes. Every 30 minutes one peasant is committing suicide in our country and the fact is that there are 77 per cent of Indians living below Rs. 20 a day. By saying that there is more money with the people and therefore there is inflation, whom are we fooling? If that is not the case, then, why is inflation taking place? Inflation is taking place because your essential commodities are rising and why are they rising? They are rising because you have put all your essential commodities

into the realm of futures trading or forward trading which is essentially speculation in trading. Unless you stop that, you cannot stop this price rise that is taking place. We have had this debate in this House earlier also and because of that debate, because of that pressure, the pulses, rice and wheat have been removed from the forward market. But, unless all the 24 items listed by the Commission of Agricultural Costs and Prices are covered you cannot stop this speculation in essential commodities, and, Sir, this speculation must be seen in the international context as well. In the last three months the international prices of food grains have grown by a whopping 70 per cent and much of this is because of the speculation that is taking place in the Essential Commodities' Forward Market in Chicago and in that background the Government has brought an ordinance to be enacted in this House. It is there in the List of Business to be enacted in this Session of permitting FDI in forward trading. There are international scandals going on. Internationally, the prices are rising because of speculation. Now you want to allow that FDI to enter your domestic forward trading market and expose yourselves to further vulnerability of this nature. I just can't understand this logic at all. For whom is this being done? You will just expose yourselves to greater price fluctuations and inflation, imposing greater burdens on the people. So, we are urging the Government to reconsider the ordinance. Let it lapse. Don't bring it as an Act here now. In this situation, if that becomes an Act, we will oppose it. But, if that becomes an Act, it is going to cause a great disservice to our country and the people. But, the Government's logic is based on greater liquidity in the economy. What does it mean? It means, the liquidity has to be reduced. How is liquidity to be reduced? On the one hand, you increase interest rates and, on the other, you allow the rupee to appreciate. How will this happen? When the rupee appreciates, the Reserve Bank of India normally comes into the market to buy dollars so that the rupee is stablized. Now, the Reserve Bank of India is not buying dollars, because the moment it buys these dollars, money supply increases in the country. If money supply increases, liquidity increases. Therefore, the logic is to stop the Reserve Bank of India from intervening. So, what happens in the country? You stop the Reserve Bank of India from intervening. As a result of it, you had an increase in the interest rate and increase in interest rate results in decrease in the index of industrial production. The index of industrial production, when compared to the last year, fell from 11.2 per cent to 9 per cent this year. So, there is a decline in the manufacturing sector. What is this economic boom we are talking about? If manufacture declines, employment declines. I just quoted from a study conducted by the C.I.I. It is not my study. So, don't charge me with a labour perspective in it. It says, "Contraction of consumer expenditure due to high interest regime has adversely affected consumer goods and particularly consumer durable segment. During April—December, 2007-08, consumer goods registered a lower growth of 5.8 per cent when compared to 9.9 per cent last year." So, your manufacturing is down as a result of high interest rates and, employment will, naturally, be down. And, because of that, economic problems will come. On the other hand, you have the rupee appreciation. Sir, you know very well. You come from a place which is very close to Tirpur near Coimbatore. Tirpur is called the hosiery capital of India. Sir, 60,000 people have lost their jobs last year, because export orders have fallen! Rupee appreciates, stock market booms and 60,000 people lose jobs in one city, in one centre of our country! So, for whom is all this? The impact of the rupee appreciation on textiles export has also been drastic. The total revenue has declined by 8 per cent. Operating incomes have declined by 9 per cent. The profit margins have declined by 8 per cent and they expect in the next 6 months the profit margins would decline to 10.5 per cent. Your textile exports will completely be decimated at this rate. And, textiles are your biggest nett export earner in the country. What has appreciation of rupee done to the leather sector? The net profit margins have declined roughly by—9 per cent and they are expected to decline to—14 per cent in the next 6 months. This is what the study of the C.I.I. says. It is not our trade union study. This is the study of the C.I.I. Now your

exports declined. What you are thinking in terms of export-led growth is drastically affected. Your employment falls very drastically and, because of your interest rates, your manufacturing and index of industrial production decline. So, where is that assertion that is made in the President's Address that we are insulating ourselves from the global economic slowdown? We are not insulating ourselves from the global economic slowdown. This global economic slowdown led by the US crisis is going to get intensified and we are going to suffer more. So, a serious rethink on the entire issue is required and, I think, the Government will pay sufficient attention on this point. In taking up the issue the hon. President has said, "That Government will give a serious consideration to these aspects."

Sir, the other issue that I would like to raise which, I think, is a very grievous omission that has been made, which has also been raised earlier, in the President's Address is the omission of women's reservation. All of us have been actively propagating it, asking for it. We have been asking this Government to bring the Bill and find out who is for it and who is against it. Then, the hon. President has quoted a quotation. I think, I know from where she has picked up that quote, but I don't want to make the mistake of telling the wrong name here. *(Interruptions)* As far as my memory goes, the quotation 'Women hold up half the sky' is from Mao Tse-Tung. She has made this quotation in paragraph 20. She talks very laudably about the role of women. But what is absent is, whether her Government is going to bring this Bill in the last year of its existence or not. We want the Government to bring the Bill. And, let us see on the floor of the House who will support it and who will oppose it. Mahatma Gandhi has been quoted in various other contexts, but very rarely he is quoted in the context of women. Our former esteemed President, Shri K.R. Narayanan, in his Address in July 2002, he had quoted Mahatma Gandhi. He said, "Above all other corrections, what we need is to clean our public life. And, if you permit me to say, to give adequate representation to women in our legislature." In fact, cleaning of public life and representation of women in legislatures go hand-in-hand. So, we are talking of a more laudable objective of cleaning public life. Here is Mahatma Gandhi for you. I urge this Government to please ...*(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर यह नहीं लाते तो मेरे अमेंडमेंट को पास करवा दो, सीताराम जी।

SHRI SITARAM YECHURY: And, Sir, this is the nature of the times that we are in. The President of India quotes Mao Tse-Tung and I quote Mahatma Gandhi. *(Interruptions)*

MR. VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): So, Mr. Yechury, who has been converted? *(Interruptions)*

SHRI SITARAM YECHURY: The other issue, which the President of India has really laboured upon in her speech, was on the entire issue of building our social and economic infrastructure. Very correct, there is a lot of emphasis on it. But the roadmap, which the Government has, on these concerns which the President has expressed, I think, are going in complete divergence. The Economic Survey, on page 25, has a box, where it lists what all is required to be done in order to build our economic infrastructure and social infrastructure. And, what is the emphasis? Open up every sector to the FDI — insurance, banks, retail, trade. Everything is listed. Open up everything, any further development programme in India.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

Any further infrastructural development programme in India will only have to be through the PPP route, that is, Private Public Partnership. And, more important is, they talk of changes in the labour laws. Whenever the labour laws issue comes....(*Interruptions*) You know it is

very important and sensitive to me because the entire social edifice, in our country, is built by the labour class. And, what does the Economic Survey prescribed for what the President of India wants to achieve in our country? The working hours of labour should increase from 48 hours to 60 hours in a week. Is that the road forward? I would like the Government to please let us know if this is the road forward to built the social and economic infrastructure, then, what you are actually doing is widening this hiatus between our shining and suffering India more. Sixty hours a week! That means, you are expecting the working class and the working people to work non-stop eight hours a day for the entire seven days of the week. Or, you have a twelve-hour day, without any holidays. *(Interruptions)* No, I am coming to it. Mr. Narayanasamy always provokes me, but my answer to him, sir you don't please cut off from my time. ...(*Interruptions*)... Don't say I have finished my time. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is better not to reply, then, I will not cut your time. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: No; no. ...(*Interruptions*)... Sir, he always brings in China. Whenever anything of this kind happens, China comes in here. Last time also this issue came up. It is good. I thank you for giving me this opportunity. Last time also this issue came up on telecom sector. We opposed the increasing of the limit of FDI in the Telecom sector. Immediately we were charged that China does it hundred per cent, so, why are you opposing here? Sir, we checked it up with China. I went there. Where is hundred per cent FDI in Telecom sector in China? Before I come to that, I want to say that all services provided in China in Telecom Sector are provided by three public sector companies which are hundred per cent public owned. You are also right. There is hundred per cent FDI. But, where is that hundred per cent FDI? It is in the production of hardware. All the Nokia sets—I am sure, Mr. Narayanasamy has one and, maybe, he has more than one—are made in China. All of them are made in China. So, what we tell our Government is, 'Yes, bring foreign investment to invest here.' ...(*Interruptions*)... No; no. I am coming to that. ...(*Interruptions*)... Okay. So, you bring investment here. Let them open factories and give my people jobs. You increase the production and export from my country so that I get the benefit of those exports. You do that. Why are you opening up those most lucrative areas of fast profit making to foreign capital? ...(*Interruptions*)... No; no. As far as labour laws are concerned, there is a new law that has been enacted in China. Now, it is all over the place. There was never a hire and fire system in China. Please remember it. There was never a hire and fire system there. I will give you all those details. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): In India, labours have been protected by the Legislation and the Supreme Court rulings. They have been protected in many ways. That protection will continue.

SHRI SITARAM YECHURY: Thank you, Mr. Minister. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: But why have you put it in the Economic Survey, Sir? ...(*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: It is not binding. ...(*Interruptions*)... It is not a law. ...(*Interruptions*)... It is an opinion expressed by somebody. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: I agree that what is said in the Economic Survey is not law. I agree to it. I concede the point that it is not a law. My concern is this. Here is the President of India outlining in a large number of paragraphs the need to strengthen economic and social

infrastructure. Here is the roadmap given by the Economic Survey of the Government on how they want to do it. And, how do they want to do it? They are only strengthening those instruments which, in the first place, have widened the inequalities in our country. That is my concern and that is what needs to be correct.

Having said this, I will come to the next issue. The next important issue which the President of India refers to in one paragraph, but which is of serious concern to all of us and which Mr. Raj Nath Singh has also raised is the issue of internal security. On internal security, I think, there can be no compromise. This is something which is absolutely non-negotiable and anything that needs to be done by the Government needs to be done to protect ourselves from any type of attacks by any type of extremist forces. But, in saying that, Sir, we must be very clear that India has been a victim of terrorist attacks of a variety which is as diverse as our society. We have lost two of our prime Ministers; one to *extremists and the other one to the LTTE. You have the ULFA in the North East area. ...(*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Please say extremists.

SHRI SITARAM YECHURY: Yes, I said, 'extremists.'

SHRI S.S. AHLUWALIA: You said, '*extremists.' ...(*Interruptions*)... There is no *extremist ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: I am sorry. I take it back. I did not mean it as a community. You can have it expunged from the record. Otherwise, he will quote me some other time. ... (*Interruptions*)... I did not mean it that way. There are extremist elements of different hues and cries. You have the extremist elements of various hues and cries in the North East. You have the Left extremists. They tried to ascribe it to us, but, they target us. We have been victims of their extremists in Nandigram, Bengal. Our charge endorsed is that they, that is, the BJP and the principal Opposition here, have actually helped those extremist forces in Nandigram in attacking us.

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमने कहा कि आप बताओ कि वहां माओवादी हैं या नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर डिस्प्यूट है। हमने माओवादियों का कभी समर्थन नहीं किया, कभी समर्थन नहीं किया और मैंने आडवाणी जी को क्वोट करके कहा कि हम कभी भी न उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, न उनके तरीके का समर्थन करते हैं।

श्री सीताराम येचुरी: यह अच्छी बात है, अगर इसी उसूल के आधार पर नंदीग्राम के बारे में आप रुझान अपनाते तो आप वहां नहीं पहुंचते, जहां पर पहुंच गए, यह मैं कहना चाहता हूं।

सर, दो-तीन बातें जो अभी यहां पर कही गईं और उसके बाद यहां पर जो आईं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब यह मानकर चलते हैं कि आतंकवाद चाहे किसी भी वैराइटी का हो, उसके खिलाफ हमें संघर्ष करने की जरुरत है। यहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात हुई। वोट बैंक पॉलिटिक्स माइनॉरिटीज़ का हो सकता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स मेजॉरिटी का भी होता है। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स को उठाने के आधार पर मेजॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स करे, यह भी ठीक नहीं है और जितना आप माइनॉरिटी एपीज़मेंट के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलेंगे, उतना ही आपको भी लागू करना होगा कि मेजॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स न करे, तभी तो समस्या का हल हम कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारी बातें आईं, बहुत सारी घटनाएं आईं, मगर हम यह चाहते हैं कि सरकार का मापदंड has to be impartial. जो भी हो, Sir, you had this famous case, Thenkasi case in Tirunelveli district of Tamil Nadu, when in the RSS Office there was a bomb blast. Recently, the Police have arrested there an office bearer, the Hindu Munnani... (*Interruptions*)...

*Withdrawn by the hon. Member

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): In Tamil Nadu, daily, there is bombing...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, my point is different. ...(*Interruptions*)... My point is different. Please listen to me. That says the latest arrest points ..(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Innocent students are burnt. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we are praising today. Anyway, I am complimenting Let me not use the word 'praise', because that will create some other problem. We are complimenting the entire administrative set up in Tamil Nadu irrespective of who is in the Government. It is being one of the most efficient set ups we have in the country. everybody knows this. ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Sir ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: He has got his own views. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the point that I am making is that the latest arrest points to the fact that senior leaders of the Sangh Parivar were involved in the conspiracy. I am not saying that this is correct. If this is not, investigate this also. That is what I am saying. Without any impartiality... (*Interruptions*)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Accept the Police investigation report that RSS is involved in it. (*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: We are not objecting to it. ...(*Interruptions*)...

श्री सीताराम येचुरी: सर, यह मैं इसलिए कह रहा हूं और यह प्वाइंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां पर भी आतंकवादी हमले होते हैं, उनके लिए आप निष्पक्षता से जांच कराइए। यह बड़ी अच्छी बात है कि श्री राजनाथ सिंह जी ने भी देवबंद से जो आया उस ऐलान और प्रकटण की आज तारीफ की है, यह अच्छी बात है। तो सदन यह तय कर लें कि जो भी आतंकवादी हमले होंगे, क्योंकि यहां पर मेरे पास और भी कई लिस्ट हैं, मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुईं, उड़ीसा में क्रिश्चियंस पर जो घटनाएं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियंस पर घटनाएं हो रही हैं ...(व्यवधान)... बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में नांदेड़ में जो घटनाएं हो रही हैं, हमारा, सर, यही प्वाइंट है कि हमारे देश के हित में, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को निष्पक्षता से सरकार को हेंडल करना चाहिए, जो भी किसी भी पक्ष से हो।

सर, यहां पर ऐपीजमेंट की बात की गई, तुष्टिकरण की बात की गई। सर, हमारी पीढ़ी की पैदाइश हुई है आजादी के कई साल के बाद, तो हमारे लिए यह वास्तविकता है कि उस समय पाकिस्तान था और हम 18 साल के होते, उससे पहले बंगलादेश भी बन गया, तो पाकिस्तान, बंगलादेश और हिन्दुस्तान का जो नक्शा है, वह हम बचपन से ही देखते आए हैं। उससे पहले जो झगड़े हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वगैरह, वगैरह का हमारी मानसिकता पर असर नहीं हुआ। हम इतिहास जरूर जानते हैं और उससे सीखते हैं लेकिन मानसिकता पर उस तरीके का असर नहीं है। सर, आप एक बात हमारी पीढ़ी के लिए समझा दीजिए, आप तो बुजुर्ग हैं। यह बताइए ...(व्यवधान)... मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, कुर्सी की बात कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: उम्र में भी आपसे बड़ा हूं तो बुजुर्ग हूं।

श्री सीताराम येचुरी: मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ, तो मुसलमानों की जो आबादी हिंदुस्तान में रह गई, उस समय की आबादी अगर लें, तो पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग यहां रह गए और उनके पास यह choice थी कि वे वहां जा सकते थे, हिंदुओं के पास choice नहीं थी, किसी और मुल्क में हम नहीं जा सकते थे। अगर मुसलमानों के पास choice थी और उन्होंने choice करके कहा कि यह मेरी पैदाइश की जगह है, अगर मैं

दफन होऊंगा, तो यहीं पर दफन होऊंगा और उसकी देशभक्ति पर आप अंगुली उठाते हैं? उनके पास choice थी, वे जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। अब उनको आप बाबर की औलाद बुलाते हैं, जो बेचारा अंधा होकर, रंगून में बैठकर चारकोल के साथ लिख रहा था कि—

"कितना बेनसीब हूं ज़फर,
दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली।"

श्री रूद्रनारायण पाणि: पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री रूद्रनारायण पाणि:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री सीताराम येचुरी: हम बता रहे हैं आपको। हम यही कहना चाहते हैं कि यहां पर मजहब के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से, जाति के हिसाब से देशभक्ति की तुलना मत कीजिए, यदि आप इसको नहीं रोकेंगे, तो आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, प्रांतवाद के नाम से या कहीं और सांप्रदायिकता के आधार पर, मजहब के नाम से या जाति के नाम से, इन सभी चीजों को अगर रोकना है, तो उस माहौल को बनाने के लिए जो प्रार्थना होनी चाहिए थी, वह इस अभिभाषण में नहीं है। यह सरकार उसी सवाल पर बनी है और देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए हमने इस सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन उस प्राथमिकता को देखना चाहिए। यह विवाद तो चलता रहा है और आज भी उठा कि अगर "पोटा" होता, तो यह नहीं होता, हम सबको पता है कि "पोटा" जब था, तो क्या-क्या हुआ। कानूनों का अभाव नहीं है, यहां पर एक राजनीतिक दृढ़ता का अभाव है और उस राजनीतिक दृढ़ता के आधार पर इस देश की एकता और अखंडता को अगर मजबूत रखना है, तो हमें उस दृढ़ता को पैदा करना होगा और इस भावना का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में न होना, हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हम नहीं समझते कि यह कोई तुष्टिकरण की बात है। जैसे जनेश्वर जी ने कहा, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं, जहां तक आपके अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री जी का जो 15 प्वाइंट प्रोग्राम है, हमारी उल्टी बात यह है और हम एक उसूल पर चलते हैं कि the test of a democracy lies in the fact whether the rights of the weakest of the weak are protected and he is given the same opportunity. That is the real test of democracy. If there are weak sections, we will have to, as a collective nation, take care of them, and this is there in every civilsed society in our world today. It is there in the United States of America; it is there in all developed countries, and, therefore, this is something we should not be ashamed of. But, somehow, this entire sentiment is not there. That was a little disappointing that it did not come in with that sort of an emphasis that it ought to have come with in the President's Address.

Then, Sir, there is one very important thing before I conclude, before you start ringing the bell, and, that is, with reference to our Foreign Policy. The hon. Foreign Affairs Minister has come here, and, I am sure, he will make a Statement on that. I am not going into various aspects of the Foreign Policy issue. We have discussed and the President has dealt with at great length on our relations with all our neighbcurs, and, if I may use the phrase, which I do not like to use, to describe our neighbours in those terms but what Kissinger used once and Naom Chomsky explained the meaning of that once, *i.e.*, 'we being encircled by failed States'. It is not in India's interests to be encircled and all the description is there in the President's Address with all the developments that are taking place. Sir, I am very happy and glad to note that India is taking a proactive role — I mean this Government is taking a proactive role— in assisting all our neighbours in the sense where we are careful not to be seen as interfering in their internal affairs which we should not, but, at the same time, assisting them. That is our

*Not Recorded

5 P.M.

responsibility. I am glad that is being done. But there are certain aspects of it which the President has also dealt with. It is a little unnerving for me. One is on the question of the nuclear deal. The President has said that she expects her Governemnt to evolve a consensus on the nuclear deal and nuclear cooperation. Sir, the Government may make its efforts to evolve a consensus. We have our own points of view which we have stated at least five times in this House and we continue to stick to that point of view. Let there not be any doubt on that issue, that will remain. But Sir, what I am saying is that even before this nuclear deal happens, there are two issues of concern, and I hope the Government would tell us categorically as to what their position is on them. One is with regard to the attitude to Iran. Now, part of this entire Nuclear Deal was about Indian Foreign Policy positions and on what would be India's Foreign Policy vis-a-vis Iran. We have discussed it in the past, I am not going to repeat that, but the Indo-Iranian gas pipeline is a very important issue. Each one of us today is talking about augmenting India's power generation and power capacity. At that time, that was the cheapest and the most efficient option available to us. All of us have agreed upon that and the Government itself accepted it. Why is that not progressing? Is it under American pressure? Is it under American pressure that the State Bank of India does not allow lines of credit to be opened for firms dealing with Iran? Is it under its pressure that a big Indian corporate house is told by US multi-national corporations that if they have a joint venture in Iran, then that company's joint venture in USA would suffer? If these things are happening, it is very disturbing. Even before the Nuclear Deal comes through, we see all this happening. This is a matter of concern that we wish the Government to seriously address and convice all of us about what is happening.

The other thing is about Israel. It has been Government of India's tradition, even before we got Independence, to express our solidarity with the Palestinian cause. It was Mahatma Gandhi who said that if the French can have a country for the French, if the English can have a country for the English, then the Palestinians must have a country for the Palestinians. This was way back in the 1920s. Today, what is happening with that poor nation? This is absolutely unacceptable in any modern dispensation. Now, in such a situation, how could we commercially launch an Israeli satellite? I can't understand the Government of India's position when they say that it is only a commercial launch, but for whom is that commercial launch and for what purpose? I laud our scientists and it is very good that we are able to launch a satellite and, we are capable of becoming an international player and people are coming to us. In fact, we had an Italian launch and the Italians and Indians together addressed the media and talked about it. ...*(Interruptions)*... Now, Sir, we are talking of this Israeli launch as only being a commercial exercise. In our country, there is not much information about this. But Israel is putting out information. They say it is part of our growing military ties. What has launching of a commercial satellite got to do with growing military ties? If you launch a commercial satellite, any country can approach you and for some charges, you could launch their satellite for any purpose. This decision to launch the satellite was reached three years ago during the visit of the then Israeli Defence Minister. And as per the agreement, two more satellites are going to be launched. Now, what is the purpose of this satellite launch? Here is the most popular newspaper of Israel called the *Haaretz*. I am sure many of you here would have seen it. It is one of the finest papers that are produced. Its headlines after the launch read "Satellite launch bolsters ability to spy on Tehran". Are we to assist Israel on its spying on Tehran? Why are we getting into this? All your budgetary estimates have shown that you are not really in such a dearth of resources that you have to do this—launch spy satellites to

earn money! And two more are going to be launched. This is something that is absolutely not acceptable and then, Sir, the same paper, Haaretz, says ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: You are the Editor!

SHRI SITARAM YECHURY: I am quoting from it and I can authenticate it. ...*(Interruptions)*... He also reads it. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Is reading untouchable? ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: No, No. There are times when I compliment you also. Now, I quote. The heading is "New Israeli spy satellite sends Iran a message" and it says, "The launch is also an expression of the growing cooperation between Israel and India in the security sphere as a whole, and in particular in the fields of missiles, radar, and satellites. On the other hand, Iran, which has close ties with India, which in the past supplied Tehran with materials and equipment for developming chemical weaponry, would be expected to be angry with India over the launch of an Israeli satellite." This is the general public perception in Israel. What is the perception? The perception is that we are now aiding Israel to launch spy satellites. You know the technology of spy satellites today. They can identify to the dot who the enemy is and can actually eliminate them. This is something which I don't think India can actually enter into such agreements and in such situations where not only are we betraying the cause that we are supporting, but we are actually entering into the market of sleaze in the world of spy satellites in spying other countries which is something we don't think India should enter into. Therefore, Sir, I urge upon this Government, on this question of nuclear deal not to betrary our friends. I am not repeating these points and everybody is aware of our position and that of the Government. But I would like to say one more point. The President of India has in paragraph 59 talked of the nuclear deal and in the last paragraph has given an exhortation to all of us. I quote, "each one of you must remember that as elected representatives of the people what you do gives new hope not just to your own voters, but to all our people, and to all peace and freedom loving people in our region and around the world." It is a very noble point and it is something with laudable objective. I began by talking of the architecture of inclusive growth which the President of India spoke of. The architecture of that inclusive growth has also shown how this hiatus between the shining and suffering India is growing. We have to bridge that hiatus and this is what the President of Republic of India is asking us to do. How to bridge it? And that is connected with your nuclear deal. The hon. Prime Minister talked of 40,000 MW to be generated through nuclear power. Only 3000 and odd is being generated by nuclear energy today in our country through domestic reactors. Let us presume and I wish we can do that that we can grow up to 10000 MW. Remaining is 30,000 MW. What we have been told is that one megawatt of nuclear energy production will cost us something like, if we are importing nuclear reactors and through that we are producing, Rs. 11 crores. The same megawatt will cost you Rs. 3 crores if you use your hydroelectricity or your gas. It will cost with the finest technology, it will cost you about less than Rs. 4 crores if you use coal. The Planning Commission says that we have enough coal and we have enough water. We have gone through that debate here. We say, use that water so that you can save people from floods and devastation which happens every year and you have gas. The place I come from in Andhra Pradesh has abundance of gas which we knew from our childhood, but it was subsequently discovered by some private company. But that is a different matter. Why don't we use our resources and produce? Rs. 330 thousand crores for 30 thousand MW is the cost of energy through imported nuclear reactors. The same is Rs. 90 thousand crores for 30 thousand MW through using my country's

water, my country's gas. What is the differential? Rs. 240 thousand crores is the differential. What can you do with that Rs. 240 thousand crores. We can invest it in education and build two-and-a-half lakh new Navodaya Vidyalayas in the country. And, in the new Navodaya Vidyalayas, you can educate a hundred boys and girls on a scholarship till class XII. Two-and-a-half crores of our country's children will get free education till class XII with that price difference. The Government can use the same price difference in public health. The Government can build 20 thousand hospitals like All-India Institutes of Medical Sciences in the country. Twenty lakh, every year people can be given quality medical care at Government cost. Should we forgo all this for giving some profits to multi-national corporations? And, that is where it is linked to what hon. president said. She is urging us all. I am reading the continuing part of that paragraph. It states, "Therefore, what you say and do in these hallowed portals of democracy will have a bearing not just on the destiny of our people but also on the future of democracy and free societies around the world." The destinies of our people are in our hands. Are we going to allow this hiatus to widen between shining India and suffering India. चमकता भारत और तड़पता भारत? चमकते भारत और तड़पते भारत के बीच के फांसले को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं - यह आपके और हमारे हाथ में है, इस संसद के हाथ में है। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि इस अभिभाषण के बाद जो बहुत सारे सवाल इसके अंदर उठे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें, जो हम समझते हैं कि कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दुरुस्त करते हुए जो एक साल बचा है, हम चाहते हैं कि यह सरकार पूरा साल चलें देश के हित में, जनता के हित में काम करते हुए और इसको दुरुस्त करते हुए यह सरकार चले उपसभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

Foreign Policy-related Developments

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I rise to apprise the House of developments related to foreign policy since the conclusion of the winter session last December. During this inter-sessional period, the Government has made vigorous efforts to promote our objective of an external environment that enables India's accelerated development efforts and increases our strategic space.

Hon. Prime Minister paid an official visit to the People's Republic of China, our largest neighbour, from 13th to 15th Jaunuary, 2008. He was received with great warmth. The Prime Minister and the Premier Wen Jiabao signed a joint document on 'A shared Vision for the 21st Century between the Republic of India and the People's Republic of China' that reflects the congruence of interests that we share on regional and international issues, and our willingness to work together in those areas. The prime Minister also took up the issue of trans-border rivers. The first meeting of the Expert Level Mechanism was held in September, 2007. We have proposed to the Chinese side that we expand our cooperation in this area. We have also agreed to intensifiy high-level exchanges with China. I will be visiting China this year and the Chinese Foreign Minister will also visit India. We will be holding the second annual Defence dialogue as well as the second joint military exercise this year in an effort to continue deepening mutual understanding and trust between our Armed Forces. Our bilateral trade continues to show strong growth and both Governments have revised the trade target to $ 60 billion by 2010. Our Commerce Minister will visit China in April for the 8th meeting of the Joint Economic Group.